खण्ड-254, अंक-1
सोमवार, 3 फाल्गुन, शक संवत् 1886
(22 फरवरी, 1965 ई0)

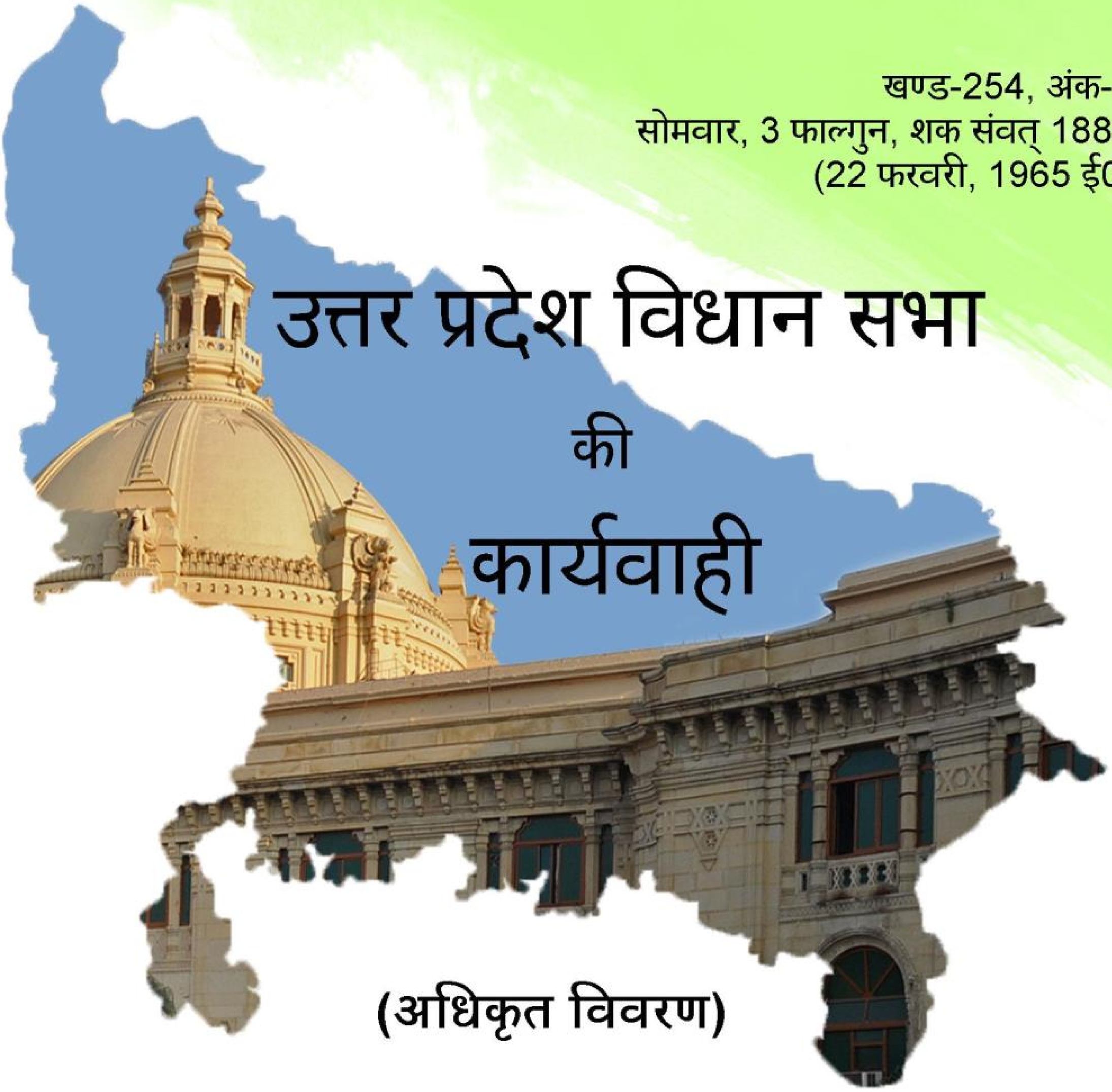

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 254 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३७
श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद के विरुद्ध विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये गये प्रश्न पर परिप्रश्न (जारी)	३७–३९
श्री बनारसीदास द्वारा अधिष्ठाता के प्रति आपत्तिजनक शब्दों के कथित प्रयोग करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	३९–४२
देवरिया जिले के गांवों में फसलों के चोरी से काटे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	४२–४४
श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद के विरुद्ध विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये गये प्रश्न पर परिप्रश्न	४४
प्रदेश में चीन से तस्करी द्वारा आये हुए सामान की बाजारों में बिक्री के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४५–४९
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १५–खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन, अनुदान संख्या ५४–राज्य व्यापार की योजनायें (स्वीकृत)	४९–९०
नत्थियां	९१–१०३

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

RA
4089

सोमवार, २२ फरवरी, १९६५

132993

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३४१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुलसमी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीललुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दय राम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्र दत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूर प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालनी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २२ फरवरी, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आगरे में गेहूं की कटौती

**१—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद), श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में ६ किलो प्रति यूनिट प्रति माह के हिसाब से जो गेहूं दिया जा रहा था उसके स्थान पर चार किलो प्रति यूनिट १६ फरवरी, १९६५ से कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

जी हां । केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेशी गेहूं का कोटा कम कर देने के कारण ऐसा किया गया है । लेकिन बदले में २ किलो प्रति यूनिट प्रति मास चावल दिया जा रहा है ।

**२—श्री बालोजी अग्रवाल, श्री शराफत हुसैन रिजवी, श्री छत्रपति अम्बेश—

क्या मन्त्री महोदय यह भी बतायेंगे कि राज्य के कवाल टाउन्स में कितना-कितना गेहूं तथा अन्य अनाज प्रति यूनिट प्रति माह दिया जा रहा है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

६ किलो गेहूं, आटा तथा चावल प्रति यूनिट प्रति मास दिया जा रहा है । अगर कोई व्यक्ति उक्त मात्रा में से एक किलो गेहूं, आटा अथवा चावल को छोड़ता है, तो उसके बदले में वह २ किलो मोटा अन्न ले सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सब अन्नों की कुल मात्रा ८ किलो से अधिक न हो ।

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के कवाल टाउन्स को गेहूं भेजने का जो प्रबन्ध केन्द्र करता है और भेजता है और जो यह कोटा कम किया है इसका असर सिर्फ आगरा में ही हुआ है या और भी कवाल टाउन्स में हुआ है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

इसका असर सब जगह हुआ है । पहले २५ हजार का कोटा था, अब २० हजार का हो गया है, इसलिये सब जगह कम करना पड़ा है ।

श्री बालोजी अग्रवाल—

जब सब जगह कम हुआ है तब आगरा में ४ किलो गेहूं दिया जा रहा है और लखनऊ में ५ किलो प्रति यूनिट दिया जा रहा ह, इसका क्या कारण ह ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

यहां के केन्द्रीय गोदाम में गेहूं ठीक रहा होगा, इसलिये ५ किलो दिया जा रहा है और वहां के गोदाम में कम रहा होगा इसलिये कम दिया जा रहा है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सभी डी० एम्स० को आदेश भेजा गया ६ किलो प्रति यूनिट देने के लिये और फिर ४ किलो के लिये आर्डर भेजा गया; इसी प्रकार से राशन की मात्रा घटती बढ़ती रहती है और सरकार के गोदाम के अनुसार इसकी मात्रा में फर्क होता रहता है, तो क्या सरकार इस बात से अपनी नीति निश्चित कर रही है कि गोदाम में जितना स्टाक हो उस हिसाब से राशन दिया जाय या सरकार प्रति यूनिट एक मात्रा निश्चित करेगी और उतना गेहूं अवश्य ही दिलाने का हर तरह से प्रयत्न करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार को गोदाम के मुताबिक ही तो चलना पड़ेगा और यह ज्यादा देने का जो सवाल है, वह अधिकतम सीमा है । यहां कोई टोटल राशनिंग तो है नहीं । सरकार अपने भरसक देने का प्रयत्न करती है ।

श्री नरसिंहनारायणपांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन से कारण हैं जिन की वजह से आप समय-समय पर केन्द्रीय सरकार से गेहूं की मांग करने के बाद भी आज तक अपना कोटा पूरा नहीं कर पाये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह प्रश्न तो हम केन्द्रीय सरकार से करते है लेकिन उनका उत्तर यह है कि आजकल अमुक कारण है, आजकल अमुक कारण है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

१७ तारीख को मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि प्रति यूनिट १५ दिन के लिये सिर्फ १ किलो गेहूं का राशन दिया जाता है और कवाल टाउन्स में ४ या ५ किलो प्रति यूनिट दिया जा रहा है । तो यह भेदभाव नगरपालिका और महापालिका के टाउन्स में क्यों किया जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह भेदभाव तो सर्वत्र है । देहातों में कम और शहरों में ज्यादा दिया जाता है ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

बताया गया है कि कवाल टाउन्स के लिये गेहूं, आटा और चावल देते हैं, लेकिन क्या यह बात सही है कि आटा सिर्फ गांवों में दिया जाता है, कवाल टाउन्स को नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आवश्यकता पड़ती है तो आटा भी दे देते हैं ।

श्री बालोजी अग्रवाल—

पंजाब से जो गेहूं आया था वह दूसरे कवाल टाउन्स में दिया जा रहा है तो क्या सरकार आगरे में भी उसे भिजवायेगी जिससे वहां दिया जा सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वहां २२० टन भेजा गया है लेकिन अधिकतर जहां गल्ला रखा हुआ है वह वहीं पर बेंचा जा रहा है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या केरल जिसकी जन संख्या डेढ़ करोड़ है वहां पर ७० हजार टन गेहूं, गुजरात में इससे कुछ ज्यादा यानी ८५ हजार और हमारे प्रदेश में जो साढ़े ७ करोड़ आबादी का है सिर्फ ९५ हजार टन आता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रदश की आवश्यकता को देखते हुये केन्द्रीय सरकार से इस बात के लिये झगड़ा करेगी कि उनको ज्यादा देना चाहिये इसलिये कि बहुत से जिलों में अकाल की सूरत बनी हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में सदन में कई बार कहा जा चुका है कि हम केन्द्रीय सरकार से बराबर ताकाजा करते रहे हैं कि हमारा कोटा बढ़ाओ, बल्कि यहां तो शिकायत यह की गयी कि अनुचित रूप से यह कहा जाता है।

श्री शराफतहुसैन रिजवी—

तो फिर उनको ज्यादा मिलने के क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यही शिकायत तो हमको भी है। कागजी लड़ाई हम बराबर लड़ रहे हैं, कुश्ती लड़ने नहीं गये, यही फर्क है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

जेल के कैदी को भी साढ़े ७ छटांक राशन रोज मिलता है, तो क्या सरकार छोटी आमदनी वालों के लिये भी उस हद तक राशन बढ़ायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कैदी बाहर से नहीं ला सकते हैं, लेकिन जनता स्वतंत्र है, वह बाहर से ले सकती है। फेयर प्राइस शाप से पूरा राशन नहीं दिया जाता है, राशनिंग नहीं है, यह शाप्स तो सिर्फ कीमत घटाने के लिये हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

१६ फरवरी के आदेश के मुताबिक गल्ले का दाम बढ़ा दिया गया ह, क्या यह मंत्री जी की जानकारी में है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो मैंने बता दिया कि केन्द्रीय सरकार ने अपनी गेहूं की कीमत बढ़ा दी इसलिये कि मोटा अनाज से भी वह सस्ता पड़ता था और लोग उसकी मांग ज्यादा करते थे, जानवरों को खिलाते थे।

श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

देहात को शहरों से कम और छोटे शहरों को बड़े शहरों से कम अनाज का कोटा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

देहातों में गल्ला पैदा होता है और शहरों में पैदा नहीं होता है इसलिये शहरों में देना ही पड़ता है। इस वजह से हम चाहते हैं कि देहातों को मिले मगर यह खाद्य समितियां अगर कुछ ज्यादा मात्रा में उधर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकती हैं और ऊंची आमदनी वालों को काट दें।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि देहातों में जब गेहूं नहीं मिलता है तो मोटा अनाज ही देहातों में काफी मात्रा में भेजा जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक सम्भव हो सकता है, हम काफी तादाद में भेजना चाहते हैं।

श्री शराफतहुसैन रिजवी—

इस बात को देखते हुये कि प्रदेश में गल्ले की कमी है और केन्द्र से ज्यादा अनाज की मात्रा आनी चाहिये लेकिन कन्द्रीय सरकार नहीं मानती, तो जनता की इस भावना को सामने रखते हुये क्या मन्त्री जी इस प्रश्न पर जोर देंगे जिससे वहां से गल्ला मिल सके ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

जहां तक सम्भव होता है, वहां से गल्ला मिलता है लेकिन जब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है तो फिर मैं गैर-वाजिब काम नहीं कर सकता कि इससे और अधिक कहूं।

तारांकित प्रश्न

गल्ला व्यापारियों की गिरफ्तारी

*१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल (सितम्बर-अक्तूबर, १९६४) में प्रदेश में खाद्यान्न व्यापार में लगे कितने व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कितना खाद्यान्न बरामद हुआ है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

खाद्यान्न में जखीरेबाजों पर जो छापे मारे गये उनमें ४८४ व्यापारी गिरफ्तार किये गये और उनके पास से ९८,४४२.३६ क्वीन्टल खाद्यान्न पकड़ा गया।

*२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो खाद्यान्न बरामद किया गया है वह जब्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो इस खाद्यान्न के वितरण की क्या व्यवस्था की गई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जो खाद्यान्न बरामद हुआ उसमें केवल १८८३.५६ क्वीन्टल खाद्यान्न अदालत के आज्ञानुसार जब्त किया गया। इस खाद्यान्न के वितरण की व्यवस्था अदालत के आदेशानुसार की गई।

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त जब्त खाद्यान्न की क्या कीमत होगी और गिरफ्तार किये गये व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जब्त किये गये खाद्यान्न की सही कीमत बताना सम्भव नहीं है क्योंकि विभिन्न अनाजों का कोई एक निश्चित मूल्य नहीं है। गिरफ्तार किये गये व्यापारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार इस प्रकार की योजना बनाने जा रही है जिससे जो होर्डिंग व्यापारियों ने कर रखी है उनसे अधिक से अधिक गल्ला निकालने के लिये कार्यवाही की जा सके और सरकार को जानकारी हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

ग्रेन डीलर लाइसेन्स के मातहत उनको बराबर रिटर्न देना पड़ता है और यह भी हमको मालूम रहता है क्योंकि एन्टी होर्डिंग आर्डर पास है। तो सब तरह की व्यवस्था हमने कर रखी है। उनके पास शहर में जखीरा अधिक नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितने व्यापारी अभी तक जेल में बन्द हैं और कितने छोड़ दिये गये और जो छोड़ दिये गये हैं उनके छोड़ने का क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

जो गल्ला जब्त किया गया, उसमें इलाहाबाद में हजारों टन गल्ला जब्त किया गया जो आज भी पड़ा सड़ रहा है और उसका वितरण नहीं हुआ है; तो सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह गल्ला क्यों सड़ रहा है और उसके वितरण की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इलाहाबाद के विषय में तो विशेष रूप से मैं इस वक्त नहीं कह सकता मगर आम तौर से बतलाता हूं कि अदालत के हुक्म से वह रुका हुआ है। हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह सूचना दे रखी है कि वह सब तरह से कार्यवाही करें और अदालत में अर्जी दें कि यह गल्ला एक दम से वितरित किया जाय।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)--

यह जो गल्ला पकड़ा गया उस पर एक दम छापा मारा गया; मथुरा में यह देखा गया कि छोटी मंडियों और कस्बों में तो गल्ला पकड़ा गया लेकिन शहरों में एक छटांक भी नहीं मिला। तो क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि यह जो छापा मारा गया था उसकी सूचना लीक हो गई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

ऐसा तो मुझे मालूम नहीं है। यहां पर तो ऐसा हुआ कि आज तय हुआ और सुबह ही आर्डर हो गये।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि देवरिया में किस-किस के यहां जखीरे निकले और कितने व्यापारी जेल भेजे गये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

५ व्यापारी पकड़े गये। संभव है कि उन्होंने जमानत दे दी हो।

श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—

मंडियों में गल्ला कम पकड़ा गया, इसका क्या यह कारण भी हो सकता है कि मंडी के व्यापारियों ने देहात में ही गल्ला खरीद कर के पैसा दे दिया और वहां उसको होडिंग कर दी और देहात में कोई पकड़ा नहीं गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

देहात में भी थोड़ा पकड़ा गया है।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या खाद्य मंत्री इस बात की व्यवस्था करायेंगे कि व्यापारी अपना गल्ला लाइसेंस्ड मकानों में ही रखें ? और क्या जो गल्ला पकड़ा गया है वह लाइसेंस्ड मकानों से पकड़ा गया है या उन मकानों से पकड़ा गया है जो लाइसेंस्ड नहीं थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मंडी विधेयक अभी पास हुआ है। इसका नियंत्रण उससे होगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो ४८४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं उनमें से कितनों का बाकायदा चालान किया गया और कितने बिना कार्यवाही के छोड़ दिये गये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

टोटल अरेस्ट ७९२ हुईं, प्रासीक्यूशन ६४८ का हुआ और १० का कन्विक्शन हुआ और छोड़े गये ५४।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि जिन व्यापारियों का गल्ला पकड़ा गया था उनमें से बहुत से रिट में चले गये और हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे कर उनको भी छोड़ दिया और वह गल्ला भी छोड़ दिया गया इसलिये कि उस आदेश में त्रुटि थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह बात सही है।

श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गिरफ्तारियां सितम्बर, १९६४ में हुईं जब हम सत्याग्रह कर रहे थे ? प्रदेश में एक भी व्यापारी को सजा हुई है या नहीं ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

पूर्ण राशनिंग

*४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बंगाल सरकार की तरह बड़े शहरों में केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार, वह पूर्ण राशनिंग करने पर विचार कर रहे है ? यदि हां, तो योजना का रूप क्या है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वे महसूस करते हैं कि प्रदेश में अन्न की कमी है और अन्न कम पैदा हुआ और वे यह भी चाहते हैं कि अन्न की कीमतें व्यवस्थित रूप से टिकी रहें तो वे ऐसी योजना पर क्या विचार करना चाहेंगे जिससे बड़े-बड़े शहरों में पूरा राशनिंग हो जाय और चीजें ठीक तरह से मिल सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हम विचार तो हमेशा करना चाहते हैं परन्तु अब जबकि सेन्टर से हमको गल्ला लेना पड़ता है और जब हम पूरा माल नहीं दे पायेंगे तो जनता भूखों मरेगी। इसलिये हम ऐसा नहीं कर रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश और प्रदेश की खाद्य स्थिति को देखते हुए जैसा कि मंत्री जी ने भी अपने उत्तर में कहा कि हम पूरी राशनिंग नहीं करते, केवल प्राइसेज के कन्ट्रोल के लिये नीति चला रहे हैं; श्रीमन्, आज अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को देखा जाय तो सबसे बड़ी व्यापारी सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार है। तो इस स्थिति को देखते हुए क्या मुकम्मल राशनिंग की उत्तर प्रदेश के देहातों और शहरों में चलाने की व्यवस्था करेंगे ? या तो मुकम्मल राशनिंग करें या राशनिंग के महकमे को बिलकुल तोड़ दें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

परिस्थिति को देखते हुये केन्द्रीय सरकार और हमारी सरकार भी सोच रही है कि स्टेट ट्रेडिंग हो मगर यह एक दिन की बात नहीं है कि अभी इरादा किया और काम हो गया। शनैः शनैः स्थिर करते हुये आगे बढ़ा जावेगा।

श्री शराफतहुसैन रिजवी—

क्या खाद्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनके विचाराधीन यह भी योजना है कि पूरे प्रदेश में जिन शहरों की आबादी १ लाख है वहां राशनिंग कर दिया जाय, यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह अभी निकट भविष्य में होने की सम्भावना नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उन्हें इस बात की सूचना है कि सरकार की नीतियों की असफलता की वजह से जनता में विश्वास हो चला है कि सरकार राशनिंग या कन्ट्रोल में असफल रही है तो फिर प्रयोग के तौर पर क्या सरकार इस प्रकार विचार करेगी कि पूरी तरह से राशनिंग की छूट दी जाय और देखा जाय कि इसमें क्या फायदा और हानि होती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार तो ऐसा समझती है कि जनता यह समझी है कि हम सफल रहे हैं और जो मुनासिब होगा, वह हम करेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के उत्तर से संबंधित सवाल करना चाहता हूं कि जो भी राशनिंग शहरों में या देहातों में है उसमें राशन केवल प्रिविलेज्ड क्लास को ही मिलता है और शहरों में भी सर्वसाधारण मजदूर और किसान जिनकी आमदनी कम है उनको नहीं मिल पाता है। तो इस स्थिति को देखते हुए क्या सरकार श्री झारखंडेराय जी के प्रस्ताव पर भी पुनः विचार करेगी कि राशनिंग की किसी भी प्रकार की व्यवस्था न रहे और पूरी छूट दे दी जाय ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

बाराबंकी केन्द्रीय कारागार का प्रबन्ध

*५—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी सेन्ट्रल जेल में हर एक बन्दी को कितना-कितना राशन दिया जाता है ? इस जेल का निरीक्षण डी० आई० जी० (प्रिजन) तथा आई० जी० (प्रिजन) ने अप्रैल, १९६३ से नवम्बर, १९६४ तक के बीच में किन-किन तारीखों में किया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

खाद्य सामग्री जेल मैनुअल में दिये हुये विवरण के अनुसार दी जाती है।

उप कारागार महानिरीक्षक ने १९-४-६३ तथा कारागार महानिरीक्षक ने २२/२३-८-६३ तथा २२-२-६४ को किया।

*६—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

उपर्युक्त अधिकारियों नें अपने निरीक्षण पत्रों में जेल के प्रबन्ध तथा अन्य बातों के बारे में जो लिखा है उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उन्होंने जिन त्रुटियों का उल्लेख किया या जो सुझाव दिये। उन पर आवश्यक आदेश दिये गये और उनका पालन भी हुआ।

*७—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

वाराणसी सेन्ट्रल जेल में कौन-कौन अधिकारी ऐसे हैं जिनका कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक होने पर भी उनके ट्रान्सफर नहीं किये गये ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे लोगों के ट्रान्सफर कब तक हो जायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

किसी अधिकारी का कार्यकाल तीन साल से अधिक नहीं है। अतः उनके ट्रान्सफर के लिये उचित समय पर विचार होगा।

अर्जुनगंज, लखनऊ में गल्ला पकड़ा जाना

*८—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ७ जुलाई, सन् १९६४ को लखनऊ कैन्ट के अर्जुनगंज आउटपोस्ट के पास वाले क्रसिंग पर एक ठेला गल्ले से लदा हुआ जो रोका गया था और जिस पर से आउटपोस्ट के पास जो मन्दिर है गल्ला उतारा गया। उस घटना का क्या विवरण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

विवरण सदस्य की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९१ पर ।)

*९—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि गल्ला उतारने वाले लोग कौन-कौन थे और उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

(१) श्री बजरंग बहादुर सिंह, एस० आई० कैन्ट, लखनऊ ।
(२) श्री रणबीर सिंह बिशनोई, एस० आई ।
(३) श्री नत्थन सिंह, हेड कांस्टेबिल ।
(४) श्री अब्दुल सलाम, कांस्टेबिल ।

सभी को निलम्बित कर दिया गया है और मामला अदालत में चल रहा है ।

फतेहपुर जिले में रेह

*१०—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम गनड़ी, परगना एकडला, जिला फतेहपुर में "रेह" का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको रोकने का समुचित प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

जी हां, जांच करने के लिये वहां की मिट्टी के कई नमूने लिये गये हैं । इस जांच के पश्चात् ऊसर सुधार के लिये किसानों को उचित प्राविधिक सलाह दी जायेगी ।

गाजियाबाद में नवयुग मार्कटिंग भवन

*११—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में सिहानी गेट के बाहर जो नवयुग मारकेट का भवन बन रहा है वह कब बनना शुरू हुआ ? उसका अनुमानित व्यय क्या है और उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सिहानी गेट स्कीम के अन्तर्गत जो नवयुग मार्केट का भवन बन रहा है वह दिनांक २४ जून, १९६३ से बनना प्रारम्भ हुआ, उसका अनुमानित व्यय ७ लाख ५० हजार रुपया है तथा उस भवन की पहली तथा दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है ।

*१२—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि इस भवन की तीसरी मन्जिल जो आधी बन चुकी है उसको गिराया जा रहा है ? अगर हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस तरह करने से कितनी धन की हानि होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस मामले में अभी जांच की जा रही है, इसलिये निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

*१३—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि दिनांक २३ अगस्त, १९६४ को कुछ इन्जीनियर्स ने इसका निरीक्षण किया और उनकी यह राय बनी कि जो दूसरी मन्जिल बन चुकी है वह भी दोषपूर्ण है तथा उसमें अगर सुधार न किये गये तो किसी समय भी गिर सकती है ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सुधार कराये जा रहे हैं और उस पर अनुमानित व्यय क्या-क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुलन्दशहर जिले के न्याय पंचायत केन्द्रों में गल्ले की दुकानें

*१४—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर के कितने अदालती पंचायतों के केन्द्रों पर सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गई हैं और उनको प्रति मास कितना गल्ला दिया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जिला बुलन्दशहर में १८७ न्याय पंचायत केन्द्र हैं । दो केन्द्रों को मिलाकर एक सस्ते गल्ले की दूकान दी गई है । जहां दो केन्द्रों का मिलाना सम्भव नहीं हो सकता है, वहां एक केन्द्र को दूकान दे दी गई है । इस प्रकार ९९ सस्ते गल्ले की दूकानें न्याय पंचायत केन्द्रों में हैं । दो न्याय पंचायतों का गल्ले का औसत आवंटन ७५ क्वीन्टल है ।

*१५—श्री हिम्मतसिंह—

क्या खाद्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि जिला बुलन्दशहर में जिन अदालती केन्द्रों पर सस्ते गल्ले की दुकानें नहीं खोली गईं उसका क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जिला बुलन्दशहर में दो अदालती केन्द्रों को मिलाकर एक सस्ते अनाज की दूकान खोल दी गई है । लगभग सभी दूकानदार गल्ला ले जा रहे हैं । यदि कोई नहीं ले जाता है तो व्यक्तिगत कारण से ।

*१६—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर के किन अदालती केन्द्रों पर दूकानों की कमी की गई और कमी करने का क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जिला बुलन्दशहर के ब्लाक दनकौर में अदालती केन्द्र, सलेमपुर गजर और कनारसी में चार दूकानें भिन्न-भिन्न ग्रामों में थी, जिनमें से तीन कम कर दी गई हैं और एक बराबर चल रही है ।

श्री हिम्मतसिंह—

जो दूकानदार गल्ला नहीं ले गए, उनकी संख्या कितनी है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मेरे पास तो एक की सूचना है । एक ने नहीं उठाया ।

टाउन एरियाओं के अध्यक्षों का चुनाव

*१७—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जिस प्रकार से नगरपालिकाओं में नगरपालिकाओं के सदस्य अध्यक्ष को चुना करते हैं उसी प्रकार से भविष्य में टाउन एरियाओं के अध्यक्षों को टाउन एरिया सदस्य ही चुना करें?

स्वायत्त शासन मंत्री को सभासचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

इस प्रश्न पर शासन द्वारा कई बार विचार हो चुका है, परन्तु शासन यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के तत्सम्बन्धी प्राविधानों में संशोधन करने के पक्ष में नहीं है।

*१८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि टाउन एरियाओं के अध्यक्ष का चुनाव सीधे (डायरेक्ट) बालिग मताधिकार के आधार पर होता है और टाउन एरिया अध्यक्ष के विरुद्ध टाउन एरिया सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां। यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ८ तथा टाउन एरियाज को लागू की गई यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ८७ के अनुसार यही व्यवस्था है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस तरह से नगरपालिकाओं के चेयरमैन का चुनाव मेम्बरों द्वारा होता है उसी प्रकार टाउन एरिया के मेम्बरों द्वारा टाउन एरिया के चेयरमैन का चुनाव हुआ करे, इसमें सरकार को कौन-कौन सी कठिनाइयां हैं?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस परिवर्तन पर कई बार शासन ने विचार किया लेकिन इस प्रकार का प्राविधान करना उचित नहीं समझा।

श्री कन्हैयालाल—

श्रीमन्, यह देखा गया है कि मेम्बरों के द्वारा जो चेयरमैन का चुनाव होता है उसमें भ्रष्टाचार होता है। तो क्या सरकार ऐसा विचार कर रही है कि नगरपालिकाओं में भी चुनाव जनसाधारण के द्वारा हो?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी कि जब टाउन एरिया के मेम्बरों द्वारा चुनाव नहीं होता है तो मेम्बर अविश्वास का प्रस्ताव चेयरमैन के खिलाफ न ला सकें?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जब टाउन एरिया निर्वाचित हो जाती है तो अध्यक्ष और सदस्यों के बीच में अक्सर कार्य करना दूभर हो जाता है, तो इसके लिये यह प्राविधान किया गया ताकि मेम्बर अविश्वास का प्रस्ताव ला कर अध्यक्ष को पृथक कर दें या अध्यक्ष उनके भय से अपना कार्य ठीक-ठीक करता रहे।

कानपुर जिले में ऊसर व बंजर भूमि

*१९—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितनी भूमि पर इस समय कृषि हो रही है तथा कितनी भूमि ऊसर, बंजर के रूप में बेकार पड़ी है ?

श्री चरण सिंह—

नवीनतम प्राप्त (१९६२–६३) आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में ४,११,२१,२०२ एकड़ भूमि पर खेती हो रही है तथा २७,३२,९४७ एकड़ भूमि ऊसर बंजर के रूप में बेकार पड़ी है।

*२०—श्री मुरलीधर कुरील (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी ऊसर-बंजर भूमि कृषि योग्य बना कर खेती में लाई गई है तथा चौथी योजना में कितनी बेकार भूमि कृषि योग्य बनाई जाने को है ?

श्री चरणसिंह—

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसानों द्वारा १,७५,६८८ एकड़ तथा तृतीय पंच वर्षीय योजना में १९६२–६३ तक ८४,४५१ एकड़ ऊसर बंजर भूमि कृषि योग्य बना कर खेती में लाई गई है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में १०,००० एकड़ ऊसर बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने का विचार है।

*२१—श्री मुरलीधर कुरील (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला कानपुर में कितनी भूमि इस समय ऊसर-बंजर के रूप में है और उसमें से कितनी भूमि चौथी योजना में कृषि योग्य बनाई जाने को है ?

श्री चरणसिंह—

नवीनतम प्राप्त (१९६२–६३) आंकड़ों के अनुसार कानपुर जिले में १,५८,९४४ एकड़ भूमि ऊसर बंजर के रूप में है। चौथी योजना में इस भूमि को खेती योग्य बनाने की कोई योजना इस समय नहीं है।

खाद्यान्न भाव

*२२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में चावल, गेहूं, दाल, ज्वार, चना आदि का क्या भाव है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

प्रदेश की विभिन्न मुख्य मण्डियों में १५–२–१९६५ को चावल, गेहूं, दाल, ज्वार, चना आदि के भाव संलग्न तालिका में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९२ पर।)

*२३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि केन्द्रीय अध्यादेश को विभिन्न जिलों में लागू करने हेतु अभी तक क्या-क्या कदम उठाये गये तथा उनका गल्ले के बाजार पर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

केन्द्रीय अध्यादेश प्रदेश भर में लागू कर दिया गया। इस के अन्तर्गत मुकदमें चलाये जा रहे हैं। कुछ मुकदमें न्यायालय के विचाराधीन हैं। कुछ में अभियोगी को सजा भी दी

गई। इस अध्यादेश के लागू होने से व्यापारी वर्ग सावधान हो गया तथा खाद्यान्नों के भाव साधारणतः तथा मोटे अनाजों के भाव विशेष रूप से गिरने लगे हैं तथा बाजार में खाद्यान्नों की आमद बढ़ रही है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनों पर मुकदमें चलाये गये और कितनों को सजा हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

गढ़वाल में ४ मुकदमें चलाये गये, ४ पेंडिंग हैं, यह चावल ऊंची कीमत पर च रहे थे। बस्ती में एक पेंडिंग है, यह बिना लाइसेंस के बेच रहे थे। उन्नाव में भी एक पेंडिंग है, उनके पास स्टाक ज्यादा था। जौनपुर में ८ हैं, एक को कन्विक्शन हो गया, ७ पेंडिंग हैं। नैनीताल में एक पेंडिंग है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

सजा कितनों को हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जौनपुर में एक को।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मान्यवर, अध्यादेश लागू होने के बाद से तमाम गेहूं और चावल अन्दर चला गया और भाव बहुत बढ़ने लगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी किस आधार पर कह रहे हैं कि भाव नीचे गिरे हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह तो राय की बात है। जहां तक कीमतों का सवाल है, इस लीन पीरियड में तो प्राइसेज और ज्यादा बढ़ जाना चाहिये थीं, मगर वह रुकी रहीं, जितनी बढ़तीं, उसकी अपेक्षा कम रहीं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

इस बात को देखते हुए कि ३ जनवरी, १९६५ से लगभग ८ महीनों में करीब ४० करोड़ का अनाज बाहर से आया, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि बाहर से अनाज न मंगा कर, यहीं किसानों से बाजार भाव पर अनाज खरीद कर सस्ते भाव पर वह किसानों को दे और इस ४० करोड़ का उपयोग उसमें करे ताकि प्रदेश का पैसा प्रदेश में ही रहे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इससे तो भाव और बढ़ेंगे, फिर अनाज की जो कमी है उसको तो बाहर से लाकर पूरा करना ही पड़ेगा। किसानों को तो और दूसरे विभाग, जैसे सिंचाई है, कृषि है, ये मदद करते ही हैं। अपने यहां ४० लाख टन की कमी है, उसको पूरा करना ही पड़ेगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि अध्यादेश लागू होने से पूर्व प्रदेश म गेहूं और चावल के क्या भाव थे और आज क्या भाव हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

पुराने भाव की तो लिस्ट नहीं है। एक निश्चित तारीख की सूचना आपने मांगी थी वह बता दी गई है। उस वक्त के भाव के बाद अगर कुछ बढ़े भी हैं तो वह उसकी अपेक्षा बहुत कम ह जो बढ़ते।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जब अध्यादेश के बाद सरकार ने गेहूं, चावल, दाल, ज्वार, चना आदि अनाजों के भाव निर्धारित कर दिये हैं तो क्या कारण है कि विभिन्न मंडियों में उनके भाव अलग-अलग हैं ? उनमें अन्तर क्यों है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इन चीजों पर तो प्राइस कन्ट्रोल है ही नहीं, जिनका आप नाम ले रहे हैं।

श्री शिवराजसिंह—

क्या यह सही है कि जिन जिलों से मोटे अनाज की खरीदारी सरकार कर रही है वहां पर जिन भाव से सरकार लाइसेन्सी से ले रही है वह भाव बाजार भाव से कम हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आप कह रहे हैं तो ठीक होगा, मगर सरकार तो जो भाव उसने तय किये हैं उसी से खरीद रही है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

जबसे यह अध्यादेश जारी हुआ है तब देवरिया में चावल का क्या भाव था और आज क्या है और बाहर से चावल पहुंचाने की सरकार ने क्या व्यवस्था की है वहां के लिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

देवरिया में कन्ट्रोल रेट के भाव ही चावल आ गया है।

श्री झारखण्डेराय—

नवम्बर में जो भाव थे, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि के, उससे पिछले इन महीनों में भाव बढ़े हैं। जनवरी के मुकाबले, फरवरी में कुछ कम जरूर हुये हैं। तो क्या अपनी असफलता को ध्यान में रखते हुये माननीय नेगी जी इस्तीफा देंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं प्रश्न को समझा नहीं, मगर यह तो मैं खुद ही कह चुका हूं कि फरवरी में भाव गिरे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

यह देखते हुये कि भावों को गिराने में सरकार को वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि खाद्यान्नों के भाव मुकर्रर किये जावें जो किसान के दूसरे उत्पादन के अनुकूल हों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है और वही देख रहे हैं। हम उनको रिअलिस्टिक होने की ही राय देते रहते हैं।

श्री ऊदल—

क्या खाद्यान्नों की कीमत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार का जोनल सिस्टम और सरकार द्वारा लैवी चली और क्या मंत्री जी केन्द्रीय सरकार को सलाह देंगे कि वह इन चीजों को तोड़ दे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बड़ा भारी असर तो उत्पादन की कमी का हुआ है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन चीजों पर प्राइस कंट्रोल नहीं है, क्या उन अनाजों को दूकानदार चाहे जिस भाव पर बेच सकते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अभी उनको प्राइस कंट्रोल का कोई इरादा नहीं है।

*२४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[१७ फरवरी, १९६५ को प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

फतेहपुर जिले में डी०आई०आर० के अन्तर्गत मुकदमें

*२५—श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३ व १९६४ में जिला फतेहपुर में डी० आई० आर० के अन्तर्गत कितने लोगों पर मुकदमे चलाये गये, उनमें से कितने फैसल हो चुके तथा कितने विचाराधीन हैं ? जो फैसले हुये उनके अलग-अलग क्या परिणाम रहे तथा जो विचाराधीन हैं वह अलग-अलग कब से विचाराधीन हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रश्न की सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९३ पर।)

प्रोबेशन बोर्ड के विचाराधीन फतेहपुर जिले के कैदियों के मामले

*२६—श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि धूर्मा कैम्प, मिर्जापुर में जिला फतेहपुर के कितने ऐसे कैदी हैं जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं ? उनमें से किन-किन कैदियों के प्रोबेशन ऐक्ट के अन्तर्गत रिहाई के प्रार्थना-पत्र १ जनवरी, १९६४ से अब तक आई० जी० जेल, लखनऊ के पास भेजे गये ? उन प्रार्थना-पत्रों में कौन-कौन से प्रार्थना-पत्र प्रोबेशन बोर्ड के सामने विचारार्थ आये तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सम्पूर्णानन्द शिविर, धुर्मा मारकुण्डी, मिर्जापुर में फतेहपुर जिले के ३५ बन्दी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इनमें से २३ बन्दियों के प्रोबेशन ऐक्ट की धारा २ के अन्तर्गत रिहाई के हेतु प्रार्थना-पत्र कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को १ जनवरी, १९६४ से अब तक प्राप्त हुये। २१ बन्दियों के प्रार्थना-पत्र प्रोबेशन बोर्ड की मीटिंग में रखे गये जिनके सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है। शेष दो बन्दी अनन्तदेव तथा दुलारे सिंह के प्रार्थना-पत्र अभी प्रोबेशन बोर्ड के सम्मुख रखे नहीं गये।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९४ पर।)

लखनऊ नजूल की स्ट्रीट स्कीम

*२७—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या सरकार ने लखनऊ नजूल (सरकारी संस्था) को स्ट्रीट स्कीम आई० टी० कालेज के पीछे बनाने की इजाजत दी है और क्या सरकार उस स्कीम की एक प्रति नक्शे के साथ सदन की मेज पर रखेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी नहीं। उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, के अन्तर्गत उक्त योजना नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा बनाई गई है। योजना की सम्पत्ति सूची एवं नक्शा माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं। इनकी प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं हैं।

*२८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि स्कीम में ली जाने वाली आराजी के सम्बन्ध में सरकार ने किसी एक्वीजिशन अफसर को मुकर्रर किया है? यदि हां, तो मौजूदा दस रुपया मुरब्बा फुट फ्री होल्ड आराजी के क्या दाम मुकर्रर किये गये हैं और मालिक आराजी को कितने दिनों में रुपया देने की हिदायत की गई है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सरकार ने महापालिका की योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अर्जन कार्यवाही हेतु पहले से ही एक विशेष भूमि अर्जन अधिकारी की नियुक्ति कर रखी है। उक्त अधिकारी ही विधि अनुसार मुआविजे के प्रश्न पर निर्णय लेंगें।

*२९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जो आराजी मालिकों से ली जावेगी और जिस-जिस की सड़क के लिये जरूरत न होगी उस को प्रति फुट कितने में फरोख्त किया जायेगा और इस स्कीम में सरकार के लखनऊ नजूल को कितना मुनाफा होगा?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अभी यह प्रश्न नहीं उठता। आराजी अर्जन के पश्चात् महापालिका की कार्यकारिणी समिति इस प्रश्न पर आवश्यकतानुसार विचार करेगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

पहले तो मेरा व्यवस्था का सवाल है कि आपने एक दफ़ा यहां फ़रमाया था कि आप इसे नापसन्द करते हैं कि कमरे में आकर देखने के लिये कहा जाय। नक्शे की एक कापी मुझे भेजने में इन्हें क्या दिक्कत थी?

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई कागज ऐसे हैं जिनको देखने के लिये वह कमरे में आमंत्रित करें तो वजह बतला दें कि क्यों यहां नहीं बता सकतीं। आप देख लीजियेगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी बतावेंगे कि जो जमीन फ़ालतू बचेगी उससे क्या महापालिका फायदा उठावेगी या जिन लोगों से वह ली गई है उनको छोड़ दी जायगी ताकि वे उसे फ़रोख्त कर सकें?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस पर महापालिका की विकास समिति विचार करेगी।

स्थानीय निकाय कर्मचारियों के लिये वेतन समिति

*३०—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार १० अगस्त, १९६४ के लिये विधान सभा में निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन क्रमों पर विचार करने के लिये द्वितीय वेतन समिति अब तक नियुक्त की या नहीं? यदि की है, तो उसके टर्म्स अ . रेफरेन्स क्या है?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

प्रथम भाग--प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या मंत्रीजी ने १०-८-६४ को मेरे सवाल के जवाब में विश्वास दिलाया था कि शहरी निकायों के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के संबंध में दूसरी वेतन समिति स्थापित करेंगें लेकिन आज तक उसके विचाराधीन होने का कारण क्या हैं जब कि इतने महीने गुजर चुके हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

समय कुछ जरूर ज्यादा हुआ लेकिन अब जल्दी हो जायगा।

बांसगांव तहसील में खाद्यान्नों का मूल्य

*३१--श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में खाद्यान्नों की कीमत १ सितम्बर से १५ दिसम्बर, १९६४ तक क्या रही हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

वांछित सूचना तालिका 'क' के रूप में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९५ पर)

*३२--श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में उपरोक्त अवधि के अन्दर खाद्यान्नों का क्या भाव रहा है ?

श्री हरीदत्त काण्डापल--

वांछित सूचना तालिका 'ख' के रूप में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९५ पर।)

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या ज्वार और मक्का की कीमत उत्तर प्रदेश में मिनिमम ३०-२९ के करीब है। प्रश्न संख्या ३२ में ६१-५९ है। जब गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में ज्वार और मक्का की कीमत इस प्रकार भिन्न रही है प्रदेशीय कीमतों से, तो गेहूं, चना और दूसरी कीमतों में इतना कम अन्तर क्यों रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह तहसील अभाव-ग्रस्त और बाढ़-ग्रस्त है। यातायात का कोई साधन नहीं है, रेल का स्टेशन भी नहीं है। खाद्यान्नों की आमद सड़क द्वारा गोरखपुर से है। मक्का की पैदा-बार बहुत कम होती है। अनाज बाहर से आता है। जौ की पैदावार नहीं के बराबर है। इसलिये भाव अधिक रहा।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इन सारी दिक्कतों को देखते हुये बांसगांव तहसील में खाद्यान्न भेजने के लिये सरकार कौन सा कदम उठावेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हमने उसे चावल की लेवी से हटा दिया है और ट्रांस-राप्ती एरिया से हमने प्रो क्योरमेंट बन्द कर दिया है। वहां से भी आ सकता है।

श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आज जब उनके घर में मटर होने जा रही है तो छोड़ने की बात कह रहे हैं, उसके पहले क्यों नहीं छोड़ा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगर देर से भी हमने कोई भला काम किया तो आपको नाराज नहीं होना चाहिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या यह सही नहीं है कि मंत्रीजी की इस पालिसी से हमारी क्रय-शक्ति कम हो गई और क्या मंत्रीजी इसके जिम्मेदार नहीं हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार इस खाद्यान्न के अभाव को देखते हुये खाद्यान्नों को खास तौर से अधिक से अधिक संख्या में कन्ट्रोल कमेटीज की राशन की दूकानों के माध्यम से बिकवाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वहां १५४ दूकानें हैं । और के लिये भी हम वहां के डी० एम० को लिख देंगे ।

रबी के लिये बीज वितरण

*३३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष रबी फसल की बुवाई के लिये राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से कितना बीज मांगा गया तथा उसके निमित्त केन्द्र से कितना गल्ला प्राप्त हुआ ?

श्री चरणसिंह—

इस वर्ष रबी की बुआई के लिये केन्द्र से १ लाख टन रबी का बीज मांगा गया था परन्तु, (पंजाब से) ३३,९६३.०८५ मिट्रिक टन गेंहूं मिला ।

*३४—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष रबी की बुवाई के लिये राज्य सरकार द्वारा कितना गल्ला काश्तकारों को वितरित किया गया है ?

श्री चरण सिंह—

कुल २८,६८१.४८५ मिट्रिक टन बांटा गया ।

खाद्यान्न मूल्य वृद्धि

*३५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ दिसम्बर, १९६४ से सस्ते गल्ले की दुकानों पर प्राप्त होने वाले अन्न की कीमत में वृद्धि की दर क्या है तथा वृद्धि का कारण क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि की दर इस प्रकार है :

गेंहूं .. थोक भाव रु० ८.७४ प्रति क्विन्टल
फुटकर भाव ९ पैसे प्रति किलो

चावल .. थोक भाव में रु० ५.६४ पैसे से रु० १०.६१ पैसे प्रति क्विन्टल तक।

फुटकर भाव में ७ पैसे से ११ पैसे प्रति किलो तक।

गेहूं की कीमत में वृद्धि इस कारण हुयी है कि केन्द्रीय सरकार ने जो राज्य सरकार को विदेशी गेहूं देती है, गेहूं की कीमत में रु० १०.४९ पैसे प्रति क्विन्टल की वृद्धि कर दी है।

चावल के प्रोक्योरमेन्ट की कीमत में केन्द्रीय सरकार द्वारा वृद्धि की जाने के कारण उसके थोक व फुटकर भाव में वृद्धि कर दी गई।

*३६—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ दिसम्बर, १९६४ से सस्ते गल्ले की दूकानों पर जिस गल्ले की दर बढ़ा दी गई है, प्रदेश सरकार को उक्त गल्ला किस दर पर प्राप्त हुआ था तथा हो रहा है ?

श्री हरीदत्त कांण्डपाल—

विदेशी गेंहूं केन्द्रीय सरकार द्वारा रु० ३७.५१ पैसे (बोरे सहित) प्रति क्विन्टल के भाव से प्राप्त होता था। अब गत १ दिसम्बर, से रु० ४८ (बोरे सहित) प्रति क्विन्टल के भाव से प्राप्त होता है।

चावल		कीमत बढ़ाने के पूर्व प्राप्त होता था उसकी दर प्रति क्विन्टल (बिना बोरे के)	वर्तमान दर प्राप्त होने की प्रति क्विन्टल (बिना बोरे के)
		रु० पै०	रु० पै०
श्रेणी १ स्पेशल	..	८३.१०	८५.५०
श्रेणी १	..	७५.४०	७७.५०
श्रेणी २	..	६७.५४	६९.५०
श्रेणी ३	..	५८.२५	६०.००
श्रेणी ४	..	५०.२४	५५.००
श्रेणी ५	..	४४.२०	५२.००

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जब अपनी दरों में वृद्धि की तो क्या मंत्रीजी ने इस प्रकार का कोई पत्र-व्यवहार केन्द्रीय सरकार से किया कि इस वृद्धि से हमारे यहां बहुत बड़ा अहित होने वाला है, और वह हुआ भी ? इस प्रकार की क्या कोई कार्यवाही की गयी कि गल्ले के मूल्य न बढ़ाये जायं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चीफ मिनिस्टर्स की जो कान्फ्रेंस हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि विदेशी गेहूं की कीमतें बढ़ाई जायं क्योंकि वह मोटे अनाज से बहुत सस्ता है और लोग उसको जानवरों के खिलाने के काम में ला रहे हैं और उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिये इसकी कीमतें बढ़ाई गयीं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि श्रेणी नंबर ५ के दाम पहले ४४ रुपया २० पैसे थे और अब वह ५२ रुपया हो गये यानी ८ रुपया प्रति क्विन्टल की वृद्धि एकदम हो गई, तो क्या वह बतायेंगे कि प्रोक्योरमेंट की लागत क्या है और नम्बर ५ जिसे लोग ज्यादा खाते हैं उसका दाम क्यों ज्यादा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

धान की कीमत भी बढ़ी है, चावल ६० प्रतिशत निकलता है उसी अनुपात में बढ़ा है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रेणी १ में तो डेढ़ रुपये की है.....

श्री अध्यक्ष—

जो निकटतम वस्तु है उस पर ज्यादा बढ़ा और जो अच्छी है उस पर कम।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह कीमत पहले ही कम थी और काश्तकारों को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सस्ते गल्ले की दूकानों पर जो आप देते हैं उससे किसानों का क्या लाभ हो रहा है और आप जो गल्ले की दूकानों पर महंगा दे रहे हैं, उसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चौथी क्वालिटी की भी कीमत बढ़ाई और उसी के अनुपात से यह बढ़ाये हैं।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस जिले से उन को रिपोर्ट मिली है कि विदेशी गेंहूं सस्ता था। और उसे लोग जानवरों को खिलाते थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो अखबारों में छपा था, सब ने देखा था, मुरादाबाद का नाम छपा था।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी के पास अखबारों की बात के अलावा और कोई आधार गल्ले की कीमत बढ़ाने का था और वह कौन से कारण थे जो दाम बढ़ाये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने तो बताया कि केन्द्र ने यह तय किया और सब स्टेट्स को बढ़ाने के आदेश दिये, तो हमें भी बढ़ाने पड़े, जिस कीमत पर उन्होंने दिया उसी पर हमने बेंचा।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या माननीया मुख्य मंत्री स्पष्ट करेंगी कि मुख्य मंत्री सम्मेलन में क्या उन्होंने यह राय दी थी कि कीमतें बढ़ा दी जायं ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपलानी)--

हमारी राय का कोई सवाल नहीं था, वहां केन्द्र का फैसला हुआ था।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जो मोटे अनाज के दामों में दस रुपये की बढ़ोत्तरी की बात बताई और कारण बताये कि काश्तकारों को कुछ दाम बढ़ाने थे इसलिये बढ़ा दिये गये, तो काश्तकारों के लिये कितने बढ़ाने की बात थी और उस में कार्टेज कितना था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

व्योरे वार सूचना देना तो कठिन है लेकिन मोटा चावल टूटता ज्यादा है और उसका रिटर्न कम होता है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि निर्णय मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में हुआ था। अब माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र ने किया तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दोनों में किसकी बात सही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि काश्तकार को मुनाफा देने के लिये ऐसा किया तो क्या मंत्री जी को मालूम है कि उस समय पैडी किसके पास रही ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने कहा कि एक तो काश्तकार को पैडी की कीमत ज्यादा मिल जायेगी और दूसरे यह कहा कि चौथी श्रेणी का जो चावल होता है यह जब कुटने जाता है तो इसमें ज्यादा काट पीट होती है औरों में ६० प्रतिशत तक चावल निकलता है लेकिन इसमें ४० प्रतिशत ही निकलता है।

खाद्य कार्यालय फतेहपुर में हरिजनों की नियुक्ति

*३७--श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

क्या खाद्य मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३-६४ के वित्तीय वर्ष में और चालू वर्ष में कितने नये इन्सपेक्टर क्लर्क एवं चपरासी जिला फतेहपुर के खाद्य कार्यालय में नियुक्त किये गये हैं और उनमें से कितने हरिजन वर्ग के व्यक्ति हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में जिला पूर्ति कार्यालय। फतेहपुर में दो इन्सपेक्टर, ६ क्लर्क और एक चपरासी की जगहों पर नियुक्तियां की गयीं। इनमें से एक इन्सपेक्टर की जगह पर हरिजन वर्ग के अभ्यर्थी की नियुक्ति की गयी थी परन्तु उन्होंने उसे मंजूर नहीं किया।

चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर, १९६४ तक दो इन्सपेक्टर और दो क्लर्क की जगहों पर नियुक्तियां की गयीं। इनमें से एक इन्सपेक्टर की जगह पर हरिजन वर्ग के अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई।

विदेशी अनाज

*३८--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन सा गल्ला विदेश की पैदावार का १९६०-६१, १९६१-६२, १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में प्रदेश की जनता को खाने हेतु कितना-कितना और कौन-कौन सी किस्म का दिया गया ?

नोट--ताराँकित प्रश्न ३६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९६ पर।)

*३९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जो सरकारी गल्ले की दूकानें खोली गई हैं उन पर बेचने हेतु प्रदेश का गल्ला दिया जाता है या विदेश का ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकारी गल्ले की दूकानों पर प्रदेश और विदेशा दोनों का गल्ला बेचने हेतु दिय जाता है ।

कृषि स्नातकों को विदेश यात्रा, अनुदान

*४०—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६२, ६३ और १९६४ में ट्रेवलिंग ग्रान्ट विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की कृषि विभाग संबंधी जिन लोगों को दी गयी है उनकी योग्यता क्या है और उनमें किन-किन लोगों को कितना-कितना रुपया इस मद में दिया गया ?

श्री चरण सिंह—

वित्तीय वर्ष १९६२–६३, १९६३–६४ और १९६४–६५ में जिन लोगों को विदेशों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिये यात्रा के आंशिक व्यय हेतु कृषि मंत्री की डिस्क्रीशनरी ग्रांट से अनुदान दिया गया है उनकी योग्यता तथा उनको प्रदत्त धनराशि की सूचना संलग्न सूची में दी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९७ पर।)

*४१—श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि कृषि विभाग के विद्यार्थी जो विदेश जा रहे हैं प्रथम श्रेणी की योग्यता रखते हुये भी उनको ट्रेवलिंग ग्रान्ट न देकर प्रोत्साहन इस संबंध में नहीं दिया जा रहा है और हतोत्साहित किया जा रहा है जब कि बजट में भी इस विभाग में योग्य शिक्षक न मिलने के कारण पी० एच० डी० और विदेश शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति तक मंजूर की गयी है ?

श्री चरण सिंह—

कृषि विभाग के जो कर्मचारी विदेश में प्रशिक्षण पाने के लिये विभाग की ओर से जाते हैं उनकी पूरी यात्रा का व्यय प्रदेशीय और विदेशी सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। अतएव विभागीय कर्मचारियों को ट्रेवलिंग ग्रांट देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*४२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

(हटा दिया गया।)

सगड़ी तहसील में ईंट भट्ठा लाइसेंस

*४३—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष १९६४ में आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में कुल कितने प्रार्थना–पत्र ईंट के भट्ठे के लाइसेन्स हेतु दिये गये थे ? उसमें कितने भट्ठों के खोलने की स्वीकृति दी गई है और उनके क्या नाम हैं ?

श्री जगमोहन सिंहनेगी—

सूचना निम्न प्रकार है—

(१) कुल प्रार्थना पत्रों की संख्या जो जिला पूर्ति कार्यालय में प्राप्त हुये....८।
(२) उन प्रार्थियों की संख्या जिनको भटठा खोलने की स्वीकृति दी गई....शून्य।
(३) ऐसे प्रार्थियों के नाम....प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निकाय पदाधिकारियों का प्रान्तीयकरण

*४४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार नागर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों के कुछ पदाधिकारियों के प्रांतीयकरण करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो पूरी योजना क्या है और किस-किस पद का तथा कब से प्रांतीयकरण करने का विचार है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां।

अभी प्रांतीयकरण की रूप रेखा तैयार की जा रही है।

सहारनपुर में जाली राशन कार्ड

*४५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर के मुहल्ला हकीकत नगर में श्री देशराज, सरकारी अन्न विक्रेता ने अधिकारियों को नवम्बर, ६४ में बताया कि उसके पास जो यूनिट्स दिये गये हैं उनमें से तकरीबन १५० राशन कार्ड्स वालों ने दो माह से कोई अन्न नहीं खरीदा है तथा वह तमाम यूनिट्स जाली हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। मामले की जांच की गई और बहुत से कार्ड फर्जी पाये गये। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही की जा रही है।

*४६—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या खाद्य मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि सहारनपुर नगर के मोहल्ला भटिया महल में एक मकान में लिखे २०० यूनिट्स जाली पाये गये जिनका कि जाली इन्दराज करके अनाज बिकता रहा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

भटिया महल में नहीं अपितु मुहल्ला शोरमियांन के एक मकान में १५६ जाली यूनिटें पाई गईं जिन पर राशन दिया जा रहा था। संबंधित सस्ते गल्ले की दूकान तुरन्त निलम्बित कर दी गई है और मामला पुलिस को सौंप दिया गया है।

*४७—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार इस बात को ध्यान में रख कर कि सहारनपुर नगर में प्रति राशन डिपो एक हजार से ऊपर जाली यूनिटों का राशन ब्लैक में जा रहा है, कोई उच्च स्तर पर कार्यवाही करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह नहीं कहा जा सकता है कि सहारनपुर नगर के सस्ते गल्ले की दूकानों पर कितने जाली यूनिटों द्वारा राशन निकल रहा है। फिर भी जाली कार्डों तथा यूनिटों की जांच का कार्य एक मैजिस्ट्रेट, तीन राज पत्रित अधिकारियों, ८० (अस्सी) होम गार्डों और चालीस विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों को दिया जा चुका है ।

*४८—श्री कल्पनाथसिंह—

[मार्च ६५ के लिये स्थगित किया गया।]

खाद्यान्नों के भाव में वृद्धि

*४९—श्री झारखंडे राय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत ३ मास में और अब में भावों के (खाद्यान्न के भावों के) कितने उतार चढ़ाव हुये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गत तीन मास अर्थात् नवम्बर-दिसम्बर, १९६४ और जनवरी १९६५ और अब अर्थात् फरवरी के प्रथम पखवारे में प्रचलित प्रमुख खाद्यान्नों के थोक औसत मूल्य की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है जिससे भावों का उतार चढ़ाव व्यक्त होगा ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९८ पर)

*५०—श्री झारखंडे राय—

क्या यह सही है कि गत कुछ दिनों में महंगाई और ज्यादा बढ़ी है और नई धान की फसल का बाजार भाव पर प्रायः नहीं के बराबर, प्रभाव पड़ा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नई धान की फसल आ जाने पर मूल्यों में अक्तूबर और नवम्बर, १९६४ के महीने में गिरावट हुई थी परन्तु अभाव के महीने के आगमन के साथ दिसम्बर, १९६४ और जनवरी, १९६५ में भावों में पुनः वृद्धि हुई ।

*५१—श्री झारखंडे राय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार कौन से उपाय इस अनवरत बढ़ती महंगाई की रोक थाम के लिये कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जनता को सहायता पहुंचाने के लिये राज्य सरकार ने सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा निर्धारित मूल्य पर वितरण के लिये अधिक से अधिक मात्रा में विदेशी गेहूं आटा, और प्रदेश में खरीदा गया चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा उपलब्ध किया । इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाहर गेहूं, धान, चावल, चना, ज्वार, बाजरा और मक्का ले जाने पर रोक लगाई । जखीरे-बाजी को रोकने के लिये एंटी होर्डिंग आदेश जारी किये । चावल के थोक और फुटकर भाव नियत किये गये जिसके फलस्वरूप अब भाव में गिरावट होना शुरू हो गई है ।

*५२-५३—श्री नाथूराम शिक्षक—

[चौथे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ५२-५३ के अन्तर्गत स्थनान्तरित किये गये।]

ग्राम गृह निर्माण योजना

*५४—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी गांव की आबादियों को प्लान के अनुसार बसाने की कोई योजना बना रखी है ? यदि हां, तो कब तक उसे कार्यान्वित करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की बस्तियों को नियोजन के अनुसार बसाने के लिये ग्राम गृह निर्माण योजना बना रखी है, जो कि उत्तर प्रदेश में फरवरी, १९५८ से कार्यान्वित है ।

खाद्यान्नों के भाव में वृद्धि

*५५—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौजूदा माली साल में एसेंशियल कमोडिटीज का भाव कितने प्रतिशत बढ़ा है और सरकार ने भावों को रोकने में क्या कार्य किये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रश्न के पहले भाग में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है । जहां तक भावों में वृद्धि के रोकने का प्रश्न है, खाद्यान्नों के भावों को बढ़ने से रोकने के लिये सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा निर्धारित मूल्य पर वितरण के लिये अधिक से अधिक मात्रा में विदेशी गेहूं आटा और प्रदेश में खरीदा गया चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का उपलब्ध किया गया । इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर गेहूं, धान, चावल, चना, ज्वार, बाजरा और मक्का के ले जाने पर प्रतिबन्ध है । जखीरेबाजी को रोकने के लिये एन्टीहोर्डिंग आदेश भी राज्य में लागू है । चावल के थोक और फुटकर भाव भी निर्धारित हैं । चीनी तथा मिट्टी के तेलों के भावों पर नियंत्रण है । सरसों के तेल के भावों को रोकने के लिये उत्तर प्रदेश आयलसीड्स प्रोडक्ट्स कंट्रोल आर्डर, १९६४, १९ अगस्त, १९६४ से राज्य में लागू है । कपड़े के लिये भारत सरकार के आदेशानुसार प्रदेश सरकार ने २०-१०-६४ से परिनियत मूल्य और उत्पादन नियंत्रण (Statutory Price and Production Controls) कुछ किस्म के कपड़ों पर लागू हैं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९९ पर)

रायबरेली जिले में जब्त किया गया अनाज

*५६—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार को पता है कि सन् १९६४ में रायबरेली जिले के अधिकारियों द्वारा काफी मात्रा में जखीरेबाजों का गल्ला पकड़ा गया है ? यदि हां, तो कितना गल्ला पकड़ा गया और वह गल्ला कहां है तथा उसका क्या उपयोग किया जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

रायबरेली जिले में कुल १,२२१–६४–९६० क्विंटल गल्ला पकड़ा गया । इसमें से –५९–७७० क्विंटल गल्ला मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा जनता को बेंचा गया । कदमों के फैसले अभी नहीं हुए । अतएव बाकी गल्ले का उपयोग अदालत की आज्ञानुसार [illegible]गा ।

*५७—श्री रतीपाल—

क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली जिले में रायबरेली के सरकारी गोदाम में काफी मात्रा में गहूं दिसम्बर, १९६४ में प्राप्त है लकिन अधिकारियों द्वारा एक हफ्ते में प्रति यूनिट एक किलो गेहूं, ५०० ग्राम आटा, २५० ग्राम चावल तथा २५० ग्राम मक्का दिया जाता है ? यदि हां, तो सरकार इसकी क्या व्यवस्था कर रही है कि जनता को संतोषजनक मात्रा में गल्ला वितरण किया जा सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। निर्धारित मात्रा के अनुसार ८ किलो प्रति व्यक्ति, प्रति मास खाद्यान्न का वितरण किया गया है। उक्त मात्रा से अधिक खाद्यान्न देने में सरकार असमर्थ ह।

गाय का दूध

*५८—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५१-५२ तथा १९६३-६४ में पूरे प्रदेश में गाय के दूध का कितना उत्पादन हुआ ?

श्री चरणसिंह—

वित्तीय वर्ष १९५१-५२ और १९६३-६४ में उत्तर प्रदेश में गाय के दूध के उत्पादन का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। हां, भारत सरकार के कृषि क्रय विक्रय परामर्श-दाता के अनुमान के अनुसार १९५१ में इस प्रदेश में दूध का उत्पादन लगभग ४६३.०२ लाख मन हुआ। वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*५९—श्री बेदराम—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाय के दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—

गाय के दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कई योजना कार्यान्वित की हैं, जिनके मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:—

(१) दुधारू पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिये कृत्रिम गर्भाधान और उन्नत सांड़ों की व्यवस्था।

(२) पशु रोगों के इलाज और रोकथाम के लिये अतिरिक्त पशु अस्पतालों और पशु सेवक केंद्रों की स्थापना।

(३) चारा और दाना के उत्पादन को बढ़ाने के लिये आधे दाम पर उन्नत और पौष्टिक चारा के बीजों का वितरण तथा चारा फसलों की सिंचाई पर राज्य सहायता। इसके अतिरिक्त चार पूर्वी जिलों में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये चारा विकास और कृत्रिम गर्भाधान के प्रगाढ़ीकरण की योजनायें चालू की गई हैं।

इसके अतिरिक्त लखनऊ, कानपुर, मेरठ और बुलन्दशहर के आस पास के क्षेत्रों में सघन पशु विकास खंडों की स्थापना के लिये १९,२८,१०० रु० की कुल लागत पर तीन योजनायें बनाई गई हैं, जिनको चालू वित्तीय वर्ष के द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों में सम्मिलित कर लिया गया है। इन योजनाओं के अन्तर्गत २८ कृत्रिम गर्भाधान केंद्र और २३ नये पशुपालन चिकित्सालय स्थापित करने, १३ पशु चिकित्सालय और २७ पशुपालन औषधालय खोलने, किसानों को बीज और सिंचाई के व्यय के निमित्त राज सहायता देने तथा उन्नत एवं पौष्टिक चारे की फसलों का किसानों के खेतों पर १२०० प्रदर्शन करने पर लगभग १५,००० एकड़ भूमि को चारा उत्पादन के अन्तर्गत लाने का विचार है।

कानपुर के गल्ला बाजार में बीज बिकने की शिकायत

*६०—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय बीज भंडार भीतरगांव, परगना घाटमपुर, जिला कानपुर का फाउन्डेशन सीड वहां के अधिकारियों द्वारा खाने के लिये कानपुर गल्ला बाजार में बिकते हुये अभी हाल में पकड़ा गया जबकि अनेकों किसान बीज पाये बिना रह गये ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि अनेक किसान बीज पाये बिना रह गये और कृषि बीज भंडार का 'आधार बीज' कानपुर बाजार में खाने के लिये बिकते पकड़ा गया, परन्तु एक व्यापारी के कोठे में कुछ गल्ला पाया गया जो भीतरगांव बीज भंडार से खरीदा गया बताया जाता है । मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है । संबंधित सहायक कृषि निरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया है तथा उचित कार्यवाही की जा रही है ।

*६१—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार इस प्रकार की घटनाओं की रोक-थाम के लिये कोई उचित कदम उठायेगी ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घट सके ?

श्री चरणसिंह—

इस प्रकार के मामले चोरी जैसे हैं जिनकी रोक थाम के लिये नियम और कानून मौजूद, हैं, कोई विशेष कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है ।

*६२–६३—श्री श्री राम तिवारी (जिला उन्नाव)—

[चौथे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ६२–६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५४–६६—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

[पांचवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५४–५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बांदा जिले में कोलुना–बदौसा सड़क

*६७—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा के कोल्डवा जंगल में जहां लकड़ी, बांस अच्छे किस्म का पैदा होता है उस जंगल से बदौसा तक जो कच्ची सड़क है, उस सड़क को पक्की करायेंगे ?

श्री चरणसिंह—

जिला बांदा में कोलुना से बदौसा तक की सड़क जिला परिषद् बांदा के नियंत्रण में है । अतएव इसे वन विभाग द्वारा पक्का कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

*६८—श्री मतोलासिंह—

[८ मार्च ६५ के लिये स्थगित किया गया ।]

स्थानीय निकायों के चुनाव

*६९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री नवम्बर एवं दिसम्बर, १९६४ में स्थानीय निकायों के जो ग्राम निर्वाचन हुये उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी देने की कृपा करेंगे :

(अ) कुल कितनी न० पा०, टा० ए० तथा नोटीफाइड एरियाओं के चुनाव हुये ?

(ब) सभी चुनावों में दल अनुसार विजयी हुये प्रत्याशियों का विवरण क्या हैं ?

(स) कुल कितने चेयरमैन निर्दलयीय हैं तथा कितने-कितने किस-किस पार्टी के हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

१२४ नगरपालिका, २६४ टाउन एरिया तथा २७ नोटीफाइड एरियाओं के चुनाव हुये। विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १०० पर)

भूमि संरक्षण विभाग, जिला जालौन के ओवरसियर की सिक्योरिटी पास बुक

*७०—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वायल कंजरवेशन विभाग में प्रदेश में जितने ओवरसियर सेवा से मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं उनमें से कितनों की ५००.०० रु० की सिक्योरिटी पास बुक्स को सरकार ने जब्त कर रखा है और क्यों और किस अपराध में ?

श्री चरणसिंह—

जितने भी ओवरसियर भूमि संरक्षण विभाग की सेवा से मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं उनमें से किसी की भी सिक्योरिटी जब्त नहीं की गई है।

*७१—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह जांच करायेगी कि जालौन जिले से सेवा से मुक्ति प्राप्त स्वायल कंजरवेशन ओवरसियर्स की सिक्योरिटी पास बुक्स को कहां-कहां और किस-किस अधिकारी ने रोक रखा है और क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि ओवरसियर्स के खिलाफ कोई चार्जेज नहीं हैं और उनकी सिक्योरिटी रोकी गई है, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। जांच कराई जा रही है। यदि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

*७२-७४—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

[८ मार्च, ६५ के लिये स्थगित किये गये]

मथुरा जिले में सस्ते गल्ले की दुकानें

*७५—श्री लखीसिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले को कितना गल्ला, चीनी, चावल प्रति माह दिया जाता है ?

R.A. 4089
132733
132733

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मथुरा जिले का गल्ला तथा चीनी का मासिक कोटा निम्नलिखित है :

१—गेहूं, आटा	..	..	..	८६४०	क्विन्टल
२—चावल	..	..	..	३२५०	क्विन्टल
३—चीनी	..	..	..	३३६०	क्विन्टल

*७६—श्री लखीसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जिले में देहात में कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें हैं तथा तहसील छाता में कितने व्यक्तियों को राशन दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। १०९ दूकानें। छाता तहसील में १७८८६ परिचय-पत्र तो सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से खाद्यान्न वितरण के लिये दिये गये हैं। खरीफ की फसल अच्छी होने के कारण इस समय केवल गर्की वाले क्षेत्र के निवासियों को ही खाद्यान्न दिया जा रहा है।

*७७—श्री लखीसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिक आमदनी वाले व्यक्तियों को सस्ता गल्ला न देकर गरीबों का राशन बढ़ाया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस सम्बन्ध में जिला सलाहकार समितियां सक्षम हैं। सरकार उनके निश्चय को ही साधारणतः स्वीकार कर लेती है।

पीलीभीत व देवरिया जिले में चावल के निर्यात व आयात पर प्रतिबन्ध

*७८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक लखनऊ ने कोई आदेश दिसम्बर, १९६४ में निकाल कर के पीलीभीत व बीसलपुर आदि स्थानों से गोरखपुर और देवरिया जिलों के लिये चावल बेचने एवं भेजने पर प्रतिबन्ध कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर पीलीभीत एवं बीसलपुर ने स्थानीय रेलवे स्टेशन मास्टरों को बुकिंग बन्द करने का आदेश क्यों दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं। क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ ने पीलीभीत तथा बीसलपुर की चावल मिलों से अनुरोध अवश्य किया था कि वे लखनऊ तथा पर्वतीय जिलों में चावल की असाधारण कमी तथा मूल्यों की वृद्धि को देखते हुये चावल इन्हीं क्षेत्रों में भेजें। सीनियर मार्केटिंग इंसपेक्टर बीसलपुर ने स्थानीय स्टेशन मास्टर को गलतफहमी से आदेश दे दिया कि वे लखनऊ रीजन से बाहर चावल न भेजें। यह आदेश उन्होंने एक महीने के बाद वापस ले लिया। ऐसा गलत आदेश देने के लिये एस० एम० आई० से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और तत्पश्चात् समुचित कार्यवाही की जायेगी। पीलीभीत के सीनियर मारकेटिंग इंस्पेक्टर ने भी स्थानीय स्टेशन मास्टर से केवल यह पूंछताछ की कि, उन्होंने कितने बैगन रीजन से बाहर बुक किये।

*७९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोटे अनाजों की सरकारी खरीद सरप्लस जिलों में अब तक क्यों नहीं शुरू की गयी जबकि यह आदेश गत १८ दिसम्बर, १९६४ से ही लागू है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

खरीफ के मोटे अनाजों की खरीदारी हो रही है और अब तक ५१,४३४ टन अनाज खरीदा जा चुका है। मक्के की खरीदारी ८ जनवरी, १९६५ से बन्द कर दी गयी है।

*८०—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला को पूर्ण रूप से अन्न के मामले में अभावग्रस्त मानते हुये, पूरे गोरखपुर जिला से चावल की खरीद करने से वंचित करने का क्या कारण है ? यदि कोई ट्रांस राप्ती क्षेत्र का प्रतिबन्ध है तो क्या सरकार उसे तत्काल हटाकर देवरिया जिले के व्यापारियों को सुविधा प्रदान करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

देवरिया जिले के लिये गोरखपुर जिले को ट्रांस राप्ती क्षेत्र को छोड़कर शेष अन्य भाग से चावल लाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। इस समय ऐसे आदेश कर दिये गये हैं जिनके अनुसार गोरखपुर के ट्रांस राप्ती क्षेत्र से गोरखपुर रीजन में कहीं भी चावल ले जाया जा सकता है जिसमें देवरिया भी सम्मिलित है।

आजमगढ़ जिले को सीमेंट

*८१—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत कुछ महीनों से आजमगढ़ जिले को भेजे जाने वाले सीमेंट के निर्धारित कोटे में कमी कर दी गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। बढ़ती हुई सरकारी विभागों की मांग को पूरा करने हेतु सभी जिलों का पब्लिक कोटा थोड़ा कम जरूर हुआ है।

मृतिका गवेषणालय, झांसी

*८२—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड में जो मृतिका गवेषणालय झांसी में खोला गया है उसमें सरकार अपनी ओर से गांव की मिट्टी लेखपालों द्वारा मंगवा कर उसकी जांच कराकर उन्हें रोटेशन आफ क्राप्स बताये जाने की व्यवस्था क्यों नहीं करती और उसमें सरकार को क्या असुविधा है।

श्री चरणसिंह—

लेखपालों पर कार्यभार पहिले से ही अधिक है। उनके द्वारा नमूने लेने की व्यवस्था करने से यह कार्य अधिक प्रगति न कर सकेगा। दूसरी बात यह है कि मिट्टी का नमूना लेने की विशेष विधि है जिसका प्रशिक्षण विकास कर्मचारियों को दिया जाता है। लेखपाल इसके लिए प्रशिक्षित नहीं हैं।

कोथावां विकास खंड में खाद्य वितरण की जांच

*८३—श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३१ जुलाई, १९६४ को प्रश्नकर्ता द्वारा दी गई हरदोई जिले के विकास खंड कोथावा के ग्राम सिकन्दरपुर में खाद वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम ५२ की सूचना जो कि श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिये सम्बन्धित मंत्री के पास भेजी गई थी उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चरणसिंह—

इस सम्बन्ध में जांच की गई और शिकायतें सही साबित नहीं हो सकीं ।

*८४-८५.—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

[हटा दिये गये]

फर्रुखाबाद जिले में वन विभाग द्वारा हस्तगत भूमि

*८६—श्री होरीलाल यादव—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा औसर तथा सिगरी जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कितनी भूमि वन विभाग द्वारा हस्तगत की गई है ? उस ली गई भूमि में ऐसी कितनी भूमि है जिस पर काश्तकारों का जमींदारी विनाश के पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है और वह जमीन काश्तकारों के नाम से दर्ज है ?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

हसायन तथा सिकन्दराराव विकास खंडों में बीज वितरण

१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ के ब्लाक हसायन और सिकन्दराराव में रबी की फसल के लिये कितने गेहूं, चना और मटर की आवश्यकता थी और सरकार ने इस मांग की पूर्ति के लिये दिसम्बर तक क्या कदम उठाये हैं और कितना गेहूं, कितना चना और कितनी मटर किसानों को प्रदान किया गया ?

श्री चरणसिंह—

हसायन तथा सिकन्दराराव विकास क्षेत्रों में गेहूं, चना और मटर के बीज की मांग तथा किसानों को बांटे गये बीज के आंकड़े संलग्न तालिका में हैं ।

बीज की मांग की पूर्ति करने के लिये सरकार ने पंजाब से गेहूं का बीज मंगा कर किसानों को सवाया पर इस वर्ष बांटा है । चना तथा मटर का बीज बाहर से नहीं प्राप्त हो सका था । अतः जितना बीज उपलब्ध हो सका वह बांटा गया ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १०१ पर)

खाद्यान्नों का निर्धारित मूल्य

२—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बतलायेंगे कि निर्धारित मूल्य पर अनाज बेचने का आदेश सरकार ने प्रदेश में किस तिथि से लागू किये और कितने दिनों के बाद उसमें यह संशोधन कर दिया कि ५० प्रतिशत अनाज पर निर्धारित मूल्य नहीं लागू होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

खरीफ के मोटे अनाजों पर मूल्य नियंत्रण आदेश १२ अक्तूबर, १९६४ को जारी किया गया । उसके सवा दो महीने बाद १८ दिसम्बर, १९६४ को मूल्य नियंत्रण हटाने का आदेश जारी हुआ । मूल्य नियंत्रण एकाधिकार खरीदारी प्रणाली के साथ लागू किया था । जब ५० प्रतिशत माल

थोड़े जिलों में खरीदारी की नीति लेवी द्वारा तय हुई तो केवल सरकार को माल देने का भाव लागू रहा थोक या खुर्दा बिक्री के भाव पर कोई नियंत्रण न रहा और न लेवी से छूटे हुए माल पर।

३-४— श्री मतोलासिंह—

[हटा दिये गये।]

इलाहाबाद जिले में पकड़ा गया अनाज

५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में थाना धूमनगंज के अन्तर्गत दिनांक ८ जनवरी, १९६५ को १२४ बोरा चावल डी० आई० आर० के अन्तगत पकड़ा गया था? यदि हां, तो उससे सम्बन्धित कितने आदमी पकड़े गये और घटना क्या थी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं, दिनांक ८-१-६५ को कोई चावल या अन्य गल्ला नहीं पकड़ा गया। किन्तु दिनांक ६-१-६५ को थाना धूमनगंज में दो ट्रक गल्ला पकड़ा गया जिसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १०२ पर)

अन्न संचय विरोधी आदेश के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

६—श्री झारखंडे राय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संचय विरोधी आदेश लागू होने के बाद अब तक राज्य भर में कितनी कायवाहियां की गई हैं, कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं, कितनों को सजायें कितनी-कितनी हुई हैं, कितनों पर केस चलाये गये हैं और सरकारी कार्यवाही के फलस्वरूप कितना गल्ला किस-किस प्रकार का मिला है और उस गल्ले के वितरण की क्या व्यवस्था की गई है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

संचय विरोधी आदेश के अन्तर्गत १९२५ छापे मारे गये, ७९२ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, ६४८ मुकदमें चलायें गये, १० में दंड दिया गया। इस कार्यवाही के फलस्वरूप १,४१,०१०·२९ क्विन्टल गल्ला, जिसमें गेहूं, चावल, चना, बेझर आदि खाद्यान्न शामिल हैं, पकड़ा गया। इस गल्ले के वितरण की व्यवस्था अदालत के आदेशानुसार की गई।

७—श्री झारखंडे राय—

इस आदेश के लागू होने के बाद तथा सरकारी कार्यवाही होने के बाद खाद्यान्न के भावों के उतार चढ़ाव पर क्या प्रभाव पड़ा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

संचय विरोधी आदेश के लागू होने के बाद खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि तथा भावों में भी कुछ कमी आई परन्तु छापे मारने के बाद खाद्यान्नों की उपलब्धता में कमी आ गई और भाव भी ऊपर चढ़ने लगे।

मुरादाबाद जिले को टीन शीट्स

८—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १ जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक जिला मुरादाबाद को कितनी टीन शीट्स दी गयीं ? इस अवधि में कितनी टीन शीट्स ग्रामीण क्षेत्रों को दी गयीं तथा कितनी शहरी क्षेत्रों को दी गयीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला मुरादाबाद में दिनांक १-१-६४ वे ३१-१२-६४ तक १२८ टन नालीदार चादरें प्राप्त हुईं जिनका वितरण निम्न प्रकार है :

ग्रामीण क्षेत्र ...	३८ मै० टन ९०३ कि० ग्राम
शहरी क्षेत्र ...	८८ मै० टन ९२८ कि० ग्राम

९—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक जिला मुरादाबाद में डी० एस० ओ० के दफ्तर से किस-किस के नाम एक टन से ज्यादा के परमिट जारी किये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी ' ङ ' आगे पृष्ठ १०३ पर)

१०-११—श्री मतोलासिंह—

[८ मार्च ६५ के लिये स्थगित किये गये ।]

श्री टम्बेश्वरप्रसाद के विरुद्ध विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये गये प्रश्न पर परिप्रश्न

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे समाचार-पत्रों द्वारा विदित हुआ है कि मेरे विरुद्ध एक विशेषाधिकार का प्रश्न आपने विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया है । मैं समझता हूं वह बिलकुल नियमों के विरुद्ध है । इसलिये मैं २,३ निवेदन आपके सम्मुख करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

जहां तक उसका प्रश्न है आप विशेषाधिकार समिति के सामने कह सकते हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं विशेषाधिकार समिति के सामने क्यों जाऊं वह प्रश्न वहां नहीं जा सकता । आप मेरा निवेदन सुन लें । एक तो यह है कि कोई भी शब्द अगर मैं प्रयोग करूं जिस पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है तो आपको तुरन्त मुझे प्वाइंट आउट करना चाहिये कि यह शब्द असंसदीय है । लेकिन आपने ऐसा नहीं किया.....

श्री अध्यक्ष—

इसमें निवेदन का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

आपने उस विषय को विशेषाधिकार समिति को भेजा जब कि मैं सदन में नहीं था। इससे बड़ी ज्यादती आप मेरे साथ और क्या कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

शब्द "बड़ी ज्यादती मेरे साथ और क्या कर सकते हैं" असंसदीय हैं, आप इन्हें वापस लें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

'ज्यादती' शब्द असंसदीय नहीं है, यह शब्द प्रयोग हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

अध्यक्ष के लिये यह शब्द कभी प्रयोग में नहीं आता। आप वापस लें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैं उसे वापस लेता हूं। मेरा निवेदन है कि आपने अध्यक्ष पद से कह दिया कार्यवाही में कि टम्बेश्वर प्रसाद को इसकी प्रतिलिपि मिल चुकी है। मैं कार्यवाही देख आया हूं....

श्री अध्यक्ष---

किसकी प्रतिलिपि ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मेरे खिलाफ जो विशेषाधिकार का प्रश्न आया मेरी अनुपस्थिति में, उसकी प्रतिलिपि मुझे सदस्य की हैसियत से मिलनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष---

यह किसने कहा कि मिल चुकी है ? आप कार्यवाही देख लें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैंने कार्यवाही देख ली है आप मंगा कर देख लें।

श्री अध्यक्ष---

अब आप बैठ जायं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

आप मेरी बात सुन लें। क्या नियमों की कार्यवाही ताक पर रख दी गयी है....

श्री अध्यक्ष---

मैंने एक आदेश दे दिया है कि वह समाप्त हो गया।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

आपका आदेश नियमों के विरुद्ध हो तो क्या मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकता ?

श्री अध्यक्ष---

आप नियमों के अन्तर्गत लिख कर दीजिये। इस वक्त नहीं सुनूंगा। आप लिख कर दीजिये, मैं देखूंगा।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जब आपने कहा था कि यह सब मेरे समक्ष हुआ, मैंने कहा क्यों विशेषाधिकार समिति को भेज दिया, तो आपने कहा कि मेरे सामने हुआ। हमने कहा कि माननीय बृजभूषण-शरण ने याद दिलाया तब आपने कहा।

श्री अध्यक्ष—

जिस समय माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने यह कहा उसके बाद ही फौरन माननीय बृजभूषण शरण ने कहा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

कृपा कर मेरी कार्यवाही मुझसे कनफर्म करा ली होती। बिना कनफर्म किये कैस सही मान लेते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपको जो कुछ कहना है, लिख कर दीजिये।

श्री बनारसीदास द्वारा अधिष्ठाता के प्रति आपत्तिजनक शब्दों के कथित प्रयोग करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी ने विशेषाधिकार की एक सूचना हमें दी थी कि माननीय संसदीय मंत्री ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया जो कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया और मेरी मंशा भी नहीं थी कि उनके प्रति अनादरसूचक बात कहूं। अतः व्यवस्था का वह प्रश्न नहीं उठता।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैं १८ तारीख को सदन में जब प्रिजाइड कर रहा था, उस समय माननीय बनारसीदास डायस पर आये। सबसे पहले सचिवालय के एक अधिकारी को भेजा कि उनकी सूची से मैं बुलाऊं जो लिस्ट में नाम दिये हुये हैं, उनको बुलवावें। जब मैंने माननीय वीरसेन जी को बुलाया तो वे मंच पर आये और उन्होंने कहा "आई कैननाट टालरेट दीज" मुझे धमकी दी।

श्री अध्यक्ष—

जब वे कहते हैं कि मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उनकी मंशा आपका अपमान करने की नहीं थी.....

श्री मुकुटबिहारी लाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप माननीय टम्बेश्वर प्रसाद की बात सुनना क्यों नहीं पसन्द करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

क्या माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने खड़े होकर यह कहा है कि मैंने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, किन शब्दों का, उनके प्रिविलेज मोशन की प्रतिलिपि नहीं मिली, आप किन शब्दों के लिये कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपको जो कुछ कहना है वह लिखकर दे दीजिये। इस समय मैं नहीं सुन सकता हूं।

एक सदस्य—

श्रीमन्, पीठासीन अधिकारी को अधिकार है कि वह जिसको चाहे, बुलवाये। श्रीमन्, इस पर आप फैसला करें क्योंकि पीठासीन अधिकारी के अधिकार आपसे कम नहीं हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, इस समय माननीय बनारसीदास सदन में नहीं हैं। जब तक वे सदन में नहीं आते तब तक आप कोई निर्णय लें तो हम कैसे मान लें कि उनका कहना ठीक है। माननीय बनारसीदास बतायें तो क्यों गये थे मंच पर मुझसे कहने। मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि वे डाइस पर गये। पता नहीं क्यों, जानबूझ कर नहीं आये। जब तक वे सदन में आवें। उनके लिखे हुए को सही न माना जाय। मैं सचिवालय के अधिकारी से कहला सकता हूं कि माननीय बनारसीदास जी ने उन्हें यह कहलाया कि उनकी सूची से मैं बुलाऊं। तो श्रीमन्, यह एक बड़ा सवाल है और गम्भीर एवम् महत्वपूर्ण हैं। यह अध्यक्ष पद का अपमान है। इसलिये आप इसको गम्भीरतापूर्वक लें और यदि आप इसको अस्वीकार करते हैं, तो अधिष्ठाता मंडल से मेरा त्याग-पत्र स्वीकार कर लें। मैं उस अपमान को सहन नहीं कर सकता।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, बनारसीदास जी के इस पत्र को सदन की प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द कर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी, आप बीच-बीच में क्यों बोलते हैं ?

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। एक माननीय सदस्य, जो अध्यक्ष पद पर पीठासीन थे और आपके अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी हैं, ने शपथपूर्वक एक बात आपके सामने कही। मंत्री जी की बात सही है या पीठासीन अधिकारी की बात सही है, इस पर आप व्यवस्था दें ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, माननीय नेकराम जी का अपमान नहीं, वह तो आपका अपमान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठें। जो माननीय नेकराम जी ने कहा उसके बारे में मैं निवेदन कर दूं। जहां तक मंच तक आने का प्रश्न है मैं देख रहा हूं कि इधर जब से सदन प्रारम्भ हुआ है मंच पर आदरणीय सदस्य आ जाते हैं और कुछ मुझसे बातचीत करते हैं, कुछ सचिव से बातचीत करते हैं यह प्रश्न माननीय खेर साहब के सामने भी उठा था और उन्होंने यह कहा था कि मेरे लिये तो यह मुश्किल है कि मैं किसी सदस्य से कहूं कि आप मंच पर न आयें और मुझ से न बोलें। कदाचित् वह इसमें अपना अपमान समझेंगे लेकिन सदस्यगण को स्वयं इस बात का ध्यान रखना चाहिये और कुछ कहना सुनना हो तो लिखकर दें, ताकि उस पर उपयुक्त विचार हो सके, और संभव हो तो उसी समय व्यवस्था दे सकूं और न हो सके तो न दूं। लेकिन यहां आकर मुझ से

कुछ कहना कदाचित् अधिक उचित नहीं है, इस वास्ते कि भिन्न प्रकार की शंकायें उठ जाती हैं और खास कर सरकारी दल की तरफ से जब कोई सदस्य मंच पर आते हैं तो उससे और भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की स्थिति में विभ्रम पैदा होता है। तो यह नहीं होना चाहिये ऐसा मेरा निश्चित मत है और मैं चाहूंगा कि कृपा करके अगर सदस्यगण न आयें तो मैं बड़ा अनुगृहीत हूंगा और मैं आदेश तो जैसा कि माननीय खेर साहब ने भी कहा था कैसे दे सकता हूं।

अब यह सवाल है जो श्री राधेश्याम जी ने उठाया। दो बातें हैं एक तरफ तो माननीय नेकराम जी कहते हैं कि उन्होंने यह बात कही है और दूसरी ओर माननीय बनारसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसी बात नहीं कही है। पिछली मर्तबा भी ऐसा प्रश्न उठा था, जिसको माननीय काशीनाथ मिश्र ने उठाया था। उस समय भी मैंने निवेदन किया था माननीय दत्ता के संबंध में, और वही फिर आदरणीय सदन के समक्ष निवेदन किये देता हूं कि यदि कोई माननीय सदस्य कहते हैं कि हमने अमुक शब्द का प्रयोग नहीं किया और वास्तव में किया भी नहीं, तो ठीक है, उसे मान लिया जाय। अगर थोड़ी देर के लिये वह गलत बात कहते हैं और वस्तुतः उन शब्दों का प्रयोग करने के बावजूद भी कह दें कि हमने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो उनकी मंशा यह जरूर मानी जावेगी कि जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, उनको वह वापस ले रहे हैं। तो उसी प्रथा का अनुकरण मैं फिर कर रहा हूं। अगर मैंने कोई बात कही और बाद में कह दिया कि मैंने नहीं कहा, तो इसका मतलब यह है कि एक तरह से अपना पश्चाताप उन महानुभाव के सामने रख रहा हूं जिनके लिये मैंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था। दोनों सूरतों में हमको चाहिये कि उस माननीय सदस्य की बात मान कर विषय को समाप्त करें। विशेषाधिकार के प्रश्न को उठा कर सदन के अन्दर विक्षुब्ध वातावरण पैदा किया जाय यह हमारे लिये शोभा नहीं देता है। ऐसी स्थिति में मैं इस विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में यह उचित समझता हूं कि जब माननीय सदस्य ने कह दिया कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया तो उनका कहा मान कर, विषय समाप्त किया जावे और मैं उसे समाप्त करता हूं (व्यवधान)।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मुझे भी निवेदन करना है .....

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप कब तक बोलने नहीं देंगे। सदन से निकाल देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़िये। आप को जिस तरह से बोलना चाहिये उस तरह आप नहीं बोल रहे हैं। अब आप इस विषय पर नहीं बोलेंगे। आप से कह दिया कि आप लिख कर दें दें तो आप लिख कर दे नहीं रहे हैं और किसी विषय पर आपको कहना हो तो कह सकते हैं। जब आप दूसरी बात कहेंगे तो मैं सुनूंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, दूसरी बात ही कह रहा हूं। माननीय नेकराम शर्मा जी का प्रसंग चल रहा था वह खत्म हुआ। अब श्रीमन् .....

श्री अध्यक्ष—

दूसरी बात कहिये।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, खेद का विषय है मैं नहीं समझता कि मैंने क्या कह दिया । मैं पूछता हूं कि मैंने क्या कह दिया ।

श्री अध्यक्ष—

मेरा निवेदन यह है कि शान्तिपूर्वक बातचीत करिये । जो कहना हो कह लीजिये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि कम से कम मंत्री जी यहां सामने आकर अपना वक्तव्य दे दें तो अच्छा हो । इसमें अध्यक्ष पीठ की फिर सफाई हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

हमारे नियम ६४–६५ में यह है कि अगर किसी सदस्य के विरुद्ध कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जाय तो अध्यक्ष उनसे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । मैंने जानकारी प्राप्त कर ली । फिर आगे यह है कि अगर जानकारी प्राप्त करने के बाद वह समझते हैं कि सम्मति देने की जरूरत नहीं है तो नहीं देंगे और समझते हैं कि है तो कार्यवाही करेंगे उनके अन्तर्गत जो मैंने कार्यवाही की है, उचित है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं हो सकता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, एक बात मैं कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

पहले मैं नियम ५२ की सूचनाओं को खत्म कर लूं ।

देवरिया जिले के गांवों में फसलों के चोरी से काटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास कई सूचनायें आई हैं । इनमें माननीय चन्द्रबलीसिंह जी की सूचना को मैंने स्वीकार किया है और माननीय उग्रसेन जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि किसी महिला के संबंध में सूचना में नाम वगैरा देना, किसी तरह से ठीक नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, हमने नाम नहीं दिया है हम यह चाहते हैं कि मंत्री जी सूचना मंगा कर सदन को दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह कहना चाहता था कि जहां पर किसी महिला की आबरू का प्रश्न हो वहां हम यथाशक्ति उसका पता तथा उसके बाप का नाम आदि न दें तो ज्यादा अच्छा है । अगर उन्होंने

वक्तव्य पढ़ दिया तो बेचारी अबला का क्या होगा पता नहीं। इसलिये मैं इसको केवल मंत्री जी के पास कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, और वे सदन को सूचना दें।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

श्रीमन्, आपने बड़ी इनायत फरमाई। यह कागज मेरे पास आ गया है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, हमारा प्रश्न मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिया जाय, उनसे जांच करायें और इस पर कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राममूर्ति से) आपके पास गया है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है मैं ऐसे मामले में बड़ी सख्त कार्यवाही किया करता हूं। मालूमात चाहें तो मंगा सकता हूं लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसमें होम मिनिस्टर ऐक्शन ले सकते हैं मैं सूचना मंगा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया तशरीफ रखें। अगर मैं किसी विषय को किसी मंत्री के पास भेजता हूं तो दरअसल में मैं गवर्नमेन्ट के पास भेजता हूं। अगर आपसे संबंध नहीं हैं या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट किसी दूसरे से करा सकती है तो आप कर दें।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, कोई मंत्री कर दें तो हमें संतोष हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

जी हां। अब माननीय चन्द्रबली सिंह जी की सूचना जो मैंने स्वीकार की है, उस संबंध में मैं बताये देता हूं कि यह केवल उन गांवों के संबंध में सूचना सदन में दी जायगी जिनका नाम आपने लिखा है। माननीय चन्द्रबली सिंह जी की सूचना जो नियम ५२ के अन्तर्गत है, सचिव सुनाये देते हैं।

सचिव, विधान सभा—

"देवरिया जिला के रुद्रपुर थाने के गांव में डहरौली बुजुर्ग, कोयलागडा, पिपरा, कछार, बैलवा दुबोली, भगवान माझा, बनिया पार, केडरी जगन्नाथपुर, नकइल, केवटलिया, देवकली जयराम, हिबंई आदि पचासों गावों में कच्ची फसलें रोज-रोज चोरी से व्यापक पैमाने पर काटी जा रही हैं। इस प्रकार फसल कटाई से लगभग २ हजार बीघे से अधिक की फसल काटी जा चुकी हैं। इस प्रकार कोई रोकथाम न होने के कारण हजारों बीघे और कच्ची फसल और बाद को हजारों बीघे पकी फसलें काट ली जावेंगी। सरकार और अध्यक्ष को भी ऐसी सूचनायें मिली हैं। जनता में घोर असंतोष, असुरक्षा और जीविका के एकदम से समाप्त हो जाने की भावना भर गई है। हाय तोबा मची है, कोई पुरसांहाल नहीं हैं, विषम परिस्थिति आकर उपस्थित हुई है।

अस्तु इसे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

श्री अध्यक्ष—

इसको, चूंकि इस समय खाद्यान्न की स्थिति को देखकर मैं महत्व दे रहा हूं माननीय मंत्री इस पर आप कब वक्तव्य दे सकेंगे ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

४ मार्च को दे दूंगा।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद के विरुद्ध विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये गये प्रश्न पर परिप्रश्न (क्रमागत)

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को आप स्पष्ट करें कि जब माननीय नेकराम शर्मा जी ने एक बात आपको कही, उस पर आपने बनारसीदास जी से एक स्टेटमेंट लिया और टम्बेश्वर प्रसाद जी के खिलाफ अभी एक विशेषाधिकार का प्रश्न आया तो आपने उनसे कोई स्पष्टीकरण या कोई चीज नहीं मांगी और न उनको कोई प्वाइन्ट आउट किया।

श्री अध्यक्ष—

सूरत यह है कि जब मैं किसी प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करता हूं तो उसका अर्थ यह नहीं है कि मैं यह मान लेता हूं कि प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना हुई। विशेषाधिकार समिति को अधिकार है कि वह इस प्रश्न का अन्वेषण करे कि ऐसी घटना हुई या नहीं। यदि घटना हुई, तो उससे विशेषाधिकार की अवहेलना होती है या नहीं और अगर यह घटना हुई और विशेषाधिकार की अवहेलना हुई तो इसके ऊपर क्या कोई कार्यवाही होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये आदि। उस समय मेरा खयाल यह है जहां तक मुझे स्मरण है कि जब मेरे पास सूचना आई तो मैंने कहा कि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी सदन में नहीं है, उनको इस संबंध में जानकारी रखने का अवसर मिले। इसलिये मैं विशेषाधिकार समिति को भेज रहा हूं, यह मैंने कहा है, कार्यवाही में देख लूंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

तो आपने यही कहा कि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी नहीं हैं.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी ने यह प्रश्न उठाया कि प्रतिलिपि उनको नहीं मिली है तो मैंने यह कहा है कि मेरा खयाल है कि प्रतिलिपि दे दी जायगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आपने यह कहा है कि प्रतिलिपि उनको दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह नहीं कहा है कि प्रतिलिपि उनको दे दी गई है। खयाल है कि मैंने यह कहा है कि प्रतिलिपि उनको दे दी जायगी। मैं देखूंगा, लेकिन मेरी मन्शा यह कभी नहीं थी कि प्रतिलिपि न दी जावे क्योंकि आदरणीय सदन के सामने यह बात कही गई।

प्रदेश में चीन से तस्करी द्वारा आये हुये सामान की बाजारों में बिक्री के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, चीन की तस्करी के बारे में माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

*विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री टम्ब्रेश्वर प्रसाद जी तथा श्री मुकुट बिहारीलाल ने नियम ५२ के अन्तर्गत इस आशय का प्रश्न उठाया है कि प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा सीमावर्ती इलाकों में चीन से तस्करी द्वारा आया हुआ दैनिक उपयोग का सामान जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टार्च, पेस्ट, ब्रुश, पेन प्लास्टिक का सामान, रेशमी कपड़ा आदि प्रदेश की तुलना में काफी सस्ती कीमत पर बिक रहा है, जिसके कारण अर्थ व्यवस्था व बाजारों पर विपरीत परिणाम पड़ रहा है।

२--इस विषय में मुझे सदन को यह सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश व नेपाल के बीच सीमा बहुत लंबी है और इस प्रदेश के नौ जिलों से मिलती है। जो इस प्रकार हैं: पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, पीलाभीत, खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती व गोरखपुर। दोनों देशों की सीमा के बीच कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं है। नैपाल व भारत के बीच व्यापार पर प्रतिबन्ध नहीं है। सीमा पर रहने वाले भारतीय व नेपाली निवासियों के बीच सामाजिक संबंध में काफी गहरे हैं जिसके फलस्वरूप दोनों देशों में लोगों का आवागमन जारी रहता है। तस्करी के बारे में सरकार को समाचार पत्रों द्वारा भी सूचना मिली है। इस विषय में जांच से यह पता चला कि आजकल विदेशी सहायता कार्यक्रम के अनुसार नेपाल में विभिन्न देशों से विदेशी माल काफी मात्रा में आता है। यह मालूम हुआ है कि नेपाल से आनेवाले कुछ लोग कभी-कभी कुछ विदेशी माल अपने साथ भारत ले आते हैं, परन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि चीनी माल तस्करी से उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है और जिस कारण प्रदेश के बाजारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा हो। इस विषय में यह कह देना उचित होगा कि तस्करी रोकने की जिम्मेदारी केन्द्रीय कस्टम विभाग की है और वे ही इस विषय में उचित कार्यवाही करते हैं। उन्होंने सीमा पर स्थित अपनी चौकियों को सतर्क रहने के आदेश दे रखे हैं और उन्हें दोहराया जा रहा है। जहां तक प्रदेश की पुलिस का संबंध है उन्हें सी ऐन्ड लैन्ड कस्टम्स ऐक्ट के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। इस बारे में कार्यवाही केन्द्रीय कस्टम विभाग द्वारा की जाती है।

३--उपरोक्त स्थिति के बावजूद प्रदेशीय सरकार तस्करी को रोकने के लिये तत्पर है। सीमावर्ती पुलिस चौकियों व जिला अधिकारियों को यह आदेश हैं कि वे तस्करी पर कड़ी नजर रखें व कोई मामला सामने आते ही सूचना दें ताकि उचित कार्यवाही की जा सके। इस विषय में संबंधित सदस्य महोदयों से भी मेरा निवेदन है कि यदि उनके पास किसी तस्करी के मामले की सूचना हो तो वे उसे सरकार के पास भेजने का कष्ट करें ताकि उस पर उचित कार्यवाही की जा सके।

श्री टम्ब्रेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान लोक सभा में केन्द्रीय मंत्री के द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश इन स्थानों पर इस प्रकार का माल आ रहा है और बड़ा खतरनाक है और वह इसको बड़ी सीरियसली लेते हैं और उन्होंने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बेश्र प्रसाद]

इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई सूचना भेजी है। और इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी का कोई ध्यान गया है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपलानी)—

इस बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है मगर ऐसी खबरें समय-समय पर आती रहीं, तब हम लोगों ने मैजिस्ट्रेटों और एस० पी० को बार्डर पर भेज पर जांच कराई है लेकिन जो कुछ भी इन्फार्मेशन मिली है उससे यह मालूम होता है कि कमर्शियल स्केल पर स्मगलिंग तो नहीं हो रही है लेकिन जो लोग यहां आते हैं वे अपनी जेबों में रखकर सामान ले आते हैं। हमने कस्टम डिपार्टमेंट को कह दिया है कि वे सख्त निगरानी रखें और हमने अपनी पुलिस से भी कह दिया है कि पूरी निगरानी रखी जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या इस बात की भी सूचना उनको है कि केवल लोग ही नहीं बैंकों के द्वारा भी रुपयों के ट्रांजेक्शन होते हैं और माल आता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हमें उसकी सूचना नहीं है। आपके पास हो तो भेजें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार इस बात की जांच विशेष सी० आई० डी० द्वारा करायेगी कि गोरखपुर और बस्ती जिलों के अधिकारी स्वंय कोट का कपड़ा, फाउन्टेनपैन, घड़ियां, ट्रांजिस्टर सेट्स काफी संख्या में नेपाल, मैरहवां और झण्डानगर से लाकर इस्तेमाल करते हैं और छोटे अधिकारियों से भी कहते हैं कि खरीदो ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बस्ती जिले के बारे में तो मैं माननीय सदस्य की बात नहीं मान सकती क्योंकि तीन चार दिन हुये जब मैं वहां गयी थी और वहां मैंने अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की थी। गोरखपुर के बारे में मौका नहीं हुआ, उसके बारे में जांच की जायगी अगर बात सही होगी तो रोका जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि तस्करी व्यापार नहीं हो रहा है। श्रीमन्, जितने फाउन्टेनपेन आप चाहें चीन के बने लखनऊ के बाजार में आप खरीद सकते हैं। मैं पकड़वा सकता हूं। कल मैं सदन में ला सकता हूं। बहराइच में हमारी जो सीमा है उसमें रूपैडीहा स्थान है कोई अमेरिकन पादरी काम करते है उनके पास उत्तर प्रदेश सरकार का कोई बार्डर परिपत्र है जिसके द्वारा वे बेखटके जाया आया करते हैं और पुलिस उनसे हस्तक्षेप नहीं करती है। तो क्या सरकार उस पादरी पर कड़ी निगरानी रखने के संबंध में कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस सूचना को नोटिस मानकर इस पर जांच की जायगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार के पास कोई ऐसी सचना है कि ऐसा कोई देशी या विदेशी गैंग है जो बार्डर के कंट्रीज, जैसे नेपाल, चीन या बर्मा से माल लाकर यहां पर व्यापार करता है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ऐसे किसी गैंग की सूचना नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री जी को पता है कि गोरखपुर और दूसरे जिले जो नेपाल के साथ लगे हुये हैं वहां गांजे और अफीम का व्यापार आज तक होता चला आया है। वही लोग अपना संबंध नेपाल से बनाये हुये हैं और उन्हीं की मारफत चीन का सामान सस्ता पड़ता है, आता है और यहां आकर काफी धन मिल जाता है। यही लोग इस व्यापार को संभाले हुये हैं, इसका पता मंत्री जी को है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी कोई सूचना तो नहीं है लेकिन अगर आपकी कोई जानकारी हो तो जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा वह जानकारी आप हमें दें और हम जरूर जांच करा लेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मुख्य मंत्री, जब कि संपूर्ण तथ्य उनकी जानकारी में है और उसके प्रमाण में माल बाजारों में मौजूद है तो सी० आई० डी० से जांच कराकर उन समस्त लोगों को, जो तस्करी व्यापार करते हैं, उचित सजा दिलाने की कृपा करेंगी और केन्द्र से उन अधिकारों को लेंगी जिनको वह इस कार्य के लिये जरूरी समझती हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने कहा कि इसमें समस्त जिम्मेदारी भारत सरकार की है और उनका जो कस्टम विभाग है उसकी देखरेख की जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष—

सी० आई० डी० से कन्फर्म कराकर कोई उचित कदम उठायेंगे या सेन्टर से कहेंगे कि वह कुछ अधिकार दे जिससे आप कुछ कर सकें?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जो यह व्यापार चलता है जितनी हमारी इन्फार्मेशन है बहुत से लोग नेपाल और हमारे देश के बीच आते-जाते रहते हैं। उनके किसी के खेत इधर हैं किसी के उधर हैं वे लोग आते जाते रहते हैं। तो वे लोग जेब में १, २ कलम डालकर या कोई और छोटी मोटी चीज लाते होंगे मगर व्यापारिक ढंग से यह हो रहा है, ऐसी हमको सूचना नहीं है। इस वजह से एक बार कुछ खबर हमको मिली थी। मैंने सी० आई० डी० से जांच कराई थी तो यह पता चला कि इधर-उधर कुछ लोग आते जाते रहते हैं तो वह छोटी-छोटी चीजें फाउन्टेनपेन या टार्च ले आते हैं। हम खुद चाहते हैं कि ऐसा न हो। हम केन्द्रीय कस्टम विभाग से कहेंगे और जो हमारी पुलिस की मदद हो सकती है वह भी हम देने को तैयार हैं लेकिन फिर भी इतना लम्बा-चौड़ा बार्डर है कि इसमें पूरी निगरानी रखना जरा मुश्किल है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

नेपाल, चीन और हिन्दुस्तान इन तीनों देशों में व्यापार होता है और तस्करी व्यापार होता है और कुछ चीजें आती जाती रहती हैं तो इस संबंध में क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे चीन से हमारे यहां बिकने के लिये इस प्रकार की चीजें न आ सकें?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं जरूर केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगी और हमारी पुलिस भी उसकी जांच करेगी। यह बात सही है कि ऐसा खतरा हो सकता है मगर नेपाल के साथ हमारे मित्रता के संबंध हैं इसलिये बहुत ज्यादा उधर रुकावट डालते हैं तो उससे जरा परेशानी होती है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

प्रश्न यह है कि अभी तो फाउन्टेनपेन आता है और ट्रान्जीस्टर आता है और यदि कल को बन्दूक और बम आने लगे और इस तस्करी में वह भी चीज सम्मिलित हो जाय तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपनी शक्ति से उस बार्डर पर पूरे तरीके से अपना प्रबन्ध टाइट करने के लिये तैयार हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अपनी तरफ से जितना हम कर सकते हैं उतना करने के लिये तैयार हैं। हम सी० आई० डी० को भेजकर करायेंगे। मैं आपसे यही कह सकती हूं कि उस तरफ ध्यान दिया जायगा।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

मैं केवल यह सूचना देना चाहता हूं कि बढ़नी के उस पार जो चीनी चीजों की दुकान है मैं उस पर गया था और मुझे दुकान वालों ने बतलाया था कि यह दुकान एक सप्ताह भी नहीं चल सकती है अगर भारत के खरीदार यहां न आयें यानी उनके कहने का मतलब यह है कि अधिकांश में खरीदने वाले भारत के निवासी होते हैं। वे छोटी-छोटी चीजें होती हैं यह बात सच है। कपड़ा आता है फाउन्टेनपेन, ट्रान्जीस्टर इस तरह की चीजें आती हैं लेकिन काफी मात्रा में आ रही है। दूसरी बात की सूचना यह देना चाहता हूं कि इधर चावल भी नेपाल जाता है। इसका प्रमाण सब से बड़ा यह है कि पहले चावल आया करता था। अब खरीदारी बिलकुल बन्द है। वह चावल चीन जा रहा है और जो लोग चीन का यह सामान खरीदने वहां जाते ह वह जो रुपया उसके लिये देते हैं उसी रुपये से वह चावल खरीदता है। तो इस तस्करी व्यापार द्वारा हमारा दुहरा नुकसान हो रहा है। एक तो हम उसका माल लाते हैं और दूसरे जो चावल बाहर हमारे यहां आता था वह अब बाहर जा रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी को भारत सरकार को काफी जोरदार शब्दों में लिखना चाहिये ताकि वह आवागमन बन्द हो सके।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

छोटी और बड़ी तस्करी का यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि अवैधानिक ढंग से जो माल आता है और जिनके पास वह बरामद होता है क्या मंत्री जी उन व्यक्तियों का चालान करने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

माननीय भानुप्रताप जी ने जिस दूकान का जिक्र किया वह हमारे इल्म में है। हिन्दुस्तान और नेपाल के बीच तिजारत खुली हुई है, केवल कुछ आइटम्स के लिये लाइसेंस और परमिट जरूरी है। इसलिये अगर कोई आदमी उधर चला जाय और जेब में दो टार्च और सूट का कपड़ा डाल लाया तो उसे हम रोक नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। सिर्फ उस चीज के लिये रोक सकते हैं जिस पर बंदिश हो। इसलिये यह मैटर उतना सहज नहीं है। हमने केन्द्रीय सरकार का अटेंशन इस ओर ड्रा किया है और अपनी पुलिस को भी भेजा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि पिछले दिनों महाराजा महेन्द्र, नागपुर आने वाले थे। उस समय केन्द्रीय सरकार ने उनका आना उचित नहीं समझा और कुछ कार्य किया। इसी तरह से बहुत से लोग यहां आते हैं और वह स्पाइंग भी करते हैं। तो क्या सरकार इस प्रकार का इन्तजाम करेगी कि इस तरह की स्पाइंग रुके और देश को नुकसान से बचाया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृप लानी---

हमारे चेक पोस्ट्स हैं और इसका ख्याल रखा जाता है। हमारा इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट काफी चौकन्ना है।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद---

क्या सरकार भारत सेवक समाज जैसी संस्थाओं की सहायता से इस विदेशी व्यापार को बन्द करने का प्रयत्न करेगी ?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि सरकार को बने तीन वर्ष हो गये किन्तु आज भी प्रश्नों के उत्तर में अक्सर यह देखा जाता है कि गलती या भ्रष्टाचार आदि तो मान लिया जाता है, लेकिन यह कह दिया जाता है कि उतना नहीं है जितना कि होना चाहिये। इससे गलत काम को शह मिलती है। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि उत्तर निश्चित दिये जायं जिनमें लचकपन न हो और आप मंत्री जी को आदेश दें कि वह ठीक से उत्तर दिया करें ताकि उनका महत्व कम न हो।

१९६५-६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--- अनुदान संख्या १५---खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन, अनुदान संख्या ५४---राजस्व व्यापार की योजनायें

श्री अध्यक्ष---

अब खाद्य मंत्री अनुदान प्रस्तुत करेंगे।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५-खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत १,०४,५३,४०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४-राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत ७०,३६,४८,४०० रु० की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विवाद के समय भी इस समस्या पर काफी विवाद हो चुका है और जब उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव आया था तो उस समय बोलते हुये भी मैंने कुछ बातें कही थीं। पूर्व इसके कि मैं इन अनुदानों पर कुछ कहूं, मैं यह उचित समझता हूं कि पहले माननीय सदस्यों के सुझाव आ जाये और उनके विचारों से मैं अवगत हो जाऊं, तब मैं कुछ कहूं। इस समय दो चार बातें ही मैं कहना चाहूंगा? पहला जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसमें रसद के अतिरिक्त भी कुछ अन्य मदें हैं जिनके बारे में म ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

जो अनुदान संख्या ५४ है, इसमें पूर्ति विभाग की मदें हैं, उसके अलावा खाद्यान्न खरीदने के लिये ७० करोड़ का प्राविधान किया जा रहा है। इससे लगभग १४ लाख टन गल्ला खरीदने का विचार है, इसमें विदेशी गेहूं भी हो सकता है, देशी भी हो सकता है, मोटे अनाज भी सम्मिलित हैं। अनुमान यह है कि करीब ६० करोड़ का अनाज हम बेच पायेंगे, बाकी का कैरीओवर हो जायेगा। अगले साल के लिये जिसे हम बफर स्टाक कह सकेंगे। मैं इस समय अधिक न कहता हुआ यह स्वीकार करता हूं कि प्रदेश में खाद्य संकट रहा और हमें बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ा। इन सबके अलावा मैं अपने प्रदेश के नागरिकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कठिनाई के समय बड़े धैर्य का परिचय दिया और हम इस महान संकट को पार कर पाये। सब चीजों को लेकर लगभग ४ लाख टन की कमी महसूस होती थी और इसमें लगभग १२लाख टन इम्पोर्टेड व्हीट हमने मंगाया। २.१ लाख टन चावल भी दिया।, तो इतनी कमी के होते हुये भी येनकेन प्रकारेण हम इस महान संकट से निकल पाये और उसके लिये हमारे प्रदेश के नागरिक बधाई के पात्र है, बंगाल में जहां लाखों लोग भूख से मर गये, हमारे यहां वह स्थिति नहीं आने पायी।

मैं आपको एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं। पिछले दो तीन साल में हम केवल ४.५ करोड़ का अन्न ही बांट पाते थे। ढ़ाई लाख टन मुश्किल से बांट पाते थे। मगर इस वर्ष हमने लगभग ६० करोड़ का अनाज बांटा है। सब मिलकर करीब १५–२० लाख टन बांटा है। यह सब उसी मशीनरी के द्वारा करना पड़ा जो केवल ढाई लाख टन के आवंटन के लिये ही थी। यह सही है कि वितरण के लिये लोगों को क्यू लगाना पड़ता था, यह हृदयविदारक दृश्य थे, मगर जितनी तरकीबें उसके लिये हो सकती थीं, वह सब हमने कीं और लोगों को सहूलियतें पहुंचायीं। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे माननीय सदस्यों में कोई उत्तेजना पैदा हो, क्योंकि उनमें एक तो गरमी है ही, दूसरे और ज्वाला भड़कने न पाये। आप लोगों के सुझाव आने पर मैं बाद में आपकी बातों का उत्तर दूंगा। सहूलियत के आधार पर हमने यह नीति जरूर अख्तियार की थी कि एक-एक जगह ४ हजार या ५ हजार से ऊपर यूनिट हमने नहीं रखीं। यह भी व्यवस्था की थी कि हर रोज हजार आदमी से अधिक न जायं सोमवार को इतने, मंगल को इतने यानी हर बार के लिये एक तादाद रख दी थी और यह भी किया था कि जो बच जायं या न ले जायें वे शनिश्चर को ले लें। यह आदेश भेजे थे, इससे कुछ सहूलियतें मिलीं। मैं यह धृष्टता तो नहीं करूंगा कि सबने शिकायत तो की मगर दवा किसी ने नहीं की। लेकिन हां, यह काम ऐसे हैं कि अगर सब मिल कर मदद करें तो काफी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। चन्दौसी में लोगों ने पर्चियां बांट कर इसको हल किया, और जगह भी ऐसा हुआ। तो हमने उस संकट को पार किया।

अब जाली कार्डों का सवाल है। इसको भी हल करना है। इसके तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि हमारे पास उतना स्टाफ नहीं है। टोटल राशनिंग अगर करें तो उतने आदमी हमारे पास नहीं हैं। और आदमी बढ़ायें तो बजट पर भार बहुत अधिक पड़ता है। दूसरी बात यह भी है कि जब तक स्थायी न हो तब तक ऐसे आदमियों में, भ्रष्टाचार कहिये या समय का नाजायज फायदा उठाने की प्रवृत्ति कहिये, ज्यादा प्रवृत्ति रहेगी।

दूसरी बात यह है कि आप कहेंगे कि स्टेट ट्रेडिंग क्यों नहीं किया, जैसा कि प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में इस बात की ओर संकेत किया गया तो मैं बताता हूं कि आज वितरण सम्बन्धी कठिनाइयों, कमियों और हानियों का कारण स्पष्ट शब्दों में क्या है? मैं जानता हूं आपकी अन्तरात्मा भी समझती है सब बातों को, और इस सदन के सभी सदस्य विचारशील हैं और यह तो तर्क से भी सिद्ध है कि मैं जो कह रहा हूं। बात आपके मन को भी जंच रही है। स्टेट ट्रेडिंग में, मैं मान सकता हूं कि उसमें कदम उठना चाहिये, अगर बीच में इम्पोर्टेन्ट व्हीट इतना आ गया कि उसके लिये अगर आपके भंडारों की आवश्यकता पड़ती है तो फिर आप अपने देश का लेकर कहेंगे कि सरकार की नीति गलत थी। मैं आपकी इस बात का प्रतिवाद नहीं करता। सोचने की बात है और जैसा श्री गोविंद सहाय जी ने भी कहा था कि हम सोचें कि इस प्लानिंग से क्या फायदा होता

है और इससे क्या नुकसान हुआ है। मैं मानता हूं कि ये सब बातें सोचने की हैं, मगर सोचें कौन, यह सब किसको सोचना है यह उन्होंने बतलाया नहीं। यह भी ठीक है कि जिनके पास अधिकार हैं उन्हीं को सोचना है। सोचना किस आधार पर है तो वह भी सोचना इस आधार पर है कि यहां का जनमत क्या कहता है। जनमत में क्या बात कही जाती है, यह भी देखना है। तो मैं समझता हूं कि कितने ही तर्क पेश किये जायें जब जनमत यही कहता है कि आज के सुख के लिये आगे अंधेरा कर दें

इसके अलावा जैसा कि स्वतंत्र पार्टी ने कहा कि हम प्लानिंग को बिलकुल छोड़ दें और जनसंघ का भी ऐसा ख्याल है कि प्लानिंग अगर हो तो और तरह की हो। यह तो हम प्लानिंग कर रहे हैं वह ठीक नहीं है, ऐसा विरोधी दल कहते हैं। उनकी क्या योजना जिसे वह बतलाने में असमर्थ हैं। स्टेट ट्रेडिंग के सम्बन्ध में तो जो देर आयद दुरुस्त आयद उसका यह मत हो सकता है कि बीच में विदेशों से गेहूं मंगाकर यहां के प्रोडक्शन में उसका प्रभाव पड़ा होगा मगर जैसा मैंने कहा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, के साफ माने हैं टोटल राशनिंग हो जाय। इस लिये मैं यह कहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग तभी तो आप करेंगे जबकि एक दो साल के लिये आपके पास पर्याप्त सामान हो, तभी आप आगे चल सकते हैं। जैसा कि श्री काशीनाथ जी ने कहा, विद्वान पुरुष हैं, तर्क बड़ा अच्छा उपस्थित करते हैं जो या तो एकदम आसमान में पहुंच जाय या कतई न चलें। पहिले २०० मील का स्पुतनिक होगा फिर ५०० मील उसके बाद एक हजार का स्पुतनिक फिर एक लाख तक और फिर चन्द्रमा तक भी पहुंचा जा सकता है। परन्तु यह कैसे हो सकता है कि पहिले ही मंगल ग्रह तक पहुंच लिया जाय या तो बज़ मूर्ख बनें या बड़े भारी आला दर्जे के विद्वान् बन जावें। नहीं, धीरे-धीरे चलेंगे और उसके लिये हम कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस स्टेट के अन्तर्गत स्टेट ट्रेडिंग प्रदेश में बने या उसकी ब्रांच बने या अलग बने यह सब विचाराधीन बातें हैं और मैंने जैसा कहा कि अगर आप यह कहें कि आज ही कर दीजिये और बहुत से भाई कहते हैं कि आपका क्या तरीका होगा, तो अधिनायकवाद तो है नहीं कि मैं कह दूं और वह चल पड़े। आखिर को यह तो गणतंत्र राज्य है। हजारों का मन्थन करके पूरा समुद्र मंथन होकर के तब कोई चीज उसमें से निकलती है ऐसे ही नहीं निकल पाती तो काफी मन्थन उसमें करना पड़ेगा और फिर जो चीज निकलेगी वह आपके सामने आयेगी

(व्यवधान)

मैं झारखंडे राय जी से पूछता हूं कि किसी भी देश में जहां पर सोशलिस्टिक पैटर्न है, या सोशलिस्ज्म है वहां पर भी क्या उन्होंने बगैर पेट को कसे हुए कोई प्लानिंग कर डाली या स्टेट ट्रेडिंग कर डाली? किसी देश ने कभी ऐसा किया? कभी नहीं किया? आज इंडिया के प्लानिंग में जो खराबी है, वह क्या है? असलियत कोई नहीं बताता। और देशों ने तो ऐग्रीकल्चर की प्रोड्यूस को इतना बढ़ाया और उससे इन्वेस्टमेंट किया लेकिन हम वह तो कर नहीं रहे हैं, इन्फ्लेशन और नोट छापो और फलां करो, यह सब हो रहा है। मगर हम क्यों नहीं कर पाते ऐसा कि ऐग्रीकल्चर से सेविंग करें और इन्वेस्ट करके उद्योगीकरण करें, उसकी वजह यह कि और देशों में तो अधिनायकवाद है, श्रमदान नहीं डंडादान है। वहां पर तो ऐग्रीकल्चर का प्रोडक्शन डंडे के जोर पर बढ़ाते हैं। यहां हम वह नहीं करते हैं। यहां तो खुशी से सारा काम होता है। इसी से यह दिक्कत हो गई और इसी से इन्फ्लेशन बढ़ा। अब दो ही रास्ते हैं या तो हम डेमोक्रेसी छोड़ें या प्लानिंग छोड़ें। अगर हम दोनों चीजें कहते हैं तो मैं तो यह समझता हूं कि आप अगर यह कहें कि न माया मिली न राम, तो वह बात नहीं है। गीता के पढ़ाने वाले जानते हैं कि योगभ्रष्ट आदमी भी अच्छा ही होता है उनको दोनों मिलते हैं। हम तो योगी हैं और प्रयत्न कर रहे हैं। भ्रष्ट होने पर भी आपसे ऊंचे ही रहेंगे।

(व्यवधान)

मैं सच्ची बात कह रहा हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी अपने को भ्रष्ट योगी कह रहे हैं....

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

आपकी नजरों में, अपनी नजरों में नहीं। और मैं आपको बताता हूं कि आप पूरे भौतिकवादी हैं, आपका तो योग का सवाल ही नहीं रहा। आपका तो कोई परमात्मा ही नहीं है लेकिन हम तो ऐसा समझते हैं कि हमारी ईश्वर भक्ति ठीक है। अगर आपके कहने पर चलते तो उलट गये होते। आस्तिकता और ईश्वर भक्ति का ही नतीजा है कि आज हमारा देश संकट के होते हुए भी बिलकुल साफ आगे निकला और आगे निकलेगा। आज लोग सभी तरफ से हमारे देश को राजनीतिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से भी, सैनिक दृष्टि से भी, हर तरह से नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह अकेला चमक रहा है अगर हम आपकी तरह से केवल भौतिकवाद का सहारा लिये होते, प्रजातंत्रवाद को खत्म किये होते तो हम भी असफल हो जाते।

मैं आपको एक बात बता दूं उस सदन में, मैं एक भाषण सुन रहा था वह कह रहे थे कि हमारे सामने तीन मुख्य चीजें होती हैं, मस्तिष्क, ला एन्ड आर्डर और खाद्यान्न। इनमें सबसे पहला मस्तिष्क है, बौद्धिक वाद जिसका सम्बन्ध वह भाषा से लगा रहे थे। दूसरा स्थान उन्होंने ला एन्ड आर्डर को दिया और तीसरा दिया खाद्यान्न को। अगर आपकी आन्तरिक व्यवस्था ठीक है तो खाद्यान्न की कमी की संकरी गली में से भी आप निकल सकते हैं लेकिन अगर अन्न के भंडार भरे हैं और आपके यहां ला एन्ड आर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं है तो अन्न के भंडार भी अगर भरे हों तो ठीक न रहेगा। लेकिन अगर किसी देश और प्रदेश की बुद्धि भ्रष्ट हो जाय तो सब काम ही गड़बड़ हो जायगा।

मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि माननीय झारखंडे राय जो और कई साथी हमारे पास आते हैं तो इस बात की जरूर तारीफ करते हैं कि यहां जनतंत्र होते हुए भी पैसे की इतनी कमी होते हुए भी, अस्थायी विभाग के होते हुए भी, गांवों तक पत्र "पुष्पं फल तोयं" कुछ तो दिया ही है लेकिन कम्युनिस्ट देशों को देहात में दूकानें खोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती और उस पर तुर्रा यह कि यहां प्रजातंत्र है, जो चाहो सो बोलो।

माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने कहा कि हमने मोटे अनाज को अनरिटेलिस्टिक प्राइसेज रखीं और जैसा कि प्रश्नोत्तर के समय में कहा गया कि जिस समय आर्डिनेंस लगा, उस समय क्या प्राइसेज थीं और उसके बाद क्या हो गयीं। हमारे यहां क्या कीमतें थीं और बाहर और प्रदेशों में क्या कीमतें थीं। वहां कितनी दूकानें हैं और हमारे यहां कितनी दुकानें हैं। यह सब मैं बाद को बताऊंगा इस समय तो मैं चाहता हूं कि पहले आपको सुन लूं तब उसका जवाब दूं मैं आपकी गाली भी सुनने को तैयार हूं। क्यों गालियां सुनना किसको अच्छा लगता है लेकिन ससुराल वालों की गालियां भी अच्छी लगती हैं, समय पर वह भी अच्छी लगती हैं। आप जो कुछ कहेंगे मैं बड़े प्रेम से सुनूंगा और जो उत्तर उनका देना चाहिये वही दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५--खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य...

श्री अध्यक्ष--

वह छोड़िये।

श्री चन्द्रजीत यादव--

इसी तरह से अनुदान संख्या ५४--राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय खाद्य मंत्री जी ने भाषण दिया और उन्होंने बड़ी लच्छेदार बातें कहीं। आज मैं इस कटौती के प्रस्ताव को पेश कर के सरकार के जिम्मेदार लोगों का और शासक दल के जिम्मेदार नेताओं का ध्यान इस गम्भीर राष्ट्रीय संकट की ओर खींचना चाहता हूं। आज बढ़ते हुये दाम और गल्ले की कमी की समस्या हमारे यहां उग्र रूप धारण किये हुए है। आज हमें बड़ी गम्भीरता के साथ जो हमारे प्रदेश का नक्शा है उसकी वास्तविकता को देखना होगा। बातों से ही अगर पेट भरता होता तो वास्तव में नेगी साहब के भाषण से ही ८ करोड़ प्रदेश की जनता का पेट भर गया होता लेकिन पेट बातों से नहीं भरता, उसके लिये खाद्यान्न चाहिये। कम से कम आदमी के खाने के लिये सूखी रोटी तो चाहिये। वह भी अगर यह सरकार नहीं दे सकती तो मैं समझता हूं कि इस सरकार ने इस प्रदेश की ८ करोड़ जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है और मैं सूबे की जनता की ओर से आज कहना चाहता हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो सरकार की सब से पहली ओर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी—पेटभर सस्ता अन्न देने की, उस जिम्मेदारी को पूरा करने में यह सरकार १०० प्रतिशत असफल रही है। आज बढ़ते हुये मूल्यों की जो हालत है और जितना गल्ले का अभाव है उससे प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है उसकी कमर टूट रही है।

(इस समय १ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिवराज सिंह पीठासीन हुए।)

आज सूबे में असन्तोष का वातावरण व्याप्त है, जहां सरकारी कर्मचारी अपने काम करने के घंटों के बाद प्रदर्शन करते हों, जहां राज्य के अध्यापक मंहगाई से तंग आकर और मजबूर होकर हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाओं का बहिष्कार करने के लिये उतारू हो गये हों, जहां के कारखाने के मजदूर जानते हैं कि देश की सुरक्षा के लिये उत्पादन जरूरी है लेकिन फिर भी वह हड़तालें करने के लिये मजबूर हो गये हों, जहां के किसानों की कमर टूट रही हो और यहां तक कि अगर मुट्ठीभर आदमियों को छोड़ दिया जाय तो आज प्रदेश की तमाम जनता, उसका हर वर्ग बढ़ती हुई कीमतों से कराह रहा है, ऐसे गम्भीर सवाल पर हमें बहुत गौर से विचार करना चाहिये और सही तस्वीर को सामने रखना चाहिये। क्या कारण है कि कीमतें कम नहीं होतीं और यह सरकार असमर्थ है? हमें पहले वास्तविक स्थिति को देखना चाहिये। आज प्रदेश की कम से कम ५०–६० प्रतिशत जनता ऐसी है कि जो आधा पेट खाकर जिन्दा रह रही है, आधी भुखमरी की हालत में जनता का बहुत अधिक हिस्सा परेशान है, इस तथ्य से हम इंकार नहीं कर सकते आज हमारी जितनी गल्ले की जरूरत है। जितना हमें आज मिल रहा है यहां की पैदावार से और बाहर से, इसको और कीमतों के आंकड़ों को देखने से आप को अनुमान होगा कि कितनी दयनीय स्थिति है हमारे प्रदेश की जनता की जो खाने की दूसरी जरूरियात हैं, उनके लिये १९६.४ लाख मैट्रिक टन अनाज की जरूरत है लेकिन हमारे पास अनाज कितना है? सन् १९६३–६४ में हमारे प्रदेश में ११८.२ लाख मिट्रिक टन अनाज पैदा हुआ अर्थात् लगभग ८० लाख टन अनाज की कमी थी। हमारे सूबे के अन्दर अगर इतनी कमी होगी तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि प्रदेश की जनता सूखी रोटी से भी अपना पेट भर सकती है। स्थिति और भी भयावह तब हो जाती है जब हम प्लानिंग की योजनाओं का सर्वेक्षण करते हैं।

सारे देश में आंकड़ों के आधार पर हमारा प्रदेश बहुत पीछे है। श्रीमन्, थोड़े से आंकड़े प्रस्तुत करके इस खाद्य की गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। सन् १९५२–५३ से लेकर १९६१–६२ तक पूरे देश के अन्दर जो गल्ले की उपज बढ़ाने का प्रयास हुआ है, उसमें पंजाब में कुल अनाज और खाद्यान्न की पैदावार क्रमशः ५.६७ व ४.५ प्रतिशत बढ़ी है, मद्रास में ५.०१ ४.५३ प्रतिशत, मध्यप्रदेश में ३.५४, ३.५३ प्रतिशत, मैसूर में ३.५६, २.८६ प्रतिशत, महाराष्ट्र में ३.५३, २.५७ प्रतिशत, बिहार में ३.४०, ३.३५ प्रतिशत, राजस्थान में २.९२, २.५९ केरल में २.४४, ४.०५ और उत्तर प्रदेश में २.२३ १.५८ प्रतिशत बढ़ी। पैदावार के सारे

[श्री चन्द्रजीत यादव--

प्रयास होते रहे फिर भी यह प्रदेश सबसे पीछे रहा। इस देश की ७५ प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर रहती है और इस प्रदेश में जहां देश की जनसंख्या के २२ फीसदी लोग रहते हैं, वहां पर सबसे कम पैदावार हो रही है। तीसरी पंच वर्षीय योजना में प्रदेश में खाद्य स्थिति और खराब हो गयी है। सन् १९६०-६१ में कुल खाने योग्य अनाज १४५.०१ लाख टन हमने पैदा किया लेकिन १९६३-६४ में १४५.०१ लाख टन से घटकर ११ .२३ लाख टन पर आ गये। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का नतीजा है जिसमें सारे प्रयास इस बात के ही रहे हैं कि देश और प्रदेश को भूख की ज्वाला से बचाया जाय।

आज उत्तर प्रदेश की सरकार एक भिखारी की तरह हाथ फैलाये केन्द्र के सामने और दूसरे राज्यों के पास जाती है। वास्तविकता यह है कि हमारे सूबे के खाद्य मंत्री देश के सबसे बड़े भिखमंगे की तरह केन्द्र के पास हाथ पसार कर जाते हैं। मैं उनके प्रयास की सराहना करता हूं किन्तु यह दुःख की बात है। मैं उन पर पूरी जिम्मेदारी नहीं डालता हूं। हमें केन्द्र का आभारी होना चाहिये कि उन्होंने १९६२ में ४.४ लाख मिट्रिक टन गेहूं, १९६३ में ४.९ लाख टन गेहूं और १९६४ में जब कि पूरे राज्य के अन्दर भुखमरी का आलम था, प्रदेश की खाद्य स्थिति संकटपूर्ण हो रही थी हमारे खाद्यमंत्री उस वक्त बड़े इत्मीनान के साथ, आशावादिता की बात कहा करते थे। केन्द्र ने १९६४ में १२.५ लाख टन गेहूं हमारे प्रदेश को दिया और पूरा गेहूं जो देश में आयात (इम्पोर्ट) हुआ है उसका ५ वां हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश को दिया गया। उस वर्ष २ अरब का गेहूं विदेश से मंगाया गया है। उसमें लगभग ५० करोड़ रु० का गेहूं केवल उत्तर प्रदेश को पिछले साल केन्द्र ने दिया। इसके अलावा ३५,००० मिट्रिक टन पंजाब से मिला, तब भी जरूरत के मुताबिक सरकार गल्ला नहीं दे पा रही है। महाराष्ट्र में १ यूनिट पर १२ किलो गल्ला मिल रहा है जबकि हमारे यहां ६ किलो मिल रहा है। इससे हम संकट की गहराई को समझें और कोई रास्ता निकालें। अगर रास्ता नहीं निकालते तो प्रदेश की जनता भारी दलदल में फंस जायगी और वह सरकार को क्षमा नहीं करेगी। आज कीमतें देखें कि कहां बढ़ती चली जा रही हैं, कितना गहरा संकट प्रदेश में है। मैं केवल १ साल के कीमतों के आंकड़ों दे रहा हूं। अगर आधार वर्ष १९४८ को मानें तो गेहूं का भाव ५७ पैसे किलो था, चावल का ६९ पैसे किलो, अरहर की दाल का ५५ पैसे किलो और सरसों के तेल का भाव १.८४ पैसे किलो था। लेकिन जनवरी, १९६४ में यह भाव बढ़कर क्रमशः इस प्रकार हो गये गेहूं १०१.८ पैसा प्रति किलो, चावल ९२.८ पैसा अरहर की दाल १६७.३ पैसा और सरसों का तेल १३३.२ पैसे प्रति किलो। लेकिन एक साल बाद जनवरी, १९६५ में गेहूं १०१.८ पैसे प्रति किलो से बढ़ कर १८६ पैसे हो गया, वृद्धि हुई ८२.७ प्रतिशत की, चावल ९२.८ से बढ़ कर १८७.४ प्रति किलो हो गया, वृद्धि हुई ३७.४ प्रतिशत की, अरहर की दाल १६७.३ से बढ़ कर २९२.७ प्रति किलो हो गयी, वृद्धि हुई ७५ प्रतिशत की, सरसों का तेल १३३.२ से बढ़ कर २५८.७ पैसे प्रति किलो हो गया, वृद्धि हुई ९४.२ प्रतिशत की।

इसी तरह से कानपुर शहर को देखें, जहां मजदूर रहते हैं जिनके दोनों हाथ निरन्तर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, उनकी मुसीबत को देखें। इसी १ साल के अन्दर कानपुर में गेहूं का दाम ६१.८ प्रतिशत बढ़ा, अरहर की दाल का भाव ६४.९ प्रतिशत बढ़ा, यह आंकड़े मेरे पास सांख्य विभाग के हैं। सरसों के तेल का भाव १०४. प्रतिशत बढ़ा है। यह कीमतें जो सरकारी आंकड़े बताते हैं ७५ प्रतिशत से लेकर १०० प्रतिशत तक बढ़ी हैं, जो काफी खतरनाक हैं। लेकिन यह आंकड़े राज्य की सही तस्वीर नहीं देते हैं। बाजार में गल्ले की कीमतें २०० से ३०० फीसदी तक बढ़ी हैं एक साल के अन्दर। कौन नहीं जानता कि खुले बाजार में ढाई रुपया प्रति किलो चीनी बिक रही है, साढ़े ४ रु० किलो सरसों का तेल बिक रहा है, पूर्वी जिलों में तो ५ रु० किलो बिक रहा है। यह हालत बड़ी खतरनाक है और यह सरकार कीमतों को रोकने में १०० फीसदी नाकामयाब रही है जिसकी वजह यह है कि सरकार की कीमतों के बारे में कोई साफ नीति नहीं है। गल्ले के राज्य व्यापार योजना के बारे में सरकार खिलवाड़ करती है। मैं

चार्ज करता हूं कि इस सरकार में साहस का अभाव है, दूरदर्शिता की कमी है तथा वह इस प्रदेश के व्यापारियों और जखीरेबाजों के हाथ में खिलौना बन कर रह गयी है। इस प्रदेश के पूंजीपतियों के सामने यह सरकार घुटने टेकती है, उनकी बातों की पूर्ति करती है। इस सरकार ने ८ करोड़ जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखा और यह सरकार मुट्ठी भर ब्यूरोक्रेसी के सामने झुक गयी जो वास्तविकता से परे कायदे कानून बनाती है। इस वर्ष पहले धान की कीमत निर्धारित की गयी १५ रुपये मन से १७ रुपये मन। कौन इस कीमत पर धान देने को तैयार होगा? आप चाहते हैं कि पहले काश्तकार इस कीमत पर अपना धान व्यापारियों के हाथ बेंच दे और उसके बाद २७,२८ रुपये मन व्यापारी उसे बेंचे। आपका कायदा कानून ताक पर रखा रह गया। न किसान ने उस कीमत पर बेचा और न व्यापारी ने उस कीमत पर पाया। सरकार ने मूल्य निर्धारित करते समय वास्तविकता को नहीं देखा।

इंडस्ट्रियल गुड्स की कीमत रोजबरोज बढ़ रही है लेकिन उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया और किसान को लूटने के लिये कुछ मुट्ठी भर व्यापारियों के हित की यह सरकार रक्षा करती है। इस नीति के खिलाफ प्रदेश की जनता लड़ेगी। प्रदेश के कुछ बड़े अफसरों ने आज बड़े व्यापारियों से मिलकर ब्लैक-मेलिंग की है। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेशीय सरकार पर ही नहीं है। इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर भी उस नीति के कारण है जो उसने देश के अन्दर अपनायी है। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय के अन्दर, कैबिनेट के अन्दर, वहां के जिम्मेदार लोगों के अन्दर एक वर्ग ऐसा भी है जो देश तथा किसान के हित के खिलाफ व्यापारियों से सांठ-गांठ करके पी० एल० ४८० के मातहत बाहर से गल्ला मंगाने का हामी है और इस प्रकार वह देश की आजादी को अमेरिका के हाथ बेचना चाहता है, वह इस देश के आत्म-सम्मान को ठोकर लगाना चाहता है। आप दूसरे देशों के सामने हाथ पसारते जाते हैं और कोई गिफ्ट (उपहार) देता है, कोई सौदेबाजी करता है और कोई राजनीतिक शर्तें रखता है। यह संकट इतना गहरा है कि एक राजनीतिक प्रश्न बन गया है। अगर गल्ले की पैदावार को बढ़ाकर हम आत्म-निर्भर नहीं हुए तो हमारा आत्म-सम्मान बिक जायेगा, हमारे देश की आजादी सुरक्षित नहीं रहेगी और हम देश की रक्षा करने में कामयाब नहीं होंगे।

देश की रक्षा का प्रश्न बहुत बड़ा है, आज सरकार इसकी धमकी देकर अध्यापकों का मुंह बन्द कर सकती है कि हम इम्तिहानों को करा लेंगे और सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन को दबा लेंगे। लेकिन सरकार गम्भीरता से इस बात को क्यों नहीं देखती कि आज ५० रुपये पाने वाले चपरासी, सिपाही तथा २५०–३०० रुपये पाने वाले कर्मचारी की तनख्वाह का ७० फीसदी केवल खाने पर खर्च हो जाता है। जब वह ८ घंटे काम करने के बाद घर वापस जाता है और आंसूभरी अपनी बीबी की गोद में भूख से चिल्लाता बच्चा देखता है तो वह बेचैन हो जाता है। उसके मन में आग जलती है, असंतोष पैदा होता है और इस बात को जानते हुए भी कि देश की रक्षा सर्वोपरि है, देश के प्रति जिम्मेदारी का हौसला रखते हुये भी, रोजमर्रा के जीवन की जरूरियात, असलियत उसे मजबूर करती है। विशेषकर जब मंहगाई ने उसकी कमर तोड़ दी हो और वह आपके सामने आकर कहे कि उसका ५० फीसदी मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया जाय जबकि २०० फीसदी कीमतें बाजार में बढ़ गयी हों। उस पर आप देशद्रोही का आरोप लगाते हैं, यह वास्तविकता को देखना नहीं है। हमको गंभीरता से इस पर गौर करना चाहिये। जिस देश की जनता असंतुष्ट हो, जहां का एक-एक वर्ग असंतुष्ट हो तो उसे देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। उसकी देश-भक्ति पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। क्या ऐसी असंतुष्ट, भूखी और कंगाल जनता के बल पर, ऐसे असंतुष्ट कर्मचारियों के बल पर हम देश की रक्षा कर सकेंगे? आज यह प्रश्न हमारे सामने है। मैं कहता हूं कि आप इस बात को सोचिये कि अगर ४ करोड़ इंसान आधा पेट खाकर रहते हैं तो १५ साल बाद हमारी संतान का क्या होने वाला है? यह कहावत है कि एसाउन्ड माइंड इन ए साउन्ड बाडी (स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है।) गोश्त खाने को नहीं मिलता,

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मछली खाने को नहीं मिलती फल दूध मिलता नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन अगर भरपेट खाने को अन्न भी नहीं मिलता तो इस देश का क्या बनने वाला है ? आज हमारा भविष्य अंधकार में है । इन बातों की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्रीमन्, आज जो स्थिति है उसके लिये दो-तीन वर्ग जिम्मेदार हैं । सबसे पहले जिम्मेदार तो हमारी सरकार की गलत नीतियां हैं । सरकार आज गल्ला उत्पादन के लिये जो प्रयास कर रही है वह गलत ढंग से कर रही है, नियंत्रण के कायदे कानून ठीक नहीं बनते हैं और केन्द्रीय सरकार जो जोन्स बनाती है वह अनसाइंटीफिक तरीके से बनाती है । २ ३ महीने बाद फिर उनको तोड़ना पड़ता है । आप घोषणा करते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग करेंगे, जखीरेबाजों से गल्ला निकालेंगे लेकिन आपका कुछ करने का साहस नहीं होता है । इसका नतीजा यह होता है कि व्यापारी समझ जाते हैं कि सरकार खाली बात ही करती है अमल नहीं कर सकती है, फिर वह जनता की मनमानी लूट करता है । आपने बाजरे का भाव १५ रुपये मन निर्धारित किया लेकिन गल्ला बाजार में नहीं आया । फिर आपने कहा कि व्यापारी जितना गल्ला खरीदेगा उसका ५० प्रतिशत सरकार को देगा । तब भी आप फेल हो गये । फिर आपने कहा कि हम कीमत बढ़ायेंगे लेकिन फिर भी गल्ला बाजार में नहीं आया । फिर आपने मजबूर होकर कहा कि गल्ला खुले बाजार में जिस भाव चाहे बिके, कोई प्रतिबन्ध नहीं है । यह कोई कायदे कानून की बात है ? यह वास्तविकता देखने की बात है ।

इसी तरीके से स्टेट ट्रेडिंग की बात है । १९५९–६० में आपने गल्ला खरीदने की बात शुरू की । १९६३–६४ में आपने ११ करोड़ ६६ लाख रुपया इसके लिये रखा लेकिन एक्चुअली १५ करोड़ ९१ लाख ७७ हजार ९०२ रुपया खर्च करना पड़ा लेकिन आपने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया और ६४–६५ में १० करोड़ ९२ लाख ८७ हजार रुपये की व्यवस्था क्यों की जबकि १९६३–६४ में आपका करीब १६ करोड़ रुपया खर्च हुआ था ? आगे जाकर आपको मजबूर होना पड़ा और रिवाइज्ड बजट में ५० करोड़ ८४ लाख ६९ हजार रखना पड़ा । माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहा था कि जब तक गल्ले का राज्य व्यापार नहीं होगा तब तक संकट हल होने वाला नहीं है । लेकिन आप कहते हैं कि बाहर से गल्ला आ गया इसलिये आपके गोदामों में रखने की जगह नहीं रही, कोई खरीदने वाला नहीं मिला इसलिये आपने पोस्टपोन कर दिया । आपने कहा कि राकेट छोड़ने के लिये, चन्द्रमा पर जाने के लिये आहिस्ता २ जायेंगे, लेकिन आपकी अधोगति हो गई है और आप आकाश की ओर नहीं जा रहे हैं बल्कि पाताल में जा रहे हैं । इस बात को आप क्यों नहीं समझते ?

श्रीमन्, इसलिये मैं कहता हूं कि आपको वास्तविकता से नजर नहीं मोड़ना चाहिये । आप केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालिये कि जब तक गल्ले का राज्य व्यापार नहीं होता तब तक संकट दूर होने वाला नहीं है । इसको आपको मानना चाहिये । दूसरी बात यह कि जब गल्ले की जखीरेबाजी का प्रश्न आया तो यह कहा गया कि गल्ला है, इसको निकलवाइये और जखीरेबाजी को रोकिये । जो व्यापारी जनता को मारने के लिये जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही कीजिये । आप को याद होगा कि माननीया मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कहां गल्ला छिपा हुआ है, कहीं गल्ला तो नहीं है, लेकिन जब एक महीने के बाद परिस्थितियों ने मजबूर किया, जन-आन्दोलन हुआ, घेरना शुरू किया, फूड रायट होने लगा तो आप ने भी थोड़ी वास्तविकता को देखा और एक महीने की चेतावनी देने के बाद जब आप ने छापा मारा तब भी १ लाख ४१ हजार १० क्विंटल गल्ला आपका होर्डिंग किया हुआ निकला, तो मुझे यकीन हुआ कि आप ज्यादा गल्ला निकाल सकते हैं । सरकार ने १९२५ व्यापारी होर्डर्स के खिलाफ छापे मारे किन्तु नतीजा क्या हुआ कि आपने २,००० के लगभग व्यक्तियों के खिलाफ छापा मारा और उन में से सिर्फ १० आदमियों को सजा हुई । मैं इस पर आरोप लगाना चाहता हूं

कि सरकारी मशीन के अन्दर एक हिस्सा है जो सरकार की नीतियों को सेबोटेज करता है, जिसका नतीजा यह देखने को मिला।

दूसरी बात, श्रीमन्, जब उसी सवाल के बाद यह कार्यवाही हुई तो व्यापारी लोग, जो चतुर हैं, वे लोग हाई कोर्ट के पास पहुंच गये। हाई कोर्ट ने आदेश देकर स्टे कर दिया और उसको इनवैलिड घोषित कर दिया। लेकिन इस वक्त क्या हुआ ? जब इस वक्त व्यापारियों ने स्टे करा लिया तो आप चुपचाप नमोनारायण करके बैठ गये। उसके बाद आप ने कोई कार्यवाही नहीं की। हमारे माननीय बनारसीदास जी वास्तविकता को नजरअन्दाज करके कहने लगे कि प्रदेश के अन्दर असंतोष नहीं है, बेचैनी नहीं है, सारा देश संतुष्ट है, केवल विरोधी दल ही असंतुष्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि न तो उपभोगता संतुष्ट है और न उत्पादक तथा मैं यह भी जानता हूं कि हमारे खाद्य मंत्री भी खुद संतुष्ट नहीं हैं। केवल बनारसी दास जी चैन से हैं। यहां पर तो वही कहावत लागू है जो फ्रांस की रानी के प्रति थी। जब उनके राज्य में भूखमरी थी तो हजारों भूखे लोग प्रदर्शन कर के रानी के पास गये, मांग कर रहे थे—रोटी दो, रोटी दो। रानी ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से पूछा कि ये लोग क्या कह रहे हैं, तो मंत्री ने बताया कि अकाल पड़ा हुआ है, रोटी खाने को नहीं मिल रही है। तो रानी ने कहा कि रोटी नहीं मिल रही है तो लोग केक क्यों नहीं खाते, मक्खन टोस्ट क्यों नहीं खाते। तो वही हाल बनारसीदास जी का है। इसके ऊपर मैं ज्यादा समय अपना नष्ट नहीं करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति को सरकार को बड़ी मजबूती से देखना चाहिए।

दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश की हालत आप देखें, जो आंकड़े निकाल रहे थे कि गजेटियर १९०१ से लेकर १९३७–३८ तक यह राज्य ज्यादा निर्यात करता रहा है, इम्पोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करता रहा है। गल्ले में हम आत्म-निर्भर थे। जब पहली कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी थी, उस समय का आंकड़ा मैं दे दूं आपको, १ करोड़ ६२ लाख ३० हजार मन गल्ला यहां से निर्यात किया और आयात इसने उस वक्त करीब ९८ हजार मन गल्ला किया। तो इतने बड़े पैमाने में हम गल्ला भेजते थे बाहर और जबसे यह कांग्रेस बहुमत में आई है, तब से आज करोड़ों रुपये का गल्ला बाहर से मंगाना पड़ता है, पचासों करोड़ों का मंगाना पड़ता है। आज हम अपने बजट का २५–३० प्रतिशत बाहर से गल्ला मंगाने में व्यय करते हैं। इतनी बड़े धन का गल्ला यदि बाहर से मंगाया जाता है तो इस देश का, इस प्रदेश का क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या सरकार ने इस पर कभी गम्भीरता से सोचा है ? यही स्थिति रही तो हम मिट जायेंगे, बरबाद हो जायेंगे और अपना आत्म सम्मान और स्वतंत्रता खो बैठेंगे। गांव में एक कहावत कही जाती है कि जो किसान गल्ला बाहर से नहीं खरीदता और अपनी उपज के गल्लेसे ही काम चलाता है वह किसान सदैव खुशहाल रहता है किन्तु जो बाहर से अनाज खरीदता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता है। वही हाल अपने प्रदेश का भी है। जो प्रदेश किसी समय में अन्न का एक्सपोर्ट करता रहा हो, कृषि प्रधान प्रदेश हो, जिसमें ७५ प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती हो, यदि वही प्रदेश बाहर से गल्ला खरीद कर खायेगा तो इस प्रदेश की स्थिति कभी भी नहीं सुधर सकती है। इसलिये यह जरूरी है कि हम गल्ले की पैदावार को बढ़ायें, और अपनी पैदावार इतनी बढ़ाये कि हमें बाहर से न मंगाना पड़े और हम आत्म-निर्भर बन सकें तथा साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम ऐसे कदम उठायें जो प्रदेश को भयंकर स्थिति से उबारने के लिये आवश्यक हों। यह बातें मैंने खाद्य के बारे में कहीं, अब और बात शाम को मंत्री जी जवाब देंगे, तब कहूंगा।

अब मैं सीमेंट की स्थिति और उसकी किल्लत की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। सीमेंट की स्थिति भी प्रदेश के अन्दर बड़ी खराब है। मैं अभी पी० डब्लू० डी० सेक्रेटरी से

[श्री चन्द्रजीत यादव]

बात कर रहा था, उन्होंने बातचीत के दौरान में बताया कि ५०–६० फीसदी सीमेंट हमारी आवश्यकता के निर्माण कार्यों के लिये कुल मिल पा रहा है और सीमेंट की कमी के कारण शेष काम हमें सीमेंट के बजाय चूने से करना पड़ रहा है। सीमेंट की आज यह कमी है कि सरकार के निर्माण कार्यों पर भी उनके कारण दिक्कत आ गई है, प्रदेश की जनता भी सीमेंट की कमी से कराह रही है और दूसरी तरफ आप यह देखेंगे कि क्या वह चोरबाजारी में नहीं बिक रही है? चोरबाजारी में सीमेंट २२ रुपये बोरा मिल रही है चाहे जितने बोरे आप चाहे ले सकते हैं। आप चोरबाजारी में २२ रुपये के हिसाब से हजारों बोरे सीमेंट ले सकते हैं किन्तु यदि आप यों कन्ट्रोल से सीमेंट बाजार में लेना चाहे तो वह आप को नदारद मिलेगी।

वही हालत और चीजों की भी है। यदि किसी को धार्मिक कार्यों के लिये, त्योहार के लिये, ब्याह-शादी के लिये चीनी की जरूरत हो तो उस बेचारे को ५ किलो और ३ किलो शक्कर मिलना भी दुर्लभ हो जाता है किन्तु यदि कोई किसी भी कार्य से चोरबाजारी में शक्कर खरीदना चाहे तो वह आज २।। रुपये किलो के हिसाब से हजारों बोरे खरीद सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज चोरबाजारी और भ्रष्टाचार पूरे प्रशासन में व्याप्त है। सप्लाई आफिस भ्रष्टाचार और चोरबाजारियों के अड्डे बने हुये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिये नेगी जी ने एक अच्छा काम भी किया है। मंत्री जी ने ३–४ अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की और उसका नतीजा अच्छा निकला। सप्लाई आफिस, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चोरबाजारी और बेईमानी के अड्डे बन गये थे। कोई भला आदमी वहां जाना नहीं चाहता था वहां का वातावरण इतना खराब था। जैसे कोई भला आदमी थाने में जाना उचित नहीं समझता थाने में जाना वह बुरा समझता है वैसे ही सिविल सप्लाई आफिस में जाना लोगों को बुरा लगता है और वहां कोई जाना नहीं चाहता।

इन तथ्यों को रख कर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसे रोकने की कोशिश करें और कोई ऐसा रास्ता निकालने का उपाय करें जिससे कि यह भ्रष्टाचार मिट सके और संकट समाप्त हो सके।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, सप्लाई आफिस आज भी भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं।

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, जो फूड और सिविल सप्लाई का मुहकमा है, माननीय मंत्री जी ने उसकी मांग सदन के सामने प्रस्तुत की है और माननीय चन्द्रजीत यादव ने कटमोशन पेश किया है। बहुत काफी समय माननीय चन्द्रजीत यादव ने इस बात में लगाया कि यहां पर फूड प्रोडक्शन बहुत पिछड़ता रहा है। मेरा ऐसा शुबहा है कि माननीय सदस्य सब्जेक्ट के बाहर चले गये हैं। यह जो विषय है, जो मांग है, उसका ज्यादा ताल्लुक बंटवारे से है। मैं समझता हूं कि जो खाद्य मंत्री हैं उनका पैदावार से कोई ताल्लुक नहीं है। इस सदन में कई पिछली डिबेटों के मौके पर इस बात का जिक्र किया गया कि आज खाद्य से सम्बन्धित मुहकमे अलग-अलग बंटे हुये हैं और कोई भी मुहकमा पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है, सब अपनी अलग नीति चलाते हैं और हालांकि गवर्नमेंट ने कोआर्डिनेशन के लिये एक कमीशन नियुक्त किया है लेकिन उन विभागों में कोआर्डिनेशन नहीं है। इनमें कोआर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता को भुखमरी से बचाने के लिये, जहां प्रोडक्शन का बढ़ना जरूरी है, वहां वितरण के काम का ठीक होना भी बहुत जरूरी है। वितरण के बारे में सरकार की सारी नीति निर्भर करती है उन आंकड़ों पर जो उसके सामने तैयार हो कर आते हैं। यह सदन जानता है कि सरकार के पास ऐसी मशीनरी नहीं है जो इस बात का सही अन्दाज लगा सके कि कितनी पैदावार किस जिन्स की होती है। पता नहीं किस मुहकमे से ये आंकड़े सारे प्रदेश के नपे तुले तैयार हो जाते हैं कि इतना प्रोडक्शन हो गया और इतना निश्चय पूर्वक कह दिया जाता है। इससे यह मालूम होता है कि किसी ने हर किसान के घर में तौल तौल कर लिखे हैं। असलियत यह है कि जिस वक्त फिगर्स तैयार होते हैं उस वक्त हर आफिसर इस चक्कर में रहता है कि वे अच्छी तरह से बन कर जायं। नतीजा यह होता है कि जिस वक्त असेस होता है उस वक्त यही होता है कि पूरी फसल अच्छी हो रही है इसलिये गवर्नमेन्ट को अब किसी तरह के इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। हर साल हम देखते हैं कि गलत फिगर्स आती हैं, जिसकी वजह से गलत नीतियां बन जाती हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार जब वितरण नीति बनाये तो वह इन फिगर्स पर ज्यादा मुनहसिर न करे और अन्दाज इस बात का लगाये कि कितने हमारे खाने वाले हैं और उनकी जरूरत क्या है और उसका खयाल करके पहले से प्लान होना चाहिये कि हम को कितना बाहर से मंगाना पड़ेगा।

हालांकि इसका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है लेकिन गवर्नमेंट की गलत पालिसी इस बात के लिये जिम्मेदार है जिसकी वजह से खाद्य स्थिति इतनी गम्भीर होती जाती है। हमारे यहां खाद्य उत्पादन पर जोर नहीं दिया जाता हालांकि मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री जी कहेंगे कि हम तो इतना पानी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना बीज और इतना खाद ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन मैं यह कहता हूं कि कभी-कभी सरकार की तरफ से यह होता है कि कोई आदमी तकावी लेना चाहता है तो उससे कहा जाता है कि नहीं तुम खाद भी जबर्दस्ती लो, चाहे उसे जरूरत भी नहीं है। नतीजा यह है कि वह खाद लेता है, चाहे उसकी पोजीशन हो या न हो और फिर उसे बेच लेता है। यह ठीक नहीं है। जहां तक प्रोडक्शन का ताल्लुक है उस पर इतना जोर नहीं है जितना वितरण पर जोर है। मैं समझता हूं कि खाद्य समस्या तब तक हल नहीं हो सकती है जब तक ज्यादा जमीन पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में जोत के नीचे न लाई जाय। कामर्शल क्राप्स की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ता जाता है, जैसे गन्ना। मैं उस इलाके से आता हूं जहां गल्ला काफी होता था लेकिन अब वह सारा का सारा इलाका केन से कवर हो गया, जो नहीं हुआ उसमें सब्जी वगैरह हुआ करती है जो दिन-ब-दिन हम कामर्शल क्राप की तरफ बढ़ते जाते हैं और खाद्यान्न से आमदनी होती नहीं तो जाहिर है कि हमारे प्रदेश में उन चीजों की पैदावार कम होगी ही और हम मुनहसिर रहेंगे इम्पोर्ट्स के ऊपर अगर इन चीजों पर कंट्रोल करना है और पूर्णरूप से ध्यान देना है तो खाद्यान्न के एरिया को बढ़ायें। इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि वह कैसे बढ़ सकते हैं। मैं यह समझता हूं कि इस मामले में सरकार की गलत नीति है कि वह शुगर को एक्सपोर्ट करती है। उसके बदले में फिर अनाज को इम्पोर्ट करती है। यह फाल्स इकानामी है। एक चीज जो अपने यहां पैदा हो सकती है उसको हम पैदा नहीं करते हैं और दूसरी चीज पैदा करते हैं और जो ज्यादा पैदा होती है उस को हम विदेशों को एक्सपोर्ट करते हैं। जो यहां पैदा हो सकती है उसको दूसरे देशों से हम इम्पोर्ट करते हैं। इस तरीके से मैं समझता हूं बाहर भेजने का खर्चा, वहां से मंगाने का खर्चा यह सब बातें बढ़ जाती हैं लेकिन यह सारी की सारी समस्या बढ़ती चली जाती है। तो मेरी राय यह है कि सरकार को इस नीति को बदलना चाहिये। इस बारे में हम शुगर को एक्सपोर्ट करने की नीति को अपनाकर जो अपने यहां ग्रेन्स प्रोडक्शन को कम करते जा रहे हैं इस नीति में सामंजस्य होना चाहिये और इसकी कोशिश करनी चाहिये कि एक्सपोर्ट शुगर का हम बन्द करें। उतना हम भेजें जितना हमको ग्रेन्स प्रोडक्शन में मदद करे।

[श्री वीरसेन]

इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल पालिसी के बारे में एक बात समझ में नहीं आती कि प्रोटेक्शन किस इंडस्ट्री को दिया जाता है। वह प्रोटेक्शन तो शुरू में इंडस्ट्री को ३, ४ साल के लिये दिया जाता है लेकिन जो इंडस्ट्री बहुत पुरानी हो गई है उसको भी हमारी सरकार संरक्षण देती है। शुगर इंडस्ट्री की तरफ मेरा इशारा है। शुगर इंडस्ट्री काफी अर्से से चल रही है लेकिन किसानों को मजबूर करके उनसे गन्ना उनको दिलवाया जाता है। मैं नहीं समझता कि इसके प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है जब कि गन्ने की अधिक पैदावार के कारण हमारे फूड प्रोडक्शन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि इस चीज को रोकने के लिये गन्ने को फ्री छोड़ देना चाहिये और किसान के लिये गन्ने के ऊपर कीमत का कंट्रोल नहीं होना चाहिये। अगर मिल-मालिक ज्यादा आफर करता है तो वह वहां ले जायगा और यदि केन क्रशर वाला ज्यादा आफर करता है तो वह वहां ले जायगा। किसान को मजबूर करना या गन्ने के एरिया को रिजर्व करना मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन क्यों दे रही है। गेंदा सिंह जी कहेंगे कि इसको नेशनलाइज किया जाय। इसको नेशनलाइज किया जाय या न किया जाय यह तो उनकी बात है लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस पहलू पर ध्यान दिया जाय कि जो कामर्शियल क्राप्स हैं उनको हटाने के लिये उनका परसेंटेज फिक्स कर दिया जाय कि इतनी जमीन में काश्तकार फलां फसल बोयेगा और फलां में दूसरी चीज। अगर इन लाइन्स पर सरकार चलना नहीं चाहती है तो इम्पोर्ट के लिये कोई स्कीम बनानी चाहिये। उसी हालत में इम्पोर्ट किया जाय जबकि मार्केट में शार्टेज हो। अगर इस रास्ते पर सरकार चलना नहीं चाहती है तो और कोई रास्ता नहीं है।

आप डिटेल में नेशनल ट्रेड करें। अभी जो परसों हमारे मिनिस्टर साहब, बनारसीदास जी बोले थे, वह कह रहे थे कि कुछ समझते नहीं हैं कि क्या उनका मतलब है। स्टेट ट्रेडिंग से उनका मतलब था। मैं समझता हूं कि ग्रेन्स के बारे में मानोपोली होनी चाहिये स्टेट की। स्टेट ही खर्च करे और स्टेट ही सप्लाई करे। सप्लाई का तरीका क्या होना चाहिये? ये फेयर प्राइस शाप्स मार्केट में नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं यह कन्ज्यूमर कोआपरेटिव को मार्फत होना चाहिये। कोआपरेटिव सोसाइटी उन चीजों की होनी चाहिये जो कन्ज्यूम करते हैं। मेरी राय है कि हर जिले में उसका एक सेन्टर होना चाहिये और वहां से वितरण हो। १०, २० फैमिलीज की एक कन्ज्यूमर सोसाइटी होनी चाहिये जिसमें बेईमानी करने की गुन्जायश न हो। एक कन्ज्यूमर सोसाइटी को जितना स्टेट दे सकती है उतना दे। पिछले दिनों में जो हालत गुजरी है, मैं समझता हूं, माननीय मन्त्री जी ने उस बात को महसूस किया है कि सुबह से शाम तक बेचारे आदमियों की २००, २५० की कतार रात के २ बजे से आकर दुकान पर खड़ी हो जाती थी। इसमें बहुत से लोगों का समय बेकार जाता था। इससे कितना भारी नुक्सान लेबर का हुआ। जो जाकर अपना काम करता और अपनी रोजी कमाता वह दिन भर वहां खड़ा रहता था। इससे बहुत नुकसान हुआ। कितना नेशनल वेस्टेज हो रहा है और कितनी परेशानी हो रही है। इन सब बातों को रोकने के लिये स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपने जो ७० करोड़ रुपये और बफर स्टाक बनाने की बात कही है, मैं समझता हूं कि उससे आपकी समस्या हल होने वाली नहीं है। यह रुपया खर्च करने से और इस तरह की होर्डिंग पालिसी से आपका काम चलने वाला नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के अनुसार भी ट्रेडर्स आपका साथ नहीं दे रहे हैं। (लाल बत्ती होने पर) मैं समझता हूं कि इसे बन्द कर दीजिये और मुझे कुछ समय और दीजिये। आज ज्यादा लोग बोलने वाले नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आपका एक मिनट बाकी है।

श्री वीरसेन--

मैं अर्ज कर रहा था कि आपकी प्लानिंग है, कंट्रोल है लेकिन जब तक उसके लिये मशीनरी पूरी, एडीक्वेट और रिलायबिल न होगी उस समय तक उससे कोई फायदा न होगा। आपने कंट्रोल लगाये, कीमतें बढ़ी, मार्केट में माल आना बन्द हो गया। मैं हापुड़ का रहने वाला हूं। वहां मक्का जो २४ रुपये मन थी एकदम से ३७ रुपये मन हो गयी और कंट्रोल समाप्त होते ही २७ रुपये मन हो गयी। तो कंट्रोल के कामयाब न होने का कारण है कि एक तो व्यापारी आपकी मदद नहीं करते और दूसरे आपके अफसर काबिल नहीं हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आदरणीय राज्यपाल के भाषण के बाद बजट पर अब तक सदन में हर तरफ से खाद्य के विषय पर ही बात चलती रही है और वही प्रश्न आज इस कट-मोशन पर भी आ गया है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई नेगी जी के शब्दों को सुन कर। उन्होंने सारी बात मजाक में उड़ा दी। उन्होंने कहा कि ४० लाख टन गल्ला कम पड़ेगा। मैंने सदन में आंकड़े पेश किये थे तो उन्होंने कहा कि मैंने चूहों का, मवेशियों का हिसाब ही नहीं रखा कि उन्होंने कितना खाया और बरबाद किया होगा। मैं फिर हिसाब देता हूं। हमारा उत्तर प्रदेश का १५८ लाख टन का लक्ष्य था, १३३ लाख टन पैदा हो जाता तो साढ़े ७ छटांक के हिसाब से लगा लीजिये तो भी इसमें १०लाख टन गल्ला प्रदेश में और बच जाता है। लेकिन नेगी जी के अनुसार यहां ११६ लाख टन गल्ला पैदा हुआ। अभी तक हम सरकार से, डाइरेक्टर से, सबसे १७ लाख टन की कमी सुनते आये थे, अब दो दिन से ४० लाख टन की कमी की बात सुनने में आ रही है। लेकिन खैर, मान भी लिया जाय कि मार्च में ११६ लाख टन गल्ला पैदा हो गया तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सारा गल्ला लोगों ने अप्रैल में ही खा लिया ? अगर ऐसा नहीं था तो फिर अकाल क्यों पड़ गया ? जब गल्ला खलिहान में ही था तो अकाल क्यों पड़ गया, यह हमारी समझ में नहीं आता। गल्ला मौजूद है, मगर हल्ला कमी का मचा दिया जाता है। प्रदेश के मवेशियों के लिये, बीज वगैरह के लिये भी हिसाब लगा कर गल्ला कम नहीं पड़ेगा, आप के ही हिसाब से जितना गल्ला था वह ३१ दिसम्बर तक के लिये काफी था। गल्ले की कमी की बात न तो रसद कमेटी में मेरे गले से उतरी, न आज ही समझ में आयी। ३१ दिसम्बर तक खर्च करने के बाद आप यदि कहते कि गल्ले की कमी है तो आप की बात मेरी समझ में आती। यह प्रश्न ही नहीं उठता कि केन्द्रीय सरकार ने नहीं दिया या किसने नहीं दिया। जब यह कहा गया कि गल्ले की कमी है, तो मैंने रात-दिन हिसाब लगाया और यह पाया कि गल्ले की कमी नहीं है।

हमारे यहां साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन उपजाऊ है। अगर लोहा, सीमेन्ट आदि की कमी होती तो मैं मान जाता क्योंकि वह हमारे यहां पैदा नहीं होती है, मगर ज्वार, बाजरा, मक्का, मटर आदि तो सबसे ज्यादा हमारे यहां ही पैदा होता है। अगर अनाज की कमी थी तो क्या रेशम अधिक था या क्या चीज अधिक थी ? जहां गंगा-जमुना आदि तमाम नदियां बहती हों, वहां गल्ले की कमी ? मैंने ६ महीने पहले भी कहा था कि ७० लाख टन गल्ला उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के पास जमा है। हमने सत्याग्रह भी किया। साढ़े चार करोड़ का गल्ला आपने पकड़ा, मगर वह बजाय गोदामों में सड़ने के, आपकी अदालतों में सड़ने लगा। जब साढ़े चार करोड़ का गल्ला पकड़ा गया तो छोड़ तो जाने कितना दिया गया होगा।

इसके अलावा श्रीमन्, हमारे यहां तो एक टाउन एरिया में करीब नौ नौ, दस-दस हजार का गल्ला पकड़ा गया, मगर मथुरा शहर में एक पाई का भी गल्ला नहीं पकड़ा गया। वहां पर जिलाधिकारियों ने व्यापारियों को पहले ही सूचना दे दी कि इस तरह की कार्यवाही होने वाली है। निश्चित बात यह है कि हमारे यहां गल्ले की कमी नहीं है जितनी कि सरकार कहती है।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

अब सरकार इस उलझन में है कि करें क्या ? स्टेट ट्रेडिंग करें या फ्री मार्केट कर दिया जाय। माननीय बनारसीदास जी कहते हैं कि लेवी लगा दी जाय। एक समाजवादी होने के नाते स्टेट ट्रेडिंग की बात को तो मैं ठीक समझता हूं, लेकिन आप उस को सफल नहीं बना सकते। आपकी जो मशीनरी है वह उसको सफल नहीं बना सकती। इस भ्रष्ट मशीनरी से स्टेट ट्रेडिंग नहीं चल सकती। आधी तौर पर तो आप चला ले जायेंगे, मगर पूरी तरह से नहीं। आपको चाहिये कि भाव को नीचे लाने के लिये, भुखमरी से लोगों को बचाने के लिये आप कुछ गल्ला खरीदें और बाजारों से भाव ऊंचे जब हों तभी उसको सस्ते भाव पर बाजारों में लेकर उतरें। फ्री मार्केट से भी समस्या का हल नहीं होगा। जो सिस्टम आपका चल रहा है उसमें तो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है जिसका कुछ ठीक नहीं।

मैं आपको बताता हूं कि इस देश के अन्दर एक परम्परा है। गांधी जी ने भी यही कहा था कि कंट्रोल तोड़ना होगा। कंट्रोल के होने से देश की जनता में असंतोष और अविश्वास पैदा हो जाता है। हमारी ओर से सालूशन यही है कि सरकार एक दाम नीति निर्धारित कर दे। जब यहां सुब्रह्मण्यम् आये थे तब भी हमने यही कहा था। तब सरकार ने कहा था कि हम विचार करेंगे। आप किसान को आश्वस्त कीजिये उस समय पर, जब होली के अवसर पर ज्वार भी नहीं मिलता है। उससे आप कहिये कि हम तुम्हें सस्ता गल्ला देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको इससे क्या तकलीफ होती है। जहां तक कारखानों की चीजों का सवाल है, आपको चाहिये कि वे तैयार चीजें लागत खर्च से डेढ़ गुने दामों पर न बिकें। जो बातें हम आपको बताते हैं उन पर तो आप चलते नहीं हैं पर हम यही कहते चले आये हैं कि दिल्ली की सरकार ने कोटा नहीं दिया इसलिये उत्तर प्रदेश में भुखमरी है। मैं तो यह कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इतना गल्ला पैदा हुआ है कि जिसका सही उपयोग ही आप नहीं कर पा रहे हैं। केवल खरीफ की फसल में ९३ लाख टन पैदा हो गया है। आप रबी की फसल की बात छोड़ दीजिये। २५ लाख टन गल्ला खरीफ का अभी तक उत्तर प्रदेश की जनता नहीं खा पाई है और बाकी का अभी कोई हिसाब नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप हमारी बातों को आज से ही आजमाना शुरू कर दीजिये तो देखिये कैसे कमी रहती है। पश्चिम में कुछ फसल अच्छी हुई है ही, परन्तु पूर्व के लोग तो भूखे ही हैं। मैं तो एक समाजवादी के नाते, श्रीमन्, न पूर्व की बात कहता हूं और न पश्चिम की बात कहूंगा। मैं तो कहूंगा कि सरकार की नीति से आज सारे प्रदेश में भुखमरी की हालत है।

अनेक सदस्य—सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राधेश्याम जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि खरीफ में ९३ लाख टन अन्न पैदा हुआ और उसमें से केवल २५ लाख टन ही जनता ने खाया होगा। सरकार यह बता नहीं सकती कि वह बाकी अन्न कहां गया। मुझे याद है कि पूर्व में भी ऐसा ही हुआ कि खड़ी हुई फसल को ही ब्लैक मार्केटियर्स ने खरीद लिया और अपने कब्जे में कर लिया। क्या यह गलती हमारी है ? सरकार किस लिये है ? मैंने यही प्रश्न रसद कमेटी में भी उठाया था तो उस समय नेगी जी ने यही कहा था कि कांग्रेस में आ जाओ और फूड मिनिस्टर बन जाओ तो पता चल जावेगा। क्या यह बात माननीय मंत्री जी को कहने की है ? श्रीमन्, नेगी जी कहते हैं कि पैदावार कम है परन्तु मैं तो आंकड़े दे रहा हूं और तब भी क्या यही हमारी कमी है ? यह तो सरकार की

जिम्मेदारी है । आखिर सरकार क्या करने के लिये है ? क्या केवल ५२ प्रकार का टैक्स लगाने के लिये सरकार है या ला ऐंड आर्डर को खराब करने के लिये सरकार होती है ? सरकार की एक ही जिम्मेदारी है सबसे पहली जिसे कि दर्शनशास्त्र के सभी दार्शनिकों ने लिखा है कि सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की है कि वह अपनी जनता का भरण-पोषण करे ।

मैं नेगी जी से कहना चाहता हूं कि वह अब यह बात कहना छोड़ दें कि दिल्ली की सरकार ने मदद नहीं की या जहाजों से कोटा नहीं आया । हम दिल्ली की सरकार को और आपको एक ही मानते हैं । एक ही पार्टी की दोनों सरकारें हैं, इसलिये यह प्रश्न उठाना बिल्कुल गलत बात है । मुझे बड़ी तकलीफ हुई माननीय नेगी जी की बात सुनकर । वह प्रदेश की जनता को और नागरिकों को बधाई दे रहे थे कि भूख में हमसे उन्होंने कुछ कहा नहीं । अरे, भूख में वह और क्या कहते ? भूख में हड़तालें की, हमने प्रदर्शन कराये, सत्याग्रह करके हजारों आदमी जेलों में भर दिये, और क्या करते ? हमने राज्य को नहीं उलट दिया भूख में, यह बात दूसरी ह, उसके लिये समाजवादी पार्टी का तरीका बिलकुल दूसरा है । हम यह चाहते हैं कि जनमत से यह सरकार उलटे । अगर जनमत से यह नहीं उलटती है तो हम गलत परम्पराओं को कायम करने वाले नहीं हैं । आज यह सरकार जितनी गलत दिशा में जा रही है, उसकी जितनी आलोचना की जाय वह थोड़ी है । लेकिन सरकार के साथ-साथ विरोधी पक्ष भी तो मौजें उड़ा रहा है । अगर विरोधी पक्ष जागरूक रहता तो नेगी जी यह न कहते कि हम बधाई देते हैं जनता को । आज कमजोरी है विरोधी पक्ष की भी । जनसंघ पार्टी कम्युनिस्टों को गद्दार कहती है और कम्युनिस्ट जनसंघ को गद्दार कहते हैं और जो सबसे भले आदमी ये बठे ह उनको वह गद्दार नहीं कहते ।

एक साथी अभी कह रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस हमारे खानदान की है और जनसंघ के लोग कहते हैं कि कांग्रेस उनके खानदान की है । तो मैं अधिष्ठाता महोदय, कहना चाहता हूं और खासतौर से विरोधी पक्ष से कहता हूं कि सबसे पहला धर्म हमारा यह है कि यह सरकार उलट दी जाय क्योंकि इससे जनता का मनोबल बढ़ेगा । हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात से नाराज हों कि खिचड़ी की सरकार कैसे बनेगी ? लेकिन मैं कहता हूं कि गांधी जी ने भी कहा था कि पहले अंग्रेज चले जायं उसके बाद हम फैसला करेंगे । यह हम भी जानते हैं कि खिचड़ी की सरकार चलेगी नहीं, पलट जायगी लेकिन उससे एक बार जनता का मनोबल तो बढ़ेगा, जनता जान जायगी कि वह सरकार को पलट सकती है । उसके बाद सही-सही सरकार बनेगी, वह मुल्क की जनता की जिम्मेदारी है । इसलिये मैं विरोधी पक्ष से कहना चाहता हूं कि एक महायज्ञ रचो और उसमें इस कांग्रेस सरकार के कुकर्मों, बेईमानियों, भ्रष्टाचार और जल्मों को खोलकर प्रदेश की जनता के सामने रखो और उससे उनको राहत दिलाओ । इन शब्दों के साथ म समाप्त करता हूं ।

श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

श्रीमन्, पिछले दिनों में बम्बई प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने प्रदेश की, खासतौर से इस प्रदेश की आम तौर से, विवेचना करते हुये कहा था कि यह मैं नहीं मान सकता कि प्रदेश में और देश में खाद्यान्न की कमी के कारण यह अन्न संकट पैदा हुआ है । उन्होंने कहा कि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह अन्न संकट उन मुनाफाखोर व्यापारियों ने पैदा किया है जिन्होंने सम्पूर्ण अन्न या अधिकांश अन्न खरीद लिया है और स्पेकुलेशन के आधार पर उसको बेंचना चाहते हैं । कल झांसी में श्री कृष्णमेनन पधारे थे । उन्होंने अन्न की स्थिति मीमांसा करते हुए कहा कि मैं यह नहीं मानता कि इस देश में अन्न की उपज कम हुई है ।

[श्री कृष्णचन्द]

उन्होंने आंकड़े दिये थे। भारत सरकार के लोग भी आंकड़े देते हैं और इस सरकार के अफसरान भी देते हैं। भारत सरकार के भूतपूर्व रक्षा मंत्री, श्री कृष्णामैनन, ने यह बात आंकड़ों से सिद्ध की कि पिछले १७ वर्ष में मुल्क की अन्न की पैदावार करीब डेढ़ गुनी बढ़ी है। इस पैदावार का इम्पोर्टेड खाद्यान्न के साथ जोड़कर यदि भारतवर्ष की आबादी जिसमें बच्चे तथा महिलायें भी शामिल हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रति दिन १४ औंस खाद्यान्न प्राप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस हिसाब से इस देश में खाद्यान्न की कमी नहीं होनी चाहिये। मैं नहीं कह सकता कि दूसरे जिलों में क्या हालत है, लेकिन मेरे जिले का यह हाल है कि लैन्ड रेवेन्यू और इर्रीगेटेड एरिया बढ़ रहा है। लैन्ड रेवेन्यू केवल प्रोडक्शन के आधार पर ही बढ़ सकती है। मैं उन आदमियों में से एक हूं जो यह विश्वास नहीं कर सकते कि अन्न-संकट इसलिये आया है कि यहां खाद्यान्न की कमी है।

सरकार ने हमसे कहा था कि खरीफ की बम्पर क्राप आ गयी है। माननीय राधेश्याम जी ने कहा कि खरीफ की ९३ लाख टन पैदावार हुई। मैं नहीं जानता कि कौन से आंकड़े सही हैं। लेकिन मैं यह जानता हूं कि सरकार की ओर से यह बार-बार कहा गया कि खरीफ की पैदावार अच्छी होने के कारण हमको उम्मीद है कि अन्न-संकट टल जायगा। लेकिन खरीफ की पैदावार के बाद तो अन्न संकट और अधिक हो गया। कहां गयी खरीफ की पैदावार? कहां गया विदेश से मंगाया गेहूं? कहां गये सरकार के साधन? इसका एकमात्र कारण यही है कि यह सरकार अपने सप्लाई डिपार्टमेंट को ठीक नहीं कर सकी है। इस समय हमारा प्रदेश अन्न के मामले में जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है। चीन हमारी स्वतंत्रता को हड़पना चाहता है। हमारे पड़ोस में आकर बैठ गया है। प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। लेकिन इस पुराने कनजरवेटिव सप्लाई डिपार्टमेंट का वही हाल है जो आज से २० वर्ष पहले था।

यह डिपार्टमेंट और यह गवर्नमेंट मुनाफाखोरों के जहर के दांत को तोड़ने में असफल रहे हैं। मुनाफाखोरों और सरकार के अधिकतर अहलकारों ने मिलकर अन्न का संकट पैदा किया है और कोई दूसरा कारण नहीं है। सरकार कहती है कि १,००० मुनाफाखोर पकड़े गये। मुझे विश्वास नहीं रहा इन आंकड़ों पर। जैसा कि वीरसेन जी ने कहा, इन आंकड़ों के आधार पर जो नीतियां बनीं वे गलत साबित हुईं। वे मुनाफाखोर हवालात में भी नहीं जाने पाये। पकड़े गये लेकिन वहीं पर जमानत होकर रिहा हो गये। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में आंच नहीं आने पाई। मैं कहता हूं कि अगर १,००० मुनाफाखोर पकड़े भी गये तो उनमें से कम ७५० स्काट फ्री निकल जावेंगे। आप उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। मैं नेगीजी से कहना चाहता हूं कि जिस मुनाफाखोर को पकड़ो उसे घर से हवालात तक, कोतवाली तक हथकड़ी डालकर और कमर में रस्सी बांध कर ले जाओ ताकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस लगे और वह लज्जा महसूस करे। लोग समझें कि यह व्यापारी मौत का व्यापारी हैं, अन्न का नहीं है। तभी यह स्थिति ठीक हो सकती है। अब तो यह होता है कि कोई मुनाफाखोर पकड़ा गया, दरोगा जी ने वहीं जमानत ले ली और किसी को पता भी नहीं चलता है। मैं चाहता हूं कि मुनाफाखोर का आप काला मुंह करके सरेबाजार निकाल कर ले जावें और लोगों को छूट दे दें कि भूखा मरने की वजह से जो तुम्हें क्लेश हुआ है उसका बदला ले सकते हो। लेकिन मैं जानता हूं यह जनतंत्र में संभव नहीं है। लेकिन इतना तो संभव है कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को, जैसे भी हो, आप कम करें।

(इस समय २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

सप्लाई डिपार्टमेंट में आज भी २०,२० वर्ष पुराना आदमी वहीं जमा हुआ है जिससे उसके वेस्टेड इंटेरेस्ट्स पैदा हो गये हैं। उन लोगों ने अपने मकान जायदाद बना लिये हैं।

वे लोग दक्ष हो गये हैं कि कैसे पैसा खाया जाता है । मैंने पहले भी कहा था कि इस डिपार्टमेंट को पुनर्गठित कीजिये । तभी यह डिपार्टमेंट ठीक काम कर सकता है । मैं वीरसेन जी की बात से बिलकुल सहमत करता हूं, राधेश्याम जी की से नहीं कि इस संकट का अब बफर स्टाक बनाकर दूर किया जा सकता है । अब तो केवल स्टेट ट्रेडिंग का ही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है । स्टेट की मानोपाली होनी चाहिये खाद्यान्न के मामले में । आजकल के समान संकट का समय हो नहीं सकता । अगर मेक्सीमम संकट के समय मेक्सीमम कदम नहीं उठाये गये और आज भी अगर हमारे कदम हिलते रहे तो यह किस्सा कभी खत्म होने वाला नहीं है । इस समय आवश्यक है कि फूड के मामले में स्टेट की मानोपली हो । हम जब सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना करना चाहते हैं तो अनाज के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसी पर समाज का आधिपत्य होना चाहिये । यह तो नार्मल हालत में भी होना चाहिये था लेकिन अब तो एबनार्मल हालत है । बाहरी ताकतों से मुल्क को खतरा है, लोगों को खाने को मिल नहीं रहा है, उस समय तो समाज की रक्षा के लिये यह कदम अवश्य ही उठाया जाना चाहिये ।

आप कहते हैं कि केंद्र इस खाद्य स्थिति के लिये दोषी है और केंद्र कहता है कि आप दोषी हैं । लेकिन मुझे एक शेर याद आ रहा है:––

आंखें यह कह रही हैं कि दिल ने किया खराब,
दिल कह रहा है कि आंख ने हमको मिटाया दिया ।
दोनों का बिगड़ा कुछ नहीं इस राहे इश्क में,
दोनों ने मिल कर खाक में हमको मिला दिया ।

आप कहते हैं कि केंद्र का कसूर है और केंद्र कहता है आपका कसूर है लेकिन इस प्रदेश की ८ करोड़ जनता कहती है कि इन दोनों ने मिल कर हमको खाक में मिला दिया है । इसलिये इन चीजों से काम चलने वाला नहीं है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप समझते हैं कि केंद्र ने आपके साथ अन्याय किया है, उद्योग धंधे देने में प्लान का आपका हिस्सा आपको नहीं दिया, तो आप तो चुनी हुई सरकार हैं, आप न्यायोचित मांग को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो यह ८ करोड़ जनता आपके पीछे होगी । मेरा तो विश्वास है कि उधर के सदस्य भी पीछे नहीं रहेंगे और सब मिल कर आपकी न्यायोचित मांगों को मनवाने के लिये केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालेंगे । लेकिन आप केंद्र पर मुनहसिर रहें, केंद्र विलायत पर मुनहसिर रहे और वे किसी और पर मुनहसिर रहें, यह विशस सर्किल को आपको तोड़ना ही पड़ेगा । हमको हर प्रकार से आत्म-निर्भर बनना पड़ेगा । प्रोडक्शन और वितरण में आत्म-निर्भर होना होगा और इस मुनाफाखोरी को समाप्त करना होगा, इस सप्लाई विभाग को आपको फिर से ठीक करना होगा, फूड के मामले में मानोपाली स्थापित करनी होगी, तभी मैं समझता हूं कि आप इस अन्न संकट को दूर कर पायेंगे अन्यथा नहीं ।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय चन्द्रजीत जी यादव ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय चन्द्रजीत ने ठीक ही कहा कि आज की जो मुसीबत है वह आपके गलत उसूलों के कारण, आपकी नासमझी के कारण, सेंटर से आपका मेल न होने के कारण है । यह जो बहुत-सी गड़बड़ होती है वे आपकी और सेंटर की कोलोबरेशन से ही होती है । प्लान्ड एकोनामी जहां जहां हुई है वहां वहां यह बात पायी गयी है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भगवान सहाय]

कि प्रोडक्शन को प्लान करके ज्यादा बढ़ाने का प्रयत्न किया गया ह और डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल किया गया है। लकिन आपका डिस्ट्रीब्यशन प्राइवेट अनइस्क्रूपलस हाथों में ह जिनकी पालिसी गलत और गर-ईमानदारी की है। मैं समझता हूं इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर यादव जी ने कहा कि केंद्र और सेंटर में कांग्रेस की ही सरकार होने से एक नाते सारे देश में आपकी ही सरकार लेकिन कहीं तो २० रुपया मन गेहूं बिक रहा है और कहीं ५० रुपया मन बिक रहा है। जब इसके जवाब में कहा जाता है कि सेंटर वाले नहीं मानत तब बात समझ में नहीं आती क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री बदलने और किसी को रखने और किसी को हटाने में सेंटर से ही तो आज्ञा आती है। यह तो हमको दिखाने के लिये आप ऐसा कहते हैं।

अब मैं सरकार की फूड पालिसी पर आता हूं। आपने खांडसारी पर कंट्रोल किया और उत्तर प्रदेश के बाहर जाने पर रोक लगा दी। यह तो आपने ऐसा ही किया कि अंडों का एक्सपोर्ट तो बन्द कर दिया और मुर्गियों को बाहर जाने की इजाजत दे दी। आपन राब, गुड़ का एक्सपोर्ट खोल दिया। बहुत से लोग राजस्थान के बार्डर के जिलों में चले गये और वहां जाकर एक हैन्ड सैन्ट्रीफ्यूगल लगा लिया और इस प्रकार से आपके यहां से शकर भी चली गयी और शीरा भी चला गया। शीरा भी दिया और लोटा भी दिया। यू० पी० के बाहर शीरा और गुड़ सब गया और खांडसारी रोकी गई। नेगी साहब उत्तर दें इस बात का कि जब उन्होंने खंडसारी को रोका तो इस छूट देने के मानी क्या थे? अगर्चे इन्डायरेक्ट कंट्रोल को खत्म करने की मन्शा नहीं थी और प्राइवेट ट्रेडर्स को लाखों रुपया कमवाने का मन्शा नहीं था तो इस के छूट के मानी क्या हैं, इस को वह जस्टीफाई करें।

बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश में बहुत सी आटे की मिले हैं और उनका आटा अगर आप देखें तो लखनऊ मिल का आटा सब से ज्यादा खराब होता है और जब बात कीजिये तो मालूम होता है कि उसको पकड़ने की कोई भी मशीनरी आपके पास नहीं है। उस की परख का कोई उपाय आपके पास नहीं है सिवा इसके कि आंख से देख लीजिये और हाथ से छू लीजिये, कोई लेबोरेटरी आप के पास टेस्ट के लिये नहीं है जिससे मालूम हो सके कि कितने परसेंट चोकर है या किस चीज की मिलावट है, वहां चोकर पीस कर गेहूं में मिलाया जाता है और गहूं बचाकर उसका मैदा बनाकर ब्लैक में बेंचा जाता है और मक्का का आटा भी गेहूं में मिलाया जाता है। नेगी साहब कह सकते हैं कि मक्का और गेहूं की कीमत में ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन वह मक्के को पीसकर गेहूं बचाते हैं और गेहूं का मैदा बनाकर दुगुने और तिगुने दामों में बेंचते है ब्लैक में। कोई भी तरीका उनके पास नहीं जिससे कि वह इस मिलावट को पकड़ सकें और प्राजिक्यूट करा सकें कि चोकर ज्यादा है, ज्यादा रेजिड्यू है। भले ही नेगी साहब का विभाग धोखे में हो लेकिन सभी लोग इस बात को मानेंगे कि यह धोखा देने से कोई लाभ नहीं ह।

यही हालत चावल की है। कायदा यह है कि सरकार मिलों से ६० प्रतिशत लेती है और ४० प्रतिशत छोड़ती ह लेकिन ७० प्रतिशत छूट में चला जाता है और ३० प्रतिशत ही सरकार के पास जाता है। अगर नेगी साहब इस को गलत मानते हों तो वह विभाग के आंकड़े उठा लें कि इस साल नजीबाबाद से कितना चावल गया और लड़ाई के जमाने से आज तक वहां से कितना चावल जाता रहा है और कितना अब गया। बहुत ज्यादा चावल बाहर गया और उसके कारण इतने अधिक दाम चावल के हो गये। नजीबाबाद के चारों ओर जो अन्न की पदावार हुई उसके आंकड़े विभाग के पास होंगे। इसके अलावा ४२ से आज तक की वहां की जो जायज जरूरत है उसके आंकड़े भी होंगे उससे बेतहाशा तादाद में चावल बाहर गया, इसकी वजह क्या है? उनके बिजली के बिल देखे जायं कि उन्होंने साल भर में कितनी बिजली कंज्यूम की और एक यूनिट पर कितना चावल निकलता है तो इतनी बिजली पर कितना चावल निकला होगा। मेरा अन्दाज है कि ७० प्रतिशत चावल छूट में चला जाता है और वह पूरा

कोटा नहीं देतीं। और उसका तरीका क्या है, मैं बताता हूं। नजीबाबाद से गया। वहां से कहां गया यह आप जानें। लाखों मन चावल मेरे यहां से गया। उसका तरीका क्या है ? परमिट इश्यू करते हैं चावल का और उस पर ४,६ ट्रक्स बराबर चले जाते हैं तब जाकर एक परमिट पूरा होता है और इसमें ऊंचे अधिकारी तथा पुलिस के अधिकारी मिले हुये हैं और चावल के आर्डर को डिफाई करते हैं। इसी तरह से कानपुर में १ लाख या डेढ़ लाख बोगस राशन कार्ड्स हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इतने बोगस कार्ड्स निकलने के बाद सप्लाई विभाग के कितने आदमियों के खिलाफ आपने ऐक्शन लिया ? और अगर नहीं लिया तो मतलब यह है कि आपके विभाग से बेईमानी को प्रोत्साहन मिलता है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह जब जवाब दें तो इसको बतायें कि आखिर ऐक्शन न लेने का क्या कारण था।

अनेक सदस्य–होम गार्ड वालों ने बनाये।

श्री भगवान सहाय––

अब ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं कहना मुनासिब नहीं समझता, बनाये होंगे होम गार्ड वालों ने, लेकिन उसके अन्दर बहुत लूप होल्स हैं, अगर मंत्री जी चाहेंगे तो मैं बाद को बता दूंगा। एक बात मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरन मुझको कहना पड़ रही है। जहां तक मेरे जिले का सवाल है मैंने देखा कि हमारे जिले को नेगी जी की सरकार ऐम्पायर की तरह ट्रीट करती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने शाहजहांपुर को ऐम्पायर की तरह ट्रीट किया तो हम भी कमजोर नहीं हैं और हम सरकार के इस बरताव से इनकार करते हैं और आगाह करेंगे कि अब वक्त बहुत हो गया है, आप अपनी लापरवाही से और जो आपकी उदासीनता है उससे आप संभलें। पारसाल शाहजहांपुर में होली के दिन गल्ला नहीं बंटा। ५६ ट्रक्स हमारे जिले में इस महीने जाने थे लेकिन अभी तक कुल ३० ट्रक्स ही मिले हैं, क्या आप इस महीने के बाकी दिनों में शेष ट्रक्स भेज सकेंगे ? शाहजहांपुर के जो टाउन एरियाज हैं उनमें गल्ला किस तरह से बांटा और जिलों में किस तरह से बांटा, यही इसका सबूत है कि सरकार हमारे जिले को ऐम्पायर की तरह ट्रीट करती है। हम सरकार की इस उदासीनता को बहुत जल्दी तोड़ देंगे। आप बतायें कि शाहजहांपुर के जो ४ टाउन एरियाज हैं उनमें १ साल के अन्दर कितना गल्ला बांटा गया तथा दूसरे जिलों में कितना गल्ला बांटा गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार का यह ट्रीटमेंट बरदाश्त नहीं किया जायगा और अगर कोई गड़बड़ होगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। शाहजहांपुर जिले को २२ तारीख में ३० ट्रक्स पहुंचे हैं। अब क्या इन ६ दिनों के अन्दर माननीय नेगी जी २६ ट्रक्स पहुंचा देंगे ? जो २,३ ट्रक्स यहां से जाते थे और जो बन्द कर दिये गये उनको पहुंचा देंगे ? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह बतायें किन-किन शहरों में, किन-किन टाउन एरियाज में उन्होंने कितना गल्ला दिया। म कहना चाहता हूं कि इलेक्शन की सीटें तैयार करने वाली जो बात है इसको सरकार को छोड़ना चाहिये। मैं समझता हूं कि मैं ही नहीं, माननीय गेंदा सिंह जी भी तथा हर सेन माइन्डेड आदमी इसकी निन्दा करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं होता है।

मैं चाहता हूं कि लखनऊ मिल की जांच होनी चाहिये। इनके यहां बराबर यह होता रहा कि परमिट ट्रक का गेट पर जमा हो गया और जब ट्रक सीतापुर, खीरी या अन्य नजदीक के जिले में पहुंच गयी तब वहां से कोड वर्ड्स में टेलीफोन आ गया कि चीज आ गयी, वह परमिट वापस ले लिया और उस पर दूसरा माल दे दिया। इस तरह से ब्लैक लखनऊ मिल में होता है। हालांकि इसको साबित करने में जरूर आप कहेंगे कि दिक्कत है। लेकिन इसके साबित करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरठ, आगरा और लखनऊ का आटा देख लिया जाय। लखनऊ का आटा अपनी मिलावट के लिये दूर से जाहिर होगा। आखिर सरकार के नीचे ही अंधेरा क्यों है ? इसकी बराबर शिकायतें हुईं और कोई अधिकारी इस विभाग का ऐसा नहीं ह जिसकी

[श्री भगवान सहाय]

हिम्मत हो कि लखनऊ मिल के खिलाफ कोई कदम उठावे । यह जिन्दगी और मौत का सवाल है प्रदेश के लिये इसमें जो भी बात करें सोचकर समझ कर करें । न तो अफसरों के हाथ में आप खेलें, न मिल मालिकों के और न उन मुनाफाखोरों के हाथ में जिनका लक्ष्य ही मुनाफा कमाना है और मुल्क की बेहबूदी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं । मैं चाहूंगा कि आटे की मिलावट तथा चावल की जो लीकेज है उसको सरकार तुरन्त रोके ।

श्री राजाराम (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या जो हमारे यहां चल रही है वह बड़ी भयंकर है इसके संबंध में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । जिस तरीके से चीजों के दाम बढ़े हैं वह इस बात का प्रमाण है कि अब हमारे प्रदेश के अन्दर जो भाव चल रहे हैं उससे गरीब लोगों को बहुत संकट हो गया है और वह उकता गये हैं । एक रिपोर्ट सरकार की तरफ से निकली है जिसमें चीजों के भावों का जिक्र है । उससे मालूम होगा कि अक्तूबर १९६३ में गेहूं का भाव ४४.९७ पैसे प्रति क्विंटल था और दिसम्बर १९६४ में वह बढ़कर ९३.७७ पैसे हो गया । चावल तृतीय श्रेणी का भाव अक्तूबर, १९६३ में ५५.४५ पैसे था जो बढ़ कर दिसम्बर, १९६४ में ६५.९३ पैसे प्रति क्विंटल हो गया । इसी तरह चना, ज्वार, मक्का, बाजरा, आदि सब मोटे अनाजों का दाम एक साल में काफी बढ़ गया । इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारे प्रदेश की ६० प्रतिशत जो जनता है वह आज मुश्किल से दोनों समय खाना नहीं खा पाती और काफी संकट में हो गयी है । मैं समझता हूं कि सरकार को इस की चिन्ता करनी चाहिये । सरकार का ध्यान जब इन बातों की ओर आकर्षित किया जाता है तो एक चिन्ता का विषय हो जाता है और उसकी बड़ी उपेक्षा की जाती है । मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इस ओर पूरी सरकार के लोगों को विचार करना चाहिये । मैं नहीं जानता कि इस सिलसिले में हमारे कैबिनेट के लोगों ने कितने घंटे इस बात को सोचने के लिये लगाये कि खाद्य समस्या का हल कैसे हो ।

दूसरी बात यह है कि जो बात आज से ६ माह पूर्व होनी चाहिये थी वह ४–५ महीने बाद की जाती है, जब उसका समय नहीं होता है । आपको मालूम है कि पारसाल मार्च के महीने में गेहूं के जोन बनाये गये । इस प्रदेश के अन्दर बाहर से आना और बाहर भेजना बन्द कर दिया गया । उस वर्ष मटर, चना, बेझड़ आदि के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया । यदि इन वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता तो चना, मटर आदि हमारे प्रदेश के बाहर न जाता लेकिन ऐसा नहीं किया गया । मैं समझता हूं ऐसा न करके बड़ी भूल की गयी है । उसी प्रकार से धान और चावल का जो मूल्य नियंत्रण किया गया है, उसमें जो फुटकर दाम निर्धारित किया गया है वह जितना होना चाहिये था उससे काफी सस्ता मुकर्रर किया गया है । इसके कारण बाजार में यह धान नहीं आया और न चावल आया और वह जो आदेश थे कोरे आदेश रह गये । कानूनों का उल्लंघन सरेआम होता है । किसी का उस पर चलान नहीं होता है । सरकार के आदेश मोटे अनाज के नियंत्रण के लिये १२ अक्तूबर को जारी हुए और बहुत से जिलों से निर्यात पर रोक लगा दी गयी । उस समय नहीं सोचा गया कि उत्तर प्रदेश से मोटा अनाज बाहर चला जायेगा । मोटे अनाज के निर्यात के ऊपर भी १८–१२–६४ को रोक लगी जबकि प्रदेश से सारा मोटा अनाज बाहर निकल गया । इस तरह से सरकार को जो काम पहले करना चाहिये था वह बाद में किया गया जिससे बहुत सा गल्ला हमारे प्रदेश से बाहर निकल गया । सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये । मुझे इसमें सरकार के अधिकारियों की गड़बड़ी दिखाई देती है । अगर दूरदर्शिता से काम लेते तो ऐसी गलती न होती ।

होर्डिंग के संबंध में जो कानन बनाया गया, वह भी जिस तरह से लागू होना चाहिये था, लागू नहीं हुआ । जैसा मुझे खयाल है किसी भी बड़े दूकानदार या व्यापारी को सजा नहीं हुई है । जो १,८१,००० क्विंटल गल्ला पकड़ा गया था उसके विरुद्ध भी रिट दायर

करके स्टे कर दिया गया लेकिन उसके बाद सरकार अब भी सोच रही है। मैं जानता हूं कि हमारे यहां बर्दाश्त की मात्रा बहुत है लेकिन अब समय आ गया है जब बर्दाश्त का प्याला भर गया है और मंत्री महोदय को समय से इन्तजाम करना चाहिये ताकि उसके नतीजे खराब न हों।

फैजाबाद जिला, जहां से मैं आता हूं, डेफिसिट जिला है। उत्तर में गोंडा और पश्चिम में बाराबंकी जिले हैं जहां से हमारे यहां मोटा अनाज जैसे मक्का, ज्वार आदि तथा धान व चावल आता था, लेकिन अब वह भी बन्द कर दिया गया है। मंत्री महोदय से कई बार कोशिश की गयी कि सरजू पार बस्ती तथा गोंडा से हमारे यहां मोटा अनाज आने दिया जाय और कहने सुनने के बाद वह पाबन्दी हटा ली गयी है लेकिन बाराबंकी जिले से धान व चावल का प्रतिबन्ध अब भी कायम है। मेरा सरकार से निवेदन है कि डेफिसिट जिले के साथ एक सरप्लस जिला जोड़ दिया जाय तो आसानी से काम चल जायगा। अब हमारा प्रदेश एक है तो सभी क्षेत्रों के साथ एक-सा बर्ताव होना चाहिये और जो जोन्स कायम किये गये हैं उनको एक करके सारे प्रतिबन्ध हटा लेने चाहिये। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस पर विचार करेगी कि जब सारा देश एक हो गया है तो गेहूं के मामले में जो जोनल प्रतिबन्ध है वह हटा लिया जाय और सारे देश में गेहूं का भाव भी एक ही रखा जाय।

एक बात यह है कि जो रोलर फ्लोर मिल्स तथा राइस मिल्स हैं उनमें बड़ी अव्यवस्था है। मालूम होता है कि सरकारी मशीनरीज सारी मिल ओनर्स से मिली हुई है। राइस मिल्स से ६० प्रतिशत लेवी ली जाती है और उसके बाद ४० प्रतिशत छोड़ दी जाती है जिसको वे खुले आम बेच सकती हैं। जो भाव वह चाहती हैं उस पर वे बेचती हैं, जो नियत भाव हैं उस पर वे नहीं बेचतीं। इस पर मंत्री महोदय गम्भीरता से विचार करेंगे ताकि उचित भाव पर आटा और चावल मिल सकें डेफिसिट जिलों को, जिससे कि उनको सहूलियत हो। उपरोक्त सुझावों पर माननीय मंत्री विचार करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो अन्य संकट आया हुआ है वह खत्म हो।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में अपने भाव व्यक्त करूंगा। श्रीमन्, विवाद या विरोध विचारों का मंथन है, जिस प्रकार मंथन से नवनीत निकलता है उसी प्रकार से विरोध से तथ्य और तत्व निकलता है। "वादे वादे जायते तत्व बोधः" विवाद से सही तथ्य का बोध होता है। "सत्यार्थ निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोचितः" सच्चे अर्थ का निश्चय दृष्टगत होता है विचारपूर्वक कल्याणकारी की हुई युक्तियों से। किन्तु विरोधी कैसा होना चाहिये? मेधावी पुरषो विद्वान् अहापौहावे चक्षणः। अधिकारी राजविधायाम उक्त लक्षण लक्षित :।। जो इन लक्षणों से लक्षित हो, विद्वान् हो, उधेड़बुन में निपुण हो वही राजनीति का अधिकारी होता है। मैं इन्हीं आधारों पर अपने विचार व्यक्त करूंगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी ने अपने भाषण में कहा कि योजनाओं और अनुदानों की मांग कड़वी औषधि होती है। मैं इसको स्वीकार करता हूं लेकिन मैं यह और कहता हूं कि सरकार डाक्टर होती है और राष्ट्र रोगी होता है। यदि रोगी को बार-बार कड़वी औषधि दी जाय और लाभ न करे तो क्या करना चाहिये। तो यह सोचना है कि यदि योजना और अनुदानों की मांग रूपी औषधि रोगी को लाभ नहीं पहुंचाती हैं, रोगी सूखता चला जा रहा है और ठठरी हो जाता है लेकिन फिर भी डाक्टर वही दवा देता है। जब ऐसा होता है श्रीमन्, तो क्या किया जाता है? या तो डाक्टर को बदल दो या फिर औषधि बदल दी जाय। फिर भी अगर डाक्टर वही दवा दे तो बोतल लेकर डाक्टर के सिर पर मार दो जिससे बोतल भी फूट जाय और डाक्टर की खोपड़ी भी फूट जाय। यही होता है जब वह औषधि लाभ नहीं करती है।

[श्री लोकपाल सिंह]

भ्रष्टाचार रोकने की औषधि दी लेकिन नहीं रुका, सदाचार बढ़ाने की औषधि दी लेकिन नहीं बढ़ा, अन्न बढ़ाने की दी लेकिन घटता चला गया, विकास योजनायें बनाईं लेकिन विनाश योजनायें बन गईं, चकबन्दी योजना बनाई लेकिन चक्रबंदी योजना बन गई और सहकारी योजना बनाई लेकिन सरकारी योजना बन कर रह गई। राष्ट्र रोगी गिरता चला जा रहा है। इसलिये आवश्यकता है कि या तो डाक्टर बदला जाय या औषधि बदली जाय। जनसंघ का मत है कि औषधि बदली जाय, हमारे अन्य साथियों का मत है कि डाक्टर रूपी सरकार बदली जाय और योजना रूपी औषधि वही रहे तो फिर क्या लाभ है? मेरे विचार से औषधि अवश्य बदली जाय। डाक्टर के पास अगर दूसरी औषधि नहीं है तो डाक्टर बदला जाय। सिविल सर्जन भी वहां आये थे उन्होंने कुछ नहीं कहा कि क्या किया जाय। सिविल सर्जन से मेरा मतलब महामहिम राज्यपाल महोदय से है।

हमारी सरकार त्रिगुणमयी नीति चला रही है, जैसे भगवान ने अपनी शक्ति को तीन भागों में विभक्त कर रखा है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यह तीनों कभी नहीं सोचते कि हम किसको पैदा करें, किन का पालन करें और किन का नाश करें। यही नीति सरकार की है। बी० डी० ओ०, कलक्टर और तहसीलदार। बी० डी० ओ०, रुपया कृषि यंत्र खरीदने के लिये देता है, तहसीलदार अपने डंडे से वसूल करता है और कलक्टर तहसीलदार को वसूल करने का आदेश देता है। ये तीनों देवता हैं। जो जोड़ी काश्तकार एक हजार रुपये में खरीदता है उसे वह ५०० रुपये में तहसीलदार का डंडा खाकर बेंच देता है। कैसे अन्न की वृद्धि हो? तमाम जो आवश्यकता की चीजें कर्ज ले करके उसने खरीदा था, आज वह आधे दाम में बेंच दिया गया। त्रिगुणमयी लीला है। हमारी सरकार की यहां पर भी त्रिगुणमयी लीला का प्रदर्शन है। कृषि, सिंचाई और बिजली मंत्री जी तीन लीलायें यहां पर अलग-अलग कर रहे हैं। कृषि मंत्री अपनी अलग ढपली बजा रहे हैं, सिंचाई मंत्री अपनी अलग ढपली बजा रहे हैं और बिजली मंत्री अपनी अलग ढपली बजा रहे हैं। आगे भी अगर इसी प्रकार से ये मंत्री लोग अपनी-अपनी ढपली अलग-अलग बजाते रहे कि किसी से किसी का मतलब नहीं है, तो अन्न की वृद्धि नहीं होने वाली है। चाहिये कि कृषि मंत्री सिंचाई मंत्री को सहयोग दें, सिंचाई मंत्री बिजली मंत्री को सहयोग दें, तब राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। श्रीमन्, राष्ट्र बाग है और सरकार माली है। माली अगर बाग की हिफाजत नहीं करता है वह समय से उसमें पानी नहीं देता है और खाद नहीं देता है तो बाग सूख जायगा। तो, श्रीमन्, इस सरकार को चाहिये कि कृषि की उन्नति के लिये खाद, पानी आदि की व्यवस्था समय पर की जाय। श्रीमन्,

"गुलची तू दूर गर्दिशे से दौरां न कर सका।
दौरा खिजा को फसले वहारां न कर सका॥
अंग्रेज गर था भला उसका मलाल क्या ?
तू भी तो इन्तजामे गुलिस्तां न कर सका॥
जो आफताब थे उन्हें तो जर्रह कर दिया।
जर्रह को आफताब बनाता तो बात थी॥
महलों को तूने लाख चिशगां किया तो क्या ?
गर, झोपड़ों में दीप जलाता तो बात थी॥
वक-सितम से गुंचओ गुल ही बचे तो क्या ?
सारे चमन को साफ बचाता तो बात थी॥'

देश का कल्याण—श्रीमन्, आप अपनी योजनाओं के विस्तार करों से करना चाहते हैं। करों से कभी भी राष्ट्र कल्याण नहीं हुआ करता। कर के बढ़ाने से सीता का जन्म हुआ, रावण का विध्वंस हुआ। करों से क्या दशा होती है? करों से राज्य पलट जाता है।

श्रीमन्, "जब करों द्वारा विधायक जन-करों को बांध लेता।
और फिर अपने पराये की गगन चढ़ बांग देता॥

कर्म का प्रिय पारितोषिक क्षुब्ध-मानव जब न पाता ।
शान्ति मय जनता–जलधि में तब उसी क्षण ज्वार आता ।
डोल उठती है धरा झट व्योम झंझाझोर होता ।
क्रांति होती देश में चट राज्य–विप्लव घोर होता ।।

श्रीमन्, आपको अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी खाद्य समस्या का हल हो सकता है । इतनी बात कहता हूं मैं । लाल झंडी को देखते हुये मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

*श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जिस परिस्थिति से हमारा देश और प्रदेश गुजर रहा है उसके बारे में सभी, जितने भी माननीय सदस्य हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं । लेकिन जो परिस्थिति हमारे प्रदेश के अन्दर आई और खासतौर से इस खाद्य समस्या को लेकर जो परिस्थितियां हमारे प्रदेश में आईं, उनका मुकाबला जिस दिलचस्पी से हमारे माननीय खाद्य मंत्री जी ने किया मैं उसके लिये उनको बधाई देता हूं । मान्यवर, यदि हमारे पास इतनी चीज होती कि जिसका वितरण हम जानबूझकर गलत तरीके से, गलत नीति से, गलत तौर से किये होते तो ये जो आज माननीय सदस्य इधर बैठने वाले हों, चाहें उधर बैठने वाले हों, अगर उनका यह लांछन उस समय होता तो यह बात एक सम्भव बात हो सकती थी और यह उनका कहना उचित होता । जब देश के अन्दर खाद्यान्न की भारी कमी रही और उस कमी के अन्दर जिस प्रकार से हमारी राज्य सरकार और खाद्य मंत्री ने उसका वितरण किया इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी यदि मैं उनको एक बार फिर बधाई दूं । जहां पर मैं सरकार को बधाई दे रहा हूं, मैं उस बात को भी नजरन्दाज नहीं करूंगा कि सरकार की जो नीति है, वह तो सही है, लेकिन जो उसके कर्मचारी, उस नीति का पालन कराने वाले हैं, उनमें जो दोष हैं उनको मैं अवश्य सरकार के सामने आपके जरिये से लाने की कोशिश करूंगा ।

मान्यवर, मुझ अपने पर्वतीय क्षेत्र का तजुर्बा है । वहां पर जो भुखमरी का एक महीने के करीब आलम रहा, उसको मैंने राज्य सरकार के सामने रखा और मंत्री जी से उस विषय में मैंने कई बार प्रार्थनायें भी कीं, तार भी भेजे और उनकी समस्या का आपके सामने इजहार भी किया । मैं यह समझता हूं कि सारे प्रदेश में जब कमी थी तो यह नामुमकिन था कि वह पहाड़ों के लिये या दूसरे जो जरूरतमंद प्रदेश हैं या जो इलाके हैं उनकी उस हद तक मांग को पूरा कर देतीं, जितनी कि वहां की मांग थी, जितनी कि वहां के लोग चाहते थे । लेकिन वहां उनका जो प्रयास रहा, उसमें मुझे कोई संशय नहीं है वह बिलकुल ठीक था और यदि कोई खामी आई तो उसके लिये जिम्मेदार सरकारी अधिकारी और पुराने समय से चली आने वाली मशीनरी है, जो इस बात में हमेशा लगी रहती है कि कब कन्ट्रोल का समय आये और कब पैसे बनाये जायें । पर्वतीय क्षेत्रों में अन्न की दिक्कत की बात को केवल मैं अपनी तरफ से ही नहीं कहता, इस बात को माननीय गेंदासिंह की अध्यक्षता में जो आपकी सरकार ने एक समिति का गठन किया, उस समिति ने भी हमारे पवतीय क्षेत्रों का दौरा करके यह निष्कर्ष निकाला कि हमारा पर्वतीय क्षेत्र खाद्यान में बहुत पिछड़ा हुआ है । हमारे यहां, मान्यवर, सालभर में २ महीने के लिये भी खाना उपलब्ध नहीं होता है । तो इस प्रदेश में हमारी बात को ज्यादा सही न माना जाये तो भी राज्य सरकार के द्वारा जो समिति गठित की गई थी माननीय गेंदासिंह की चेयरमैनशिप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री देवेन्द्रसिंह]

में, उस समिति ने वहां जो देखा और जो उन्होंने पत्रकारों से अपनी मुलाकात में बताया कि यहां पर जो वितरण की व्यवस्था है, उसमें काफी दोष हैं, यहां पर जिस रेशो में अन्न मिलना चाहिये, उस रेशो में राज्य सरकार अन्न नहीं दे रही है। तो मैं इसके लिये सरकार को उतना दोषी नहीं समझता हूं जितना कि दोषी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, डी० एस० ओ० आदि जो रहे हों उनको समझता हूं। इनको मैं ज्यादा दोषी समझता हूं।

महोदय, इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जो मशीनरी हमारे सप्लाई डिपार्टमेंट की है, उसमें पूरी ओवरहालिंग करने की आवश्यकता है; तभी जो हमारा आने वाला समय है उसमें स्थिति सुधर सकती है। हो सकता है कि उससे भी हमारी समस्या खराब हो, यद्यपि हमें पूरी आशा है कि जो समय निकट भविष्य में आएगा वह ठीक ही होगा। लेकिन हमें ऐसे समय के लिये तैयार अपनी मशीनरी को करना है। यदि हम इस समय इस बात को नजरन्दाज कर देंगे तो इससे भी ज्यादा हमें पछताना पड़ेगा।

मान्यवर, मैं अधिक क्या कहूं? ५, ५ रुपये का राशन एक परिवार के लिये रखा गया है। पहाड़ों पर ज्यादातर ज्वाइंट फेमिलीज है और एक-एक परिवार में २०–२०, २५–२५ आदमी रहते हैं। कुटुम्ब की परिभाषा आपकी गलत है और उसके अनुसार २५ आदमियों के परिवार को भी ५ ही रुपये का आटा भिड़ा दिया गया। अब ५ रुपये के आटे, चावल या कुल सीरियल्स में उसने अपनी कैसे गुजर की होगी, यह विचारणीय बात है। लेकिन हमें इस के बाद भी इस बात का गर्व और संतोष है कि पहाड़ के लोगों ने इस मुसीबत के वक्त मुसीबत सह कर भी देश का साथ दिया।

गेदासिंह कमेटी ने एक बात वहां के अखबारों के प्रतिनिधियों और मजदूरों से मालूम करके रखी है कि पी० डब्लू० डी०, कैनाल और जंगलात के मजदूरों के लिये खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों के लिये अलग से व्यावस्था की जाय।

एक बात और। अगर दरअस्ल काश्तकारों का फायदा पहुंचाना है तो क्राप इंश्योरेंस की स्कीम को चालू करना चाहिये तभी उसका भला हो सकता है। इसके साथ-साथ उसकी पैदावार की कीमत एडवांस में एक साल पहले फिक्स कर देनी चाहिये जिससे वह उसी हिसाब से अपना गल्ला पैदा करे।

सीमेंट की वितरण की व्यवस्था में भ्रष्टाचार बहुत है। मेरा सुझाव है कि देहात में सीमेंट के कोटे का वितरण तहसीलदार के द्वारा न होकर बी० डी० ओ० के द्वारा हो।

अनेक सदस्य—अच्छा, और बढ़े भ्रष्टाचार।

श्री देवेन्द्रसिंह—

आप मुझसे मतभेद करते हैं। अपने यहां के अनुभव से लेकिन मैं अपने यहां के तजुब से कहता हूं कि बी० डी० ओ० के हाथ में जाने से भ्रष्टाचार कम होगा। सीमेंट के बारे में दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी विभागों को कलर्ड सीमेंट कलर्ड बोरियों में दिया जाय, सीमेंट और बोरियां दोनों को रंगवा दें जिससे जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जनता को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिये जो सीमेंट प्राप्त नहीं हो रहा है वह खत्म हो और जनता को सीमेंट मिलने लगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्द्रजीत जी यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय खाद्य मंत्री जी ने इस प्रदेश की जनता को बधाई दी कि संकटकाल में बहुत ही सहिष्णुता और धीरज से कार्य लिया और उसको पार कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस देश और प्रदेश की जनता वास्तव में बधाई की पात्र है अपनी सहिष्णुता और धैर्य के लिये। किन्तु मुझे दुख है कि मैं खाद्य मंत्री जी को बधाई नहीं दे सकता क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्था उनकी रही और जिस प्रकार से ग्रामीणो की उपेक्षा की गयी, जितनी आवश्यकता उनको थी उसका १/१० भाग भी उनको नहीं दिया गया, केवल शहरी जनता के खिलाने में ही उनका सारा प्रयत्न लगता रहा और वह भी सत्य यह है कि ६ से ८ किलोग्राम तक जो एक व्यक्ति को राशन दिया जाता है वह उससे भी कम है जो उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों के लिये निर्धारित है। अब जो ईमानदार आदमी है, मेहनत करता है और अपनी रोजी ईमानदारी से चलाना चाहता है उसको तो ६ से ८ किलोग्राम खाने को मिलता है और इस शासन में जो चोरी, बदमाशी करके जेल में चला जाता है उसको १० किलोग्राम राशन मिलता है। ऐसी व्यवस्था के लिये मैं सरकार को बधाई नहीं दे सकता। हां, एक बात के लिये जरूर उनको बधाई दे सकता हूं कि वे बड़े खुशकिस्मत हैं जबकि केन्द्र के खाद्य मंत्री एक के बाद एक धराशायी होते गये, हमारे यहां वह काफी मजबूती के साथ बैठे हुये हैं। इसके लिये मैं उनको बधाई दे सकता हूं।

श्रीमन्, स्थिति काफी गम्भीर है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि स्थिति के जो कारण है उनकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो यह जो इस समय बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि संकट दूर हो गया यह दूर होने वाला नहीं है। यहां पर कुछ ऐसी बातें कही गई जिनसे मुझे यह मालूम होता है कि असली कारणों की तरफ उनका ध्यान न जाकर कुछ ऐसी बातों की तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है जिनसे जनता को भ्रम में डाला जा सकता है। मेरा मतलब यह है कि कुछ लोगों का यह खयाल है कि केवल जमाखोरी की नीति से इस प्रदेश में संकट आया है उनका यह कहना है कि अगर स्टेट ट्रेडिंग पूरे तरीके से लागू कर दिया जाय तो संकट दूर हो जायगा। श्रीमन्, मैं सिर्फ दो बात इस संबंध में रखना चाहता हूं। ११६ लाख टन गल्ला पैदा हुआ और १२, १३ लाख टन गल्ला बाहर से मंगाया गया। इससे मैं यह समझूं कि यदि यहां के और आयात किये हुये गल्ले को बराबर भी बांट दिया जाता और परफैक्ट मशीनरी बनाकर भी उसको बटवाया जाता तो क्या इस प्रदेश के रहने वालों के लिये गल्ला काफी हो सकता था? कोई भी परफैक्ट और एफिशियेन्ट मशीनरी इस गल्ले को भरपेट भोजन के रूप में नहीं पहुंचा सकती थी। गल्ले की कमी वास्तव में है और बहुत बड़ी कमी है। अगर यह किसी को भ्रम हो कि इसको हम स्टेट ट्रेडिंग से दूर कर सकते हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप सख्ती से यह तो कर सकते हैं कि बराबर इस प्रदेश को भूखा रखें लेकिन यह नहीं कर सकते कि आप भरपेट भोजन उनको दे सकें। फिर जिन लोगों को बहुत बड़ा विश्वास है कि स्टेट ट्रेडिंग से यह कमी दूर हो जायगी तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी यहां पर बतलाया कि सीमेन्ट और चीनी में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो क्या सीमेन्ट का एक छटांक भी और चीनी का एक छटांक भी सरकार के कंट्रोल के बाहर है? क्या वे पूरी तरह से नियन्त्रित नहीं हैं? जब सीमेन्ट और चीनी पूरे तरीके से सरकार के नियन्त्रण में हैं और उसके लिये शिकायतें की जाती हैं फिर दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि गल्ले की स्टेट ट्रेडिंग होगी तो उससे स्थिति में सुधार होगा। मैं समझता हूं स्टेट ट्रेडिंग होगी तो जो हालत आज है इससे भी आगे बदतर हालत होगी। इसके लिये कई प्रमाण दिये जा सकते हैं। जब कभी सरकार कंट्रोल की तरफ कदम उठाना चाहती है तो अभाव होता है और भाव बढ़ते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रताप सिंह]

मैं अपनी बात न कहकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस सरकार की नीति क्या है। मुझसे पूर्ववक्ता ने कहा कि सरकार की नीति का कार्यक्रम बहुत ठीक है। मैं तो समझ नहीं पाया कि सरकार की नीति क्या है। यदि स्वयं खाद्य मंत्री जी अपनी नीति को समझते हों तो कृपाकर वह हमको समझानें का कष्ट करें। वह आध्यात्मिक भौतिकवाद और स्टेट एन्टरप्राइज की बात तो करते हैं लेकिन उनसे कोई स्पष्ट बात समझ में नहीं आती है कि आखिर सरकार क्या चाहती है। एक ट्रेडिंग का सिस्टम है। दुनिया में आज यह सिस्टम २, ३ मुल्क मिलकर तैयार कर रहे हैं और उन्होंने एक मारकेट तैयार किया है। यूरोप के देशों ने मिलकर कामन यूरोपियन मारकेट तैयार किया है। यदि दूसरे देश इस तरह से मिलते हैं तो हमारा एक देश है और उस देश को हम खंडन करते हैं और उसमें १५ मारकेट तैयार करने की चेष्टा करते हैं और उसका नतीजा क्या हुआ? पंजाब में बिकता है ४५, ५० रुपये क्विन्टल गेहूं तो उत्तर प्रदेश में है १०० रुपये; उत्तर प्रदेश में चावल है १०० रुपये तो केरल में है १५० या २०० रुपये। यह इसीलिये है कि सारे देश को आपने १५ जोन्स में बांट दिया है और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिये हैं। यहां तक कि जिलों के भी दो, दो टुकड़े आपने कर दिये हैं। इन टुकड़ों का भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आप अपने प्रोक्योरमेंट में भी बिलकुल फेल हुए हैं। लाभ केवल उनको हुआ है जो उन बैरियर्स पर तैनात हैं। उनकी जेबें गर्म हुई हैं जो उत्पादक से गल्ला लेने में अड़चनें पैदा कर देते हैं और यह सारा नुकसान उपभोक्ता के मत्थे जाता है। अगर आज यह बैरियर्स हटा लिये जांय तो निश्चय ही गल्ला सस्ता हो जायगा। जिस समय चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस पहले हुई थी उस समय मैं बंबई में मौजूद था। ज्यों ही किसानों ने सुना कि जोन्स टूटने वाले हैं, भाव ८, १० रुपये क्विन्टल गिर गया। लेकिन फिर पता नहीं क्या सोच कर उन्होंने फिर एनाउन्स कर दिया कि जोन्स कायम रहेंगे और इस कारण भाव फिर बढ़ गये। मैं समझता हूं कि जोन्स बनाना और देश के टुकड़े करना एक गलत पालिसी है और जब तक यह रहेगा तब तक बावजूद इसके कि गल्ला ज्यादा भी पैदा हो, उपभोक्ता को ठीक भाव पर नहीं पहुंच पायेगा।

एक तरीका है लेवी सिस्टम का। जो गल्ला बाजारों में आया उसमें से एक प्रतिशत सरकार ले लेती है और बाकी उस व्यापारी को जिसने खरीद कर सरकार को दिया है बेचने के लिये पूरी छूट दे देती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी और इसलिये मैंने खाद्य मंत्री जी को पत्र लिखा और उसमें मैंने लिखा था कि यह जो व्यापारियों के साथ मिल कर सरकार किसान का शोषण करती है यह बात ठीक नहीं है। इसमें किसान मारा जाता है और उसका अनाज कम दाम पर बिकता है। मेरे उस पत्र के उत्तर में खाद्य मंत्री जी ने कहा अब हमने भाव निश्चित कर दिये हैं और अब इनसे ऊपर चावल या कोई गल्ला नहीं बिकेगा। अब भाव निश्चित हैं, अब किसी का शोषण नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भाव उन्होंने निश्चित किये थे वे क्या हुए। क्या उन भावों पर आज गल्ला बिक रहा है? श्रीमन्, यह तरीके बिलकुल गलत हैं। जिस समय खरीफ कंट्रोल आर्डर निकला था उसी समय मैंने मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री जी को बतलाया था कि यह कीमतें किसानों के लिये अन्यायपूर्ण हैं। मैंने बतलाया था कि पिछले १२, १३ वर्षों में दूसरी चीजों की तुलना में भाव कम निश्चित किये गये हैं और यह सब से कम हैं। १०० के बजाय ७० प्रतिशत भाव निश्चित किये गये हैं। मैंने निवेदन किया था कि आप एक साथ ही बनिये से भी निपट लें और किसान से भी, यह संभव नहीं है। अगर आप किसानों के गल्ले के भाव ठीक से निश्चित किये होते तो किसान का गल्ला सीधा सरकार के गोदामों में आ सकता था, लेकिन आपने व्यापारियों को भी साफ करना चाहा और किसान का गला भी घोंटना चाहा। मैंने बराबर पूछा और फिर पूछता हूं कि आखिर यह भाव किस आधार पर निश्चित किये गये हैं। क्या इसमें दूसरी वस्तुओं के मूल्यों का ध्यान रखा गया है? मैंने जब पूछा तो यही उत्तर मिला कि यह भारत सरकार निश्चित करती है और यह हमारी बात नहीं है, न हमारे समझने बूझने के लिये हैं। भारत सरकार से भी

पता लगाने की कोशिश की। हालांकि, मैं तो नहीं पहुंच सका लेकिन जो हमारी पार्टी के लोग हैं, मैंने उनसे कह दिया था कि आप झा कमेटी रिपोर्ट को मेरे पास भेज दीजियेगा। वहां से उत्तर मिला कि वह कान्फीडेन्श्यल डाकुमेन्ट है; यह दिखाया नहीं जा सकता। श्रीमन्, जहां ७० प्रतिशत किसानों के जीवन-मरण का प्रश्न है उनकी खुशहाली और बरबादी का सवाल है, वहां सरकार यह कहे कि यह कान्फीडेन्श्यल डाकुमेन्ट है और हम मनमाने दाम निश्चित करेंगे, यह बात बहुत देर तक नहीं चल सकती है। मैंने कहा था कि जब अपने भाव निश्चित करें आप तो उस समय आप किसानों के प्रतिनिधियों को अवश्य बुला लें तो हमें कहा गया था कि भाव निश्चित करने वाले स्वयं किसान रह चुके हैं। मैं इस समय कह सकता हूं कि जो भाव निश्चित किये गये थे वे भाव किसानों के दुश्मन के निश्चित किये हुये थे। यह बात दूसरी है कि किसानों को अच्छे भाव मिले परन्तु इनके सारे कायदे कानून चलाये हुए टूट गये। इस बात की तो हमें खुशी है कि किसानों को अच्छे भाव मिल गये लेकिन जब सारे कायदे कानून टूट गये तो किसानों का भला हुआ। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि किसानों को एक तरफ ज्यादा मिले तो दूसरी तरफ के लोग इतने दामों से दुःखी हो जांय। अब सब प्रकार से विफल होकर मुझे संकेत मिला है कि शायद यह जबरिया किसानों से वसूली की बात सोच रहे हैं। श्रीमन्, यदि ऐसा किया गया तो उसका नतीजा बुरा निकलेगा। अगर यह सोचते हैं कि यहां के किसान बहुत कमजोर हैं, जो चाहें कर लें, कोई विद्रोह न हो, हम विरोधी पार्टी के लोग भी कमजोर साबित हों, लेकिन इतना तो अवश्य हो जावेगा कि आप जो चाहते हैं उसको छोड़कर किसान दूसरी ही चीज पैदा करने लग जावेगा।

मौसम की खरीबी की बातें अगर कही जाती हैं और कुदरत पर दोष दिया जाता है तो, श्रीमन्, आखिर जो कैश क्राप्स हैं उनमें क्यों कमी नहीं हुई? जितना प्रतिशत आपकी उपज में बढ़ा उसका दुगुना कैश क्राप्स में वृद्धि हुई। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो किसान अन्न कम पैदा करेगा। श्रीमन्, एक बात बराबर कही जाती है, वह यह है कि हम क्या करें, प्लानिंग कमीशन ऐसा कर देते हैं, केन्द्रीय सरकार ऐसा हुक्म देती है, सारा दोष केन्द्रीय सरकार पर लाद दिया जाता है। पिछली दफा अन्नसंकट में मुख्य मंत्री जी ने विरोधी पक्ष के नेताओं को आमन्त्रित किया और कहा कि हमें इस संकट के समय सहयोग दीजिये। जितनी बातें हमारी ओर से कही गईं उन सबका उत्तर हमें यही मिला कि केन्द्रीय सरकार इस बात की इजाजत नहीं देती हैं, वह हमको इतना ही गल्ला देती है। मैंने उस समय भी कहा था कि यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि आपका स्टैन्ड सही है केन्द्रीय सरकार का स्टैन्ड गलत है तो आप त्याग पत्र दे दें। आपकी बुनियादी वफादारी उन ८ करोड़ नर नारियों के प्रति है न कि उनके प्रति जो दिल्ली में टिकट पर बैठे हैं। यदि आप यह समझते हैं कि केन्द्रीय सरकार के कायदे कानून आपके उत्पादन बढ़ाने में बाधक हैं तो ईमानदारी का रास्ता यही है कि आप उनका विरोध करके उनको समझावें या विरोध करके त्याग पत्र दे दें, नहीं तो आप केन्द्रीय सरकार के ही वफादार सिद्ध होते हैं।

श्रीमन्, मैं एक बार फिर खाद्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि वह चाहते हैं कि सफलता प्राप्त हो तो एक कमेटी नियुक्त करें और इस बात को उसमें अच्छी तरह से डिस्कस करें कि आखिर क्या मूल्य नीति अपनायी जाय। आज तक इस सरकार ने कोई मूल्य नीति नहीं अपनाई है। मनमाने ढंग से जब जो चाहा, वह करने की कोशिश की है। मूल्यों का उत्पादन से सीधा संबंध है। मैं तो यह कहता हूं कि यदि मूल्य ठीक से मिलते रहें किसानों को तो इस देश में कभी गल्ले की कमी हो ही नहीं सकती है। कमी का कारण केवल किसानों के साथ मूल्यों के विषय में अन्याय है और अन्याय करने वाले ये लोग हैं। तो अगर आज देश में अन्न संकट है तो उसकी जिम्मेदारी इस सरकार पर है जो सहानुभूतिपूर्वक या किसी भी प्रकार से इस बात को डिस्कस करने के लिये तैयार नहीं है कि आखिर उचित मूल्य होने क्या चाहिये। हमने बहुत सुना कि लाभ वाले और प्रोत्साहन वाले मूल्य मिलेंगे लेकिन परिणाम में हम किसानों के साथ बेइन्साफी पाते हैं और

[श्री भानुप्रताप सिंह]

जब तक यह बेइंसाफी होती रहेगी तब तक चाहे जितना भी स्टेट ट्रेडिंग आप कर लें प्रदेश की जनता को खाद्यान्न पहुंचाने में आप सफल नहीं हो सकेंगे ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो खाद्यान्न संबंधी बहस चल रही है उसमें मैंने उचित समझा कि मैं भी अपनी राय आपके सामने रखूं । सबसे पहले मैं भाई वीरसेन जी से कहना चाहूंगा। उन्होंने एक सन्देह प्रकट किया कि उन्हें ऐसालगता है कि अपने ऊपर थोड़ा सन्देह है । मेरी तरफ उन्होंने संकेत किया कि वहां बैठकर के तो मैं शुगर इंडस्ट्री के नेशनलाइजेशन की बात करता था यहां मैं कहूंगा या नहीं कहूंगा, तो मैं उनसे एक सहायता चाहता हूं । केवल चीनी का नहीं, उसके साथ-साथ वह जोड़ें चावल और आटा को भी । इन तीनों को पब्लिक सेक्टर में जितना जल्दी से जल्दी लिया जाय, उतना ही देश का कल्याण होगा । हम समझते हैं कि इससे हमारे उधर के भाई सन्तुष्ट ही होंगे और सबको उससे सन्तोष होगा । मुझे इधर कुछ आटा मिलों के काम को देखने का मौका हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के हाथ में इसे रखकर सिवाय इसके कि सरकार बदनाम हो और कोई बात नहीं होने की है । उसी तरह से मैं चावल मिलों के लिये भी कहता हूं और मैं भाई वीरसेन जी से यह कहूंगा कि उसके लिये भुवनेश्वर में इस तरह का प्रस्ताव पास हुआ उसमें विशेष तौर से जब जिक्र किया गया नेशनालाइजेशन का तो हम लोगों को कुछ आशा हुई और यहां आने के लिये वह एक बड़ा भारी कारण भी बना ।

अब मैं इस संबंध में कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि खूराक के मामले के दो हिस्से हैं । एक तो उत्पादन का है और दूसरा बटवारे का और कुछ और मोटी मोटी बातें हो सकती हैं । लेकिन दो मोटी बातों में इस विषय को समझा जा सकता है । जहां तक उत्पादन का संबंध है, उसका इस विभाग से और इस अनुदान से कोई ज्यादा संबंध नहीं है लेकिन इतना है कि उत्पादन अगर न हो और माननीय सदस्यों ने जिस तरह से अपने को व्यक्त किया तो उससे समस्या बटवारे की विकट हो जाती है । भाई राधेश्यामजी से मैं माफी चाहता हूं इस बात को वह सुनना मंजूर करें कि जो आंकड़े उनके हैं कि अनाज की कमी पिछले वर्ष नहीं हुई उसको वह एक बार फिर दोहराये । वे भाई चन्द्रजीत जी के समर्थन में बोले थे लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे प्रदेश में ८० लाख टन की कमी है जब कि खाद्य मंत्रीजी ने कहा कि ४० लाख टन की कमी थी ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

नेगी साहब ने कहा था कि ४० लाख टन की कमी थी लेकिन मेरा कहना यह था कि ११६ लाख टन पैदा हुआ था और मेरे हिसाब से केवल १७ लाख टन की कमी रह गयी है । फिर भी अगर उस ११६ टन को बांट दिया जाता तो साढ़े सात छंटाक प्रति व्यक्ति बंट जाता । इसलिये मैंने कहा कि इतनी कमी नहीं थी जितनी कि बताई गई है. . . .

श्री गेंदासिंह—

भाई भानुप्रताप सिंह जी ने कहा कि जितना अन्न पिछले वर्ष पैदा हुआ, उसको कोई भी मेशीनरी बांटती तो उसका इन्तजाम ठीक प्रकार से कर नहीं सकती थी । इससे यह तो साबित है कि पिछला वर्ष अन्न के मामले में बड़ी भारी कमी का वर्ष रहा है और मैं यह भी मानता हूं कि जिस संकट से प्रदेश गुजरा है उसके लिये जनता को माननीय मंत्रीजी ने जो बधाई दी है वह सही है और जितनी भी जितनी बधाई दी जाय वह कम है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भाई चन्द्रजीत जी ने कहा कि ५०–६० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो आधे पेट रहते हैं लेकिन जून, जुलाई अगस्त में जो हालत थी उसके अनुसार तो ९० प्रतिशत लोग भूखे रहते थे लेकिन आज भी जो हालत है उस हालत में भी ५०–६० प्रतिशत लोग आधे पेट भूखे रहते हैं। हमारा वह हिस्सा जो हमारा अन्न दाता था, यानी हमारे प्रदेश के पश्चिमी जिले, वह भी अन्न की कमी में आ गये। मेरठ रुहेलखंड और आगरा डिवीजन के क्षेत्र औरों को खिलाने वाले थे लेकिन वे भी अन्न संकट में फंस गये। पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्र तो न जाने कितने युगों से डेफीसिट अन्न के मामले में रहे हैं उनकी कमी इधर उधर से ही पूरी होती रही है। इसलिये जो संकट हमारे ऊपर आया उसका अन्दाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन इस संकट के और इस कमी के बारे में यह किसी ने नहीं कहा कि इसमें सेन्टर की गलती थी। न खाद्य मंत्रीजी ने ही कहा। (एक आवाज-इस संबंध में आपका क्या विचार है ?) प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों की कार्यवाही आपके सामने हैं। मैं इस विचार से सहमत हूं कि केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार की कार्यवाही में कोई अन्तर नहीं है। प्रान्तीय सरकार यह कह कर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती कि इसमें केन्द्रीय सरकार का दोष है, क्योंकि दोनों सरकारों में कोई भेद ही नहीं है। अगर आपको नाकामयाबी होती है तो वह नाकामयाबी आपकी ही है।

इस स्थिति में बटवारे का काम कितना कठिन होता है और अपने तजुर्बे से मैं इतना कह सकता हूं कि सप्लाई की मशीनरी इस बिगड़ी हुई परिस्थिति को संभालने के लिये पर्याप्त नहीं है। जहां तक कार्डों की बात है, सच बात तो यह है कि यह जो राशन कार्ड बने हुये थे वे इस समय की अवस्था को लेकर नहीं बने हुये थे। जिस जमाने में ये बनाये गये थे उस जमाने में वे खाली शकर के लिये बनाये गये थे। कुछ अधिक बने थे कुछ नहीं बने थे लेकिन जो मशीनरी थी वह उस कमी को पूरा करने के लिये अपर्याप्त थी। उस बोझ को संभालने में जरूर गलती हुई लेकिन आगे हमें सोचना होगा कि हम अपनी सप्लाई मशीनरी को किस ढंग की बनायें। सप्लाई मशीनरी में उस पुराने जमाने में, राशनिंग के जमाने में, बड़े बड़े अफसर शहरों के राशनिंग आफिसर बनाये गये थे और उन की नीचे से ऊपर तक एक संगठित एक पूर्ण मशीनरी थी, लेकिन वह बीच के जमाने में तोड़ दी गई। मैं नहीं कहता कि कोई फजूल का बोझ पबलिक एक्सचेकर पर डाला जाय लेकिन जिस चीज का संबंध लोगों की जिन्दगी से हो, जैसे अनाज, शकर और सीमेंन्ट आदि, इनका अगर हमें ठीक से वितरण का प्रबन्ध करना है तो हमें उसको दुरुस्त करना होगा। सरकार का ध्यान इस तरफ है। इस संबंध में मैं कुछ दूसरे प्रदेशों में गया और वहां देखने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें इस कार्य पर अब बल देना चाहिये। एक बात यह भी है कि सप्लाई आफिसेज का कभी कोई साल में मुआयना करता है या नहीं इसमें मुझे संदेह है। सारे डायरेक्टरेट्स का कलेक्टरेट्स का जजों के दफ्तर का इंस्पेक्शन हर साल होता है लेकिन यहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। किस ढंग से प्रार्थनापत्र लिये जाते हैं उनको रखा जाता है, कैसे उनका डिसपोजन होता है, आज तो वहां हजारों आदमी जाते हैं पहले कम जाते होंगे कैसा सलूक उनके साथ होता है। ऐसी मशीनरी बनाई जाना चाहिये जो अच्छा सलूक लोगों के साथ करे और लोगों के काम को निबटा सके। यह बहुत आवश्यक चीज है जो मैं समझता हूं और जिस तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया कि हमारे सामनेमुख्य रूप से शहरों का प्रश्न है कि हम पबलिक को खिला सकें। उनको भी शिकायत है कि उनको पूरा खिलाने में असमर्थ हैं और दूसरी तरफ गांव की फेयर प्राइज शाप्स की तसवीर है उसके बारे में भी मैं कहूंगा कि हम नहीं के बराबर उनकी मदद कर रहे हैं....

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा श्री गेदा सिंह जी से जानना चाहता हूं कि आखिर आप शहरों को पूरा गल्ला देने के पक्ष में क्यों हैं और वह इलाके जहां पिछले कई सालों से बराबर बाढ़ आती है उनको उसी तरह से गल्ला दिलाने के पक्ष में क्यों नहीं हैं।

श्री गेंदासिंह---

शायद माननीय सदस्य को गलतफहमी हो गई है कि मेरे कहने से किसी को गल्ला मिल जायगा या देवरिया वालों की भूख चली जायगी। मैं पहाड़ में और अपने इलाके में गया और मैं ने वहां की तस्वीर को सरकार के सामने रखने की चेष्टा जरूर की है लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा कि जहां कहीं भी मैं उस तस्वीर को रखने की कोशिश करता हूं उसमें एक बात और है कि वहां बैठने और यहां बैठने में अन्तर होता है और वह अन्तर यह है कि वहां बैठकर तो मैं कह देता हूं कि इतने अनाज का प्रबन्ध करो लेकिन उस के बाद अगर मुझ से कहा जाता कि कोई उपाय बताओ तो मैं शर्क कर सकता था और कह सकता था कि कहीं से दो लेकिन दो। लेकिन इधर बैठने के बाद यह सोचना पड़ता है कि बताना होगा कि कहां से सरकार लाये। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जो कठिनाई मैं आपके सामने रख रहा हूं उसमें २ रायें नहीं हैं। सवाल यह है कि लायें कहां से। आज वस्तुस्थिति यह है कि हमारी और आप की किसी की हिम्मत यह नहीं पड़ रही है कि किसानों के घर से गल्ला निकाल कर बाजार में लायें। जो भाई कह रहे हैं कि अनाज बहुत पैदा हुआ लेकिन अगर वह बाजार में नहीं आ रहा है तो उस हालात में दोनों की हिम्मत काम नहीं कर रही हैं। व्यापारी के ऊपर तो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं। उसके लिये भी दो रायें हैं कि व्यापारी के ऊपर कितनी सख्ती करें। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश की स्थिति हमारे सामने होती तो मैं समझता हूं मुझे शिकायत होती इस सरकार से लेकिन कुछ हिन्दुस्तान के और टुकड़े हैं और अन्य प्रदेशों ने जो अन्न पैदा करने को या होर्डिंग के खिलाफ या अन्न पहुंचाने के लिये जो प्रबन्ध किया है उसको देखने के बाद मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस सीमा तक कर सकती थी उसमें उसने कुछ उठा नहीं रखा।

माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने कहा कि कीमतों को तय करने के लिये फिर ऐसे उपाय किये जाने चाहिये कि जिसमें कोई कमेटी बने और उससे सलाह मशिवरा किया जाय। मैं कहना चाहता हूं माननीय भानुप्रताप सिंह जी इस बात को ठंडे दिल से सुन लें। अन्न संकट जून के महीने में चरम सीमा पर था उस समय प्रदेशीय सरकार ने आपको दावत दी। उस अन्न संकट के सिलसिले में कीमत का सवाल भी था आप उसको भी डिस्कस कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात है एक कमेटी में बैठने के बाद जो कुछ भी हमारे साथी कंट्रीब्यूट कर सकते थे और नीति बनाने में सहायक हो सकते थे उन्होंने उससे इन्कार कर दिया और नान-कोआपरेट किया।

अनेक सदस्य---

आपकी राय तो मानी।

श्री गेंदासिंह---

मेरी राय मानी गयी इसीलिये तो इधर हूं।

श्री भानुप्रतापसिंह---

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण कर दूं। वह कमेटी जो नियुक्त होगी वह अगर भारत सरकार के जो सुझाव हैं उनके विरोध में जाने का साहस करती तब तो उस कमेटी में काम करने का कोई मतलब है। उस समय बातचीत हुई थी लेकिन आपने कहा कि हम मजबूर हैं, जो कुछ वहां का हुक्म है उसका पालन करेंगे। तो फिर ऐसी कमेटी में रह कर क्या कर सकते थे?

श्री गेंदासिंह---

अखिल भारतीय स्तर पर हर कमेटी का संगठन है विरोध करने का कोई अवसर आया हो और केन्द्रीय पार्टी ने सत्याग्रह किया हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखाई देता। अटोनोमस है हमारा कांस्टीट्यूशन उसके बाद भी आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक संगठन में रहने के नाते अपको फालो करना पड़ेगा। आपको मत देने के लिये कौन मना कर सकता है।

केन्द्रीय सरकार को प्रभावित कर सकते हैं और आखिर यह फैसला तो आपके हाथ में है ही कि अगर कोई न माने तो क्या किया जाय। मैं समझता हूं कि प्रदेश की जो स्थिति है और प्रदेशों से भिन्न है। बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल में भाव हम से ऊंचे रहे हैं। वहां जमीन हमसे ज्यादा है। हमारे खेत का उत्पादन कम है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमने बुनियादी ढंग पर इस बात को न सोचा और जो माननीय चन्द्रजीत यादव ने कहा कि अगर अपनी खुराक के मुताबिक अन्न पैदा करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, जबकि मैं समझता हूं कि हममें सामर्थ्य है, तो हमारे लिये बड़े संकट की बात है। बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि हमारे यहां मिक्स्ड इकोनोमी है, इनफ्लेशन अगर होता है और उसके साथ अनाज की कमी होती है तो मैं समझता हूं कि साधारण अर्थशास्त्र का नियम है कि कोई ताकत कीमतों को ऊंचा उठने से नहीं रोक सकती। अगर रोकना है तो रेमेडियल मेजर सरकार कर सकती है, लेकिन दूसरा मेजर जो सारा देश मिल कर कर सकता है वह उत्पादन बढ़ा कर किया जा सकता है और इसमें सब का सहयोग आवश्यक है अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। यह बात सही है कि माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने अपने खेत में ३० मन प्रति एकड़ धान पैदा किया है, और वह कर सकते हैं तो इस मामले में वह नेता हैं और सारे देश को उस पैटर्न को लेने का प्रयत्न करना चाहिये। चौथी योजना में इस ओर ध्यान सब का जायगा। हम भी इस बात को मानते हैं कि अन्न की समस्या को अगर ठीक नहीं कर पाये तो हमारे और आपके लिये, दोनों के लिये शायद एक ही रास्ता हो।

मैं अन्त में मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करते हुये चाहता हूं कि वह डिस्ट्रिब्यूशन की मशीनरी को दुरुस्त करने का प्रयत्न करेंगे जिसका हम सभी समर्थन करते हैं तथा उत्पादन के काम को तेजी से बढ़ाने का प्रयत्न करें ताकि हम और आप दोनों इस संकट से उबर सकें।

*श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—

उपाध्यक्ष महोदय, अन्न की समस्या की जिम्मेदारी मैं समझता हूं सरकार के ऊपर है। ज्यों ही यह कांग्रेस सरकार आयी उसने काश्तकारों की संख्या को कम किया। किस प्रकार किया यह मैं बताता हूं। पहले जमीन एक आदमी दूसरे को उठा सकता था और बहुत से लोग देहातों में थे जिनके पास जमीन नहीं थी उन्हीं को लोग जमीन बोने के लिये दे देते थे। लेकिन सरकार ने होशियारी से ऐसा कानून बनाया कि अब एक काश्तकार दूसरे काश्तकार को जमीन नहीं उठा सकेगा। इसलिये जो खेती करने वाले थे उनकी संख्या आधी रह गयी जिससे खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ सका।

दूसरा कारण यह है कि सरकार ने अभी ५,६ साल के अन्दर चकबन्दी कानून बनाया जो न बटवारा करता है और न उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि उस कानून से क्या लाभ हुआ। एक काश्तकार की जमीन दूसरे को दे दी जाती है, दूसरे की तीसरे को दे दी जाती है। इसलिये काश्तकारों ने खेत नहीं बोया; उन्होंने सैकड़ों पेड़ काट लिये। जब काश्तकार ने खेत नहीं बोये तो जाहिर है कि ४ सालों के अन्दर पैदावार एकदम कम हो गयी।

तीसरा कारण यह है कि सरकार ने खाद्य में व्यापार किया और सरकार तथा उसकी मशीनरी दोनों ही जिम्मेदार हैं जिसके कारण ऐसा वातावरण पैदा हुआ कि अन्न समस्या और विकट हो गयी। सरकार ने कानून बनाया कि शहर का आदमी जो खरीद सकता है १००,२०० बोरा वह ५० मन से ज्यादा नहीं खरीद सकता। लेकिन जो मिलें हैं, जो आटा बनाती हैं, उनके लिये कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरवरप्रसाद]

कानून नहीं बनाया। सरकार ने कोआपरेटिव बनाई और उसने काश्तकार का कुल गल्ला लिया। शहर के दुकानदार उसको खरीद नहीं पाये, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोआपरेटिव ने कुल गल्ला मिल वालों को दिया और मिल वालों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने कहां बेचा। मेरे कस्बे में ५,००० मन गेंहूं आया, मई के महीने में लेकिन हम लोगों को वह देखने को नहीं मिला और अमरीका का गेहूं खाना पड़ा। चना बाजरा और ज्वार आदि का तो पता नहीं कि कहां गया। हम लोग अपनी पैदावार का एक दाना भी नहीं खा पाये। यह गल्ला या तो कटिहार की या कानपुर की मिलों में गया या राजस्थान के जरिये न जाने कासगंज से कहां पहुचा। यह जिम्मेदारी सरकार की है। भाव बढ़ते गये। लोगों को टैम्पेटेशन होने लगा। काश्तकार गल्ला इकट्ठा नहीं कर पाये। प्रदेश के सप्लाई अफसरों ने व्यापारियों को परमिट दे रखे हैं जो बाहर भेजते रहते हैं। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की कि काश्तकार या छोटे आदमियों के पास अनाज बना रहे। यह सरकार की मशीनरी की असावधानी है।

चकबन्दी में १५–१५ दगड़े बनवाये। डगरे काटी गयी जिससे इलेक्शनों में मोटरें भागी चली जायं। नतीजा यह हुआ कि बुलन्दशहर और मेरठ का पानी बह आया। सरकार ने कितनी असावधानी बरती। पहले क्या जमीन नहीं होती थी, काश्त नहीं होती थी। क्या कभी कोई बरबादी नहीं होती थी। पहले यहां से गल्ला विदेशो को भेजा जाता था। आज विदेशों से, मैंने अखबार में पढ़ा कि अमरीका से २ जहाज के औसत से रोजाना हमारे देश में गल्ला आ रहा है और यह साल भर तक आयेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह सरकार जो अपने को बहुत ही काश्तकार की बफादार है और हितकारी बताती है, अगर विदेशी गल्ला भारत में न आता तो आज यहां के आदमियोंकी क्या हालत होती। लंका तक से चावल आया, जो पर्वतीय देश है, जो हमारे एक-एक जिले के बराबर है, वहां तक से गल्ला आया है। वहां के आदमी जो देवता के समान हैं वे तो पैसा पैदा करना चाहते हैं। सरकारी कर्मचारी इस समय सबसे अधिक पैदा कर रहें हैं। पैसे की होड़ जो है उसके कारण हमारे प्रदेश में भुखमरी फैली हुई है और मैं समझता हूं कि उसकी सारी जिम्मेदारी इस सरकार पर है। पी० डब्ल्यू० डी० व नहर विभाग के इन्जीनियर हजारों रुपया पाते हैं पर आज तक कोई फलदार वृक्ष न तो नहर के ऊपर और न सड़क के ऊपर ही लगाये गये हैं।

अन्न की समस्या को हल करने के लिये आम के वृक्ष, पपीते के वृक्ष और अमरूद के वृक्ष करोड़ों बीघे जो जमीन बेकार पड़ी हुई है उसमें लगाये जायं लेकिन सरकार ने इस तरफ भी कोई तवज्जह नहीं दी है। योजना कागज में आती रही और कोई तरकीब सरकार ने नहीं सोची। एक सबसे बड़ा आघात सरकार ने यह किया कि ५०० रुपये बीघा जो जमीन बिकती थी उसको मकान बनाने के लिये एक्वायर कर लिया जबकि उसे वह जमीन लेनी चाहिये थी जो बन्जर होती है। सरकार ने वह जमीन ली जो बढ़िया थी जिससे पैदावार कम होती गयी। अंग्रेजों के जमाने में काश्तकार जमीन बेच नहीं सकता था लेकिन सरकार ने यह कानून बनाया कि १० गुना दाखिल करो और काश्तकार के लिये फील्ड खोल दिया कि वह अपनी जमीन बेच दे, जिसके फलस्वरूप २,४ बीघे वाले काश्तकार ने अपनी जमीन बेच दी जिस पर बड़े आदमियों ने मकान बनवा लिये। उपजाऊ भूमि कम हो गयी। सरकार को तो ऐसा कानून बनवाना चाहिये जिससे काश्तकार खेती योग्य भूमि जमीन को बेच न सके और काश्तकार को प्रलोभन दिया जाय खाद तथा औजार देकर ताकि वह उसे न बेच सके। अन्न की समस्या सरकार की जिम्मेदारी है।

*श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय यादव जी को यह एतराज हो सकता है कि फूड मिनिस्ट्री ने जो रुपया मांगा है वह रुपया घटा कर १ रुपया कर दिया जाय लेकिन मेरा कहना यह है कि जितना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपया वह मांगते हैं उससे भी ज्यादा रुपया उनको दिया जाय इसलिये कि आज जो प्रदेश में भुखमरी है, खराब हालत है और अगर रुपया न दिया गया तो उसका समाधान कैसे होगा ? इसके साथ ही सरकार से मेरा निवेदन है कि जो रुपया दिया जाय उसका वह सदुपयोग करे। मंत्री जी ने यह कहा कि उनका स्टाफ टेम्पोरेरी है इसलिये उसके लिये भ्रष्टाचार की बात कही जा सकती है। उनका स्टाफ टेम्पोरेरी हो अथवा परमानेन्ट, सवाल भ्रष्टाचार का ही नहीं है बल्कि एफिशियेंसी का है। भ्रष्टाचार के एलिगेशंस परमानेन्ट स्टाफ पर भी हैं। एक बात मैं यह देखता हूं कि इस कठिन समय में भी जितनी ज्यादा पैसे कमाने की शिकायत उनके स्टाफ के खिलाफ हो सकती थी आज वह नहीं हुई है।

दूसरे, एम्पलाईज के बारे में यह कहा जाता है कि बोनस दो, ओवरटाइम दो लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने इस स्टाफ के लिये ओवरटाइम की चर्चा नहीं की जबकि उनके आदेश जाते होंगे तो सप्लाई आफिस तथा आर० एफ० सी० के दफ्तर में बैठने वाले बाबू को १२ बजे रात तक बैठ कर काम करना होता होगा। मेरा कहना यह है कि भूखे पेट रहने वाले कर्मचारी को चाबुक लगाया जायगा तो काम चलने वाला नहीं है। १२० रुपये से कम किसी इंस्पेक्टर की तनख्वाह नहीं होती है लेकिन ग्राम सेवक को ७५ रुपये माननीय मंत्री जी तनख्वाह देते हैं। श्रीमन्, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि उससे कितनी ईमानदारी की उम्मीद आप करते हैं।

आज नेता स्वतंत्र पार्टी ने स्टेट ट्रेडिंग के बारे में कहा। माननीय चन्द्रजीत यादव ने एक बात कह दी कि जो भ्रष्टाचार है उसकी वजह से स्टेट ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिये। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज सारी शासन की मशीनरी के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के एलीगेशन्स हैं तो फिर इनको दूसरा मुल्क ढूंढ़ना चाहिये, दूसरी दुनियां खोजनी चाहिये। इस तरह से तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में सिवाय स्टेट ट्रेडिंग के और कोई इलाज नहीं है। केवल एक बात हो सकती है कि हम लोगों में मतभेद हो सकते हैं तो असली जामा पहनाने का तरीका सोचा जा सकता है। मैं सोशलिस्ट दोस्तों को दावत देता हूं जो इसमें विश्वास करते हैं कि सब लोग एक जगह बैठ कर विचार करें और स्टेट ट्रेडिंग अपने यहां लागू करने का बीड़ा उठायें। केवल नारे में बहकर यह न रह जाय बल्कि इसको हम लोग असली जामा पहना सकें और यह जनता के माध्यम से, जनता के लिये हो सके।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक दूसरी स्थिति थी इस मुल्क में जिससे मुझे भरोसा हुआ था, वह था भाव नियंत्रण की। लेकिन मुझे तकलीफ है कि सरकार की सारी मशीनरी भाव नियंत्रण में असफल रही। एक तरफ लोग खुले बाजार में चावल के लिये पूछते थे और दूसरी तरफ व्यापारी झोले में सामान दे देता था और एक भी आदमी सही मूल्य पर सामान नहीं पा सकता था। इसमें जिस मजबूती से कदम उठाना चाहिये था वह नहीं उठाया गया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भाव निश्चित किये जायं तो उसको असली जामा पहनाने की कोशिश की जायगी। दूसरे गोरखपुर जिले में एक रुपये किलो मक्का का भाव है। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी बाढ़ इलाके में तथा अभावग्रस्त इलाके में ज्यादा ध्यान देकर कमी को पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे तो इन इलाकों में महंगाई और तकलीफ और बढ़ जायगी। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन तमाम माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं और मुझे खुशी है कि दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने, जो आज खाद्य संकट हमारे देश और प्रदेश में है, उसका अहसास किया और सबने इस बात को माना है कि इस तरफ सबका ध्यान जाना जरूरी हो गया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते हैं कि खाद्य मंत्री का काम केवल वितरण करने का है। यह सही है कि उनको यह जिम्मेदारी मिली हुई है लेकिन जब हम मौलिक प्रश्न पर विचार करते हैं

[श्री चन्द्रजीत यादव]

और सरकार के एक ऐसे विभाग पर विचार करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग इस माने में माना जाता है कि अगर इनसान को पेट भर खाना न मिले और उसकी मौलिक जरूरत भी पूरी न हो, जिसके कारण दूसरे और जो हमारे कामों में अड़चन पड़ती है, तो हमको देखना पड़ेगा कि जो नीतियां आज इस संकट के लिये जिम्मेदार है, उन्हें बदलना पड़ेगा। जिस सरकार के जिम्मे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख काम है, जिस पर मनुष्य का पेट भरना निर्भर है, उस सरकार को अन्न के संकट को दूर करने में काफी प्रयत्न करना होगा। उस सरकार का कर्त्तव्य है कि वह अपनी जनता को पेट भर खाना दे।

श्रीमन्, मैंने सूबे की जो एक तस्वीर है, जो एक असलियत है, उसको मैंने इस सदन के सामने पेश किया था, ताकि उसके ऊपर हम गौर करें कि आखिर क्या वजह है कि १८ साल के बाद आज हम ऐसी स्थिति में है कि आज हमको दूसरे मुल्कों का मुंह ताकना पड़ता है, अन्न के मामले में। दूसरे मुल्कों के सामने हम हाथ फैलाते हैं, यह एक लज्जा की बात है। तो जाहिर है कि हमारा ध्यान अपने मुल्क की नीतियों की तरफ जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर सवा करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है, जिस पर खेती नहीं होती है, जबकि उस पर खेती हो सकती है। तो क्या हम इस पर गौर कर सकते हैं कि उन जमीनों पर खेती कराई जाय, जब हम गल्ले की कमी की बात पर विचार कर रहे हैं, तो क्या यह सुझाव सरकार को नहीं दे सकते है कि वह जमीन जो खेती के काबिल है, जिस पर खेती नहीं हो रही है, उस पर खेती होनी चाहिये ? आज जो प्रति एकड़ पैदावार है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये तमाम साधन जुटा रहे है, खाद दे रहे है, पानी दे रहे है, जगह-जगह ट्यूबवेल लगवा रहे है, नहरें निकाल रहे हैं, माइनर इरीगेशन का प्रबन्ध कर रहे हैं, उसी प्रकार से पैदावार बढ़ाने के लिये उस खाली जमीन का भी उपयोग खेती करके करना चाहिये। जमीन का केन्द्रीयकरण चन्द हाथों के अन्दर है, हमको यह चाहिये कि हम इस बात के ऊपर जोर डालें कि जमीन के बंटवारे पर सरकार ध्यान दे। अब यह मौका आया है, जबकि सरकार को अपने दिये हुये आश्वासन को पूरा करना पड़ेगा और भूमि हीनों को भूमि देने के लिये कदम उठाना चाहिये।

ऐसे लोग जो परम्परागत खेती करने के पेशेवर रहे है, जो खेती कर सकते हैं, आज हमको चाहिये कि हम उनको जमीन दें, ताकि जो आज हम सिंचाई के साधन तमाम जुटा रहे हैं, छोटी सिंचाई की योजनायें हम बना रहे है, लोगों को अनुदान रहे हैं, लेकिन कृषि का क्षेत्र जितना है, उसे बढ़ाना चाहिये। जिस प्रकार से गल्ले का वेस्ट उसका नुकसान हमारे देश के अन्दर होता है, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाता है।

मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था कि पूना के अन्दर एक सेमीनार में विशेषज्ञों ने बताया कि हमारे देश के अन्दर प्रति वर्ष १ करोड़ टन अनाज बंदर और कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। हम १ करोड़ १८ लाख मन अनाज पैदा करते हैं, तो हमारा ध्यान उस पर भी जाना चाहिये, उसकी तरफ भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, यह जो बरबादी हो रही है, इसको हम कैसे रोकें। श्रीमन्, ऐसे मौके पर, माननीय नेगी जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनको इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर हमारी मशीनरी के अन्दर कोई ऐसी कमजोरी है, जिसके कारण आज ऐसी परिस्थिति इस देश में है। अगर आप स्टेट ट्रेडिंग करना चाहते है तो, स्टेट ट्रेडिंग कोई आसान बात नहीं है। बहुत इफिसियेंट सूक्ष्म मशीनरी उसके लिये आपको बनाना पड़ेगा और वह मशीनरी आज हमारे पास नहीं है, इसलिये मैं यह बात कहना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर प्राम्प्ट डिसीजन लें, जो कि वक्त का तकाजा है, जिसको कि सरकार को लाना चाहिये। दूसरे हमारी वह मशीनरी जिसके जरिये हमको वितरण का काम करना है वह भी पूरी तरह से ठीक होनी चाहिये, क्योंकि यदि गल्ला हमारे पास है, तो भी वितरण की अव्यवस्था के कारण गल्ले की कमी रहेगी।

यह वितरण की खराबी के कारण ही होता है कि एक प्रदेश में गेहूं २६ रुपये मन बिकता है और दूसरी तरफ उसी से बिलकुल मिले हुये जिले में, जो कि दूसरे प्रदेश में है, गेहूं ४५ रुपये मन बिकता है और यदि यह सब होता है तो यह हमारे लिये चिन्ता की बात है क्योंकि इससे कुछ भ्रष्टाचारी और असामाजिक तत्व फायदा उठाते हैं और जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार हमने खांडसारी पर तो अपने यहां प्रतिबन्ध लगाया, किन्तु राब को प्रतिबन्ध मुक्त ही रहने दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश में खांडसारी न बनाकर सारी की सारी राब पड़ोस के प्रदेशों में चली जाती रही और वहां पर उसकी खांडसारी बनाई जाती रही। यह सब आपके वितरण सम्बन्धी गलत कायदे कानूनों के कारण ही होता है। यदि हमारे अधिकारी जिनके हाथ में हमने इन चीजों की व्यवस्था सौंपी है व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाते हैं, यदि वह सही तस्वीर नहीं दे पाते हैं, तो इससे भी भारी परेशानी होती है। तो इन सारी कमजोरियों को दूर करने का आज हमें मौका मिला है और इन पर हमें ध्यान देना चाहिये।

माननीय बनारसीदास जी ने इस सम्बन्ध में कहा कि क्या आप मोनोपोली प्राक्योरमेंट पालिसी चाहते हैं? क्या आप स्टेट ट्रेडिंग चाहते हैं कि सरकार सारा होलसेल अपने हाथ में ले ले। मैं कहता हूं कि आज की स्थिति में यह आवश्यक हो गया है और यह समय की मांग है, आपको मोनोपोली प्रक्योरमेंट पालिसी को अपनाना ही पड़ेगा और बिना इसके आप स्थिति नहीं सुधार सकते हैं। यदि आप स्टेट ट्रेडिंग सारे अनाज में नहीं कर सकते हैं तो आपको चावल के अन्दर करना पड़ेगा, गेहूं में करना पड़ेगा और मक्के, जौ, चना में अवश्य करना पड़ेगा और इसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। सरकार को यह पालिसी अख्तियार करनी ही पड़ेगी।

लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा किसान है, जो अन्न पैदा करता है, उस पर आप डंडे के बल पर प्राक्योरमेंट पालिसी नहीं लाद सकते। लेकिन आप किसान को मजबूर करके उससे जबरदस्ती गल्ला लेना चाहते हैं। सरकार ने आदेश दिये हैं कि लगान की वसूली में सख्ती की जाये ताकि लोग मजबूर हों अपना गल्ला बेचने के लिये। यदि आप यह करते हैं तो यह समझदारी की चीज नहीं है। किसानों के लिये आपको ऐसी सख्ती करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह तो स्वयं, जिसके पास तीन मास का गल्ला होता है, गल्ला बेचने के लिये मजबूर होता है, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह उसे रोक सके। लगान देने के लिये, शादी-ब्याह तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिये उसे वह गल्ला तो बेचना ही पड़ता है। यह तो बड़े बड़े किसान ही कर सकते हैं, जो हजार दो हजार मन गल्ला पैदा करने वाले हैं, यही गल्ला रोक सकते हैं, छोटे किसान नहीं रोक सकते हैं। तो चाहे वह बड़े किसान हों देहातों के अन्दर या व्यापारी हों, जिनके बारे में प्रधान मंत्री ने दुर्गापुर में कहा था कि बड़े बड़े किसानों और व्यापारियों के षडयंत्र ने देश में अन्न संकट पैदा किया है और उनका यह काम अनपैट्रियाटिक है, उनके खिलाफ आपको सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। यदि इनके काम को आप अनपैट्रियाटिक कहते हैं तो उनके खिलाफ कदम उठाने में आपको पूर्णरूप से सक्षम होना चाहिये और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह सारे देश को बर्बाद कर देंगे और आपको लुंज पुंज करके डाल देंगे। आज देश सबसे बड़े संकट से पास हो रहा है, हमारे प्रदेश में अभूतपूर्व संकट पैदा हुआ है, इसलिये लोगों पर इस बात का प्रभाव डालना चाहिये कि वह इस दिशा की ओर कदम उठायें। केन्द्र में अभी श्री जैन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी इस सम्बन्ध में, उसने कहा है कि मोनोपोली प्राक्योरमेंट पालिसी को हमें तो अनाज के लिये चुनना ही पड़ेगा और स्टेट ट्रेडिंग के लिये सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और उसके बिना अन्न संकट नहीं पार हो सकता। तो वक्त आ गया है कि जिन बातों को नीतियों के रूप में आपने ऐलान किया है, उनको अमल में लाने के लिये आप कदम उठायें।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

अन्त में मैं नेगी जी से कहना चाहता हूं कि उनको इस बारे में सारा कार्य हिम्मत से करना पड़ेगा। ऐसे अधिकारी जो आज भ्रष्टाचार करते हैं और व्यापारियों के दबाव में आकर गलत कायदे-कानून बनाते हैं तथा ऐसा करके उनको मनमानी करने का मौका देते हैं, उनके खिलाफ आप हिम्मत से कानून बनायें और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। तो इस तरह जो लाखों और करोड़ों इन्सानों के साथ मजाक होता है, वह खिलवाड़ बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। मैं अन्त में तमाम सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बहस में भाग लिया और उम्मीद करता हूं कि जो सुझाव दोनों तरफ के लोगों ने दिये हैं उन पर विचार करके अमल किया जायगा। मैं चाहता हूं कि जो निजी मुनाफे और निजी हितों के लिये जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको अधिक समय तक बरदाश्त नहीं किया जा सकता और इसलिये खाद्य में मिलावट को, जखीरेबाजी को और गल्ले की स्मगलिंग को राष्ट्रीय अपराध घोषित होना चाहिये। अगर आप यह करेंगे तो जनता आपका समर्थन करेगी। इन बातों के साथ और इस उम्मीद से कि आप अपनी नीतियों में परिवर्तन करेंगे जिससे जनता को पेट भर खाना और अनाज मिल सके, इस अपने कटौती के प्रस्ताव को पुनः रखता हूं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने अपने विचार इस विषय में प्रकट किये। मैं सर्वप्रथम यादव जी की बातों को न लेकर जो स्वतंत्र दल के नेता तथा कुछ अन्य लोगों ने भी कही हैं उनके बारे में कहूंगा। उन्होंने कहा कि हम क्या उनके विरोधी हैं या क्या हम उनसे अलग हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि सेन्टर ने गलती की है। अगर समझने वाला न समझे तो मैं क्या करूं? मैंने पिछली दफा भी कहा था कि सेन्टर की मजबूरियां थीं। स्ट्राइक की वजह से वह हमको नहीं दे पाये और अब भी जो कमी पड़ी वह भी उसी वजह से, दूसरी जगह हड़ताल हो गयी। तो दोनों जगह उनकी मजबूरी थी। वह यह कहते थे कि हमारी कोई नीति नहीं है। यह भानुप्रताप सिंह जी ने कहा। मैं बार बार कह चुका हूं कि हमारी नीति निश्चित है और वह यह है कि व्यापारी जब कभी अवसर आता है या आया तब उसने अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा की, और अब उत्पादकों ने भी उस सबक को ले लिया है। चाहे हम इसे स्वीकार करें या न करें, किन्तु यह बात सही है। अब इसके सिवा कौन सा दूसरा रास्ता हो सकता है कि स्टेट ट्रेडिंग की जाय? उनका कहना यह है कि अगर आप इस प्रदेश की ८ करोड़ जनता की बात नहीं सुनते तो आप त्यागपत्र दे दें, अगर सेन्टर आपकी बात नहीं मानता तो आप त्यागपत्र दे दीजिये और सेन्टर से लड़ पड़िये। मगर यह भी तो सोचना चाहिये कि इस देश में केवल ८ करोड़ आदमी नहीं हैं, अब तो इस देश में ४५ करोड़ आदमी हो गये हैं तो केन्द्रीय सरकार को उन सबको दृष्टि में रखते हुये ही यह सोचना पड़ता है कि उसे कैसे, किस वक्त और किस स्टेज पर किया जाय।

मैं गेंदा सिंह जी की राय से पूर्णतया सहमत हूं कि शीघ्रातिशीघ्र चीनी और चावल मिलों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चहिये मगर सोचना यही है कि यह काम मेरे करने का तो नहीं है और यह राष्ट्रीय स्तर की चीज है। इंग्लैंड जहां कि हजारों वर्षों से सोशलिज्म और डेमोक्रेसी है वहां कई बार इन चीजों को किया जा चुका है और कई दफे वापस भी किया जा चुका है। तो इन चीजों को देखते हुए यह सोचने की जरूरत होती है कि कब कदम उठायें और कैसा कदम उठायें। हम अगर कहें कि फौज मैदान में नहीं लड़ती तो यह भी सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं लड़ती।

हमारे एक मित्र ने कृष्णमेनन का जिक्र करते हुये कहा कि उन्होंने यह कहा था कि हमारे देश में काफी खाद्यान्न पैदा होता है लेकिन हमारी नालायकी है कि हम उसको बांट नहीं पाते लेकिन जिस समय वे डिफेन्स मिनिस्टर थे और जो कठिनाई सामने आई तो उसमें किस की गलती थी? उन्होंने तो लेक्चर झाड़ दिया। पर उपदेश कुशल बहुतेरे होते हैं। यह तो

दुनिया का तरीका होता है। दूसरे को उपदेश देने के लिये कोई भी खड़ा हो जाय हम भी उस समय उनका उपदेश सुन रहे थे। मैं आपका आभारी हूं और जो कुछ भी आपने कहा मैं उसका आभारी हूं लेकिन इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि वास्तविकता क्या है।

भानुप्रताप सिंह जी ने भी उपदेश दिया तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या मैं उनसे जाकर झगड़ा करूं कि और किसी को मत दो और हमको ही दो। उन बेचारों की भी परेशानी थी। वह भी समझते थे। नेशनलाइज की बात कही तो उसके लिये पैसा भी चाहिये। एक मुंह से कहते हैं कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया और सरकार ने अरबों रुपये के नोट छापकर कीमतें बढ़ा दीं, जब तक रुपया कम नहीं होगा तब तक कीमतें नहीं घटेंगी। अगर इनको नेशनलाइज किया जाय तो फिर रुपया चाहिये और नोटों की जरूरत होगी तो फिर कीमत बढ़ेगी। कहा जाता है कि यह सरकार गरीब कर्मचारियों के लिये पैसा नहीं बढ़ाती। अगर उनको दिया जायगा तो फिर नोटों को छापना होगा और उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यह सब चक्कर है जिसको समझने की जरूरत है। हम तो आपके सब उपदेश मानने के लिये तैयार हैं लेकिन जरा तर्क से बात कहिये। तर्कसंगत बात यह नहीं है। यह सोचने की बात है कि जो बात आप कह रहे हैं। अगर उस तरह से किया जाय तो उसका उपद्रव क्या होगा ?

आपने एक नुस्खा बतला दिया कि स्टेट ट्रेडिंग कर लो लेकिन इस रोग में जितना उपद्रव पैदा होगा उसकी भी रोकथाम होनी चाहिये। राधेश्याम जी ने हिसाब लगाकर बतलाया कि इस तरह से है। मैं गणित में कमजोर हूं तो आपका गणित मान लेता हूं। भानुप्रताप सिंह जी भी अपने को गणितज्ञ कहते हैं। उन्होंने बिलकुल गलत बात कही। उनके और इनके गणित में ही फर्क हो गया। आपने एक बात कही कि दिसम्बर तक कम से कम चलना चाहिये था। बिलकुल सही बात कही। अपने कई साथियों से बातचीत के दौरान में मैं कह चुका हूं कि इस का कारण है। किसी डैम के अन्दर कितना ही पानी भरा है और वहां पर नल लगा दिया आधा इंची तो क्या उससे बिजली पैदा हो जायगी नहीं होगी। जितना जरूरी फोर्स होना चाहिये उतना पानी नहीं निकलेगा तो बिजली पैदा नहीं करेगा। चाहे जितना माल भरा पड़ा हो उसको निकालने का सोर्स भी वैसा ही होना चाहिये तभी तो निकलेगा और तभी लाभ होगा।

मेरी आलोचना की गई कि साहब आपने एन्टी होर्डिंग आर्डर पास नहीं किया। आखिर यह जखीरेबाजी कितनी मात्रा में मानी जाय और इसको पकड़े कौन ? कोई ऊपर से तो पकड़ नहीं सकता तो हमने यहां पर उसके लिये कानून पास किया तब भी आप कहते हैं कि क्यों नहीं पास किया। जैसा और बड़ी-बड़ी स्टेटों ने किया वही हमने भी किया जिससे वे अपना रिटर्न देते रहें कि कितना माल उनके पास है। जब उसकी मात्रा निश्चित की गयी और माल नहीं आया तो सबने कहा कि तुम्हारी अक्ल क्या है। व्यापारी तो ज्यादा से ज्यादा १०० बोरे रखेगा और बाकी बाजार में आ जायगा। व्यापारी ज्यादा रखना नहीं चाहता। तो यह तो हम ईमानदारी से बात करते हैं। हमारे जन संघ के सदस्य बीमार की बात कहते थे। मैं तो देख रहा हूं कि मैं बीमार हूं और इतने सारे डाक्टर यहां बैठे हैं और नुस्खा बता रहे हैं। हिन्दू धर्म के मानने वाले लोग कहते हैं कि सरकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, लेकिन क्या प्रकृति के नियम गलत हैं ? अगर वह गलत हैं तो वह नास्तिक हैं और अगर वह सही है तो हम ठीक हैं। तो हमारी नीति स्पष्ट है और उसके लिये हम बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिये कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम इसके लिये केन्द्र से लड़ नहीं सकते, हमको केवल ८ करोड़ का नहीं, ४५ करोड़ का इंतजाम करना है।

स्टेट ट्रेडिंग की नीति का जहां तक सवाल है, मैं उसके लिये पूरा जोर दूंगा, लेकिन जब चीज व्यवहारिक रूप में सामने आती है तो हमें उसके हर पहलू को देखना चाहिये कि कहां कहां

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

हम क्या क्या कर सकते हैं। प्राइस कंट्रोल की बात है। उसके लिये हम पर चार्ज लगाया गया कि हम उसे बदलते रहे हैं। मैं उसमें बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन जब मैंने देखा कि लोग हमारे साथ नहीं चलते तो मैं क्या करता? चन्द्रजीत जी और मैंने अगर निश्चिय किया कि एक रात में १०० मील चलेंगे और वह दस मील चलकर ही बैठ गये तो फिर मैं १०० मील जा कर क्या करूंगा? भानुप्रताप जी कहते हैं कि हमने किसानों को मार डाला इसलिये कि हमने प्राइसेज अनरियलिस्टिक फिक्स कीं। मैं आपको बतलाऊं कि मक्का के भाव १९६० में ३१.८८ पैसे थे, १९६१ में २९.७३ हो गये, १९६२ में २८.१० हुए, १९६३ में ३२.४९ हुए। इस सरकार ने मेज का भाव ३६.५० निश्चित किया फसल के बाद। तो यह कौन सी अनरियालिस्टिक भाव रखे? क्या सरकार को बाजार भाव के अनुसार ६० रुपया निर्धारित करना चाहिये था? यह कहां तक ठीक है? तो सरकार चावल और दूसरे अनाजों के भाव भी इसी प्रकार निर्धारित करती है। गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने सारे देश के लिये भाव निर्धारित किये हैं और जब उन्होंने देखा कि राजस्थान, बिहार आदि और स्टेट्स नहीं कर रहे हैं तब यह कैसे सम्भव था? प्राइस कन्ट्रोल तो तभी संभव है कि यह आल-इंडिया बेसिस पर चले। आप जोनल सिस्टम भी नहीं चाहते हैं। जोन्स की बात यह है कि जब जोन हटेंगे तो जहां व्यापारियों को ज्यादा मिलेगा, वे वहीं चले जावेंगे। जोन्स का हटना भी इस बात पर अवलम्बित है कि हर जगह प्राईसेज एक जैसी हो जायं। हम अपने उत्तर प्रदेश के प्राईसेज लिख कर ही कहीं नहीं जा सकते हैं। हमें कहते हैं कि भानुप्रताप सिंह जी और गेदासिंह जी ने माकूल जवाब दिया। हमें बताते तो आपकी भी राय रख लेते, वैसे करने के लिये हम सारे इंडिया के लिये करते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

सरकार की ओर से जो कीमत निर्धारित की गई है वह कम की गई है।

श्री गेदासिंह—

उसके बाद कुछ कीमत बढ़ी है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हम सब की मानते हैं। जैसा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने आलरेडी सपोर्ट प्राईस डिक्लेअर की है और अब मि० दास एग्रीकल्चर प्राईस कमीशन पर भी एक कमेटी बैठी हुई है।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

अब तक प्राइसेज काश्तकार के लिये नुक्सानदेह है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इतनी प्राइसेज हम रख दें, यह बात सही है। आज कल तो जैसा मैंने कहा, कोई प्राईस-पैरिटी नहीं है। अनार्की की स्टेट हो रही है इकानामी में। यह तो हमारी बदकिस्मती की बात है कि आज गेहूं से जौ की कीमत ज्यादा बढ़ रही है। उसी प्रकार और भी देखें तो पहिले और चीजों के मुकाबले में खाद्यान्नों की पर्सेन्टेज लो थी मगर इस साल और चीजों से डबुल हो गई है। अगर मुझे सदन वाले बता दें कि आप इस फार्मूले से चलने पर निश्चित स्थान पर पहुंचेंगे तो भी ठीक है। मगर कोई फार्मुला ऐसा नहीं मालूम होता कि हम उसे पकड़ कर किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने में सफल हो सकेंगे। यह बात अगर उत्तर प्रदेश के बाहर होती तो भी हम सुधार लेते गो कि उत्तर प्रदेश में भी सुधारने की बात तब होतीजबकि सारे ही इलाके खराब हो गये, पूर्व क्या, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण, सभी जगह एक जैसा हाल हो गया तो हम क्या निश्चित लक्ष्य रक्खें? गेहूं के पर क्विन्टल भाव में आपको बताऊं—

साधारण गेहूं—८०–८५,

दड़ा दड़ा—९० रुपया करीब

फार्म वाला—१००–१०५ रुपया।

मगर आप और जगह का देखें अमरावती में ११६ रुपये प्रति क्विन्टल, श्रीनगर में ११९.५०, जनगांव में ११५ रुपये, और फार्म क्वालिटी का देखें तो आपको बेहोशी आने लगेगी, १४५ रुपये और ११७ रुपये जबकि हमारे यहां १०१ फार्म क्वालिटी का है, बारामती में १३१ है। सारे देश के अन्दर यह विभीषिका फैली हुई है। अगर एक हिस्से का होता या एक प्रदेश का होता तो सम्भाल लेते।

अब सवाल इस बात का है कि क्यों यह जोन्स बनायें ? तो उन्होंने डाइगनोसिस यह की कि अगर किसी को टी० बी० हो जाय तो सारे फेफड़े में उसे फैलने दिया जाय या कोल्ड इन्जेक्शन देकर उसको एक ही जगह पर रखा जाय ? इसमें उनको यह मालूम हुआ कि यह बीमारी सारे भारत-वर्ष के अन्दर फैलने वाली है तो उन्होंने जोन्स बनाकर कोल्ड इन्जेक्शन देकर उस दायरे में उसे बन्द करना चाहा। अब उसमें गलती यह सही जो कुछ भी हो।

यादव जी ने ठीक कहा कि स्टेट ट्रेडिंग होनी चाहिये नहीं तो कम से कम चावल और गेहूं में तो हो जाय। मैं बताता हूं कि अगर गेहूं और चावल पर ही बल देकर सेंट्रल गवर्नमेंट उसी को करेगी तो हम बड़े नुकसान में रहेंगे। वह इस तरह कि हमारे प्रदेश से अगर सब मोटा अनाज बाहर चला गया और केवल गेहूं और चावल पर ही रोकथाम रही तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। इसलिये हमें तो सभी खाद्यान्नों पर उसी तरह से चलना पड़ेगा जिस तरह से मैं कह रहा था। (व्यवधान) यही बात मैं निवेदन कर रहा था कि स्टेट ट्रेडिंग ऐसा है नहीं कि मैं कह दूं और हो गई। मैं स्वयं कह रहा हूं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट ट्रेडिंग के लिए इस गवर्नमेंट के ही बढ़ने से काम नहीं चलेगा। सेंटर उसके लिये पहले हर जगह करेगा, उस के लिए कीमतें निश्चित करेगा, उसके लिए पहले स्टाक्स जमा होंगे। यह बात सही है कि बारह और चौदह लाख टन से ऐसी आपत्ति के समय में काम नहीं होगा।

यादव जी ने आंकड़े दिये, यह बात सही है कि हमारे यहां खाद्यान्न कम हुआ। लोग कहते हैं कि नेचुरल कैलेमिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट की ही दोहाई आप बराबर देते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कहना हमने छोड़ दिया। जहां तक दैवी आपदाओं का सवाल है तो आपने कहा कि हमारे यहां कुल १परसेंट ज्यादा इंक्रीज हुआ और स्टेटस में किसी में तीन कहा, किसी में चार कहा लेकिन किसी स्टेट का भी देखें कि कैश क्राप में क्या हालत है ? आपको मैं बताऊं कि कैश क्राप में ३३.६७ परसट इंक्रीज गन्ने में हुई है, मूंगफली में ७.५७, तिलहन में ५.७६ इस तरह इसमें बड़ी तरक्की की है। हम भी कहते हैं कि दैवी आपदायें आयीं तो कैश क्राप्स के लिए क्यों नहीं आयीं ? यह भानु प्रताप जी का प्रश्न था। तो यही तो मैं बताना चाहता हूं कि यहां दैवी आपदाओं के होते हुये भी नहरों का पानी, सिंचाई की समस्त सुविधायें, फर्टिलाइजर, यह सब इसी में गये हैं, खाद्यान्न में नहीं गये हैं। तो इसलिये गवर्नमेंट को भी और हमको आपको सबको सोचना पड़ेगा कि क्राप प्लानिंग किया जाय। मजबूर किया जाय लोगों को कि तुमको खाद्यान्न इतना पैदा करना पड़ेगा। लेकिन जहां काश्तकारों को फोर्स करने की बात आयी तो माननीय गेंदासिंह का कहना ठीक है, हमारी भी तोपची बन्द और आपकी भी तोपची बन्द और वही बात है कि जब हमने कहा और सबने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग करो, सीधे काश्तकार से लो। भानुप्रताप-सिंह जी कहते हैं कि देखिये, १४ लाख टन से पता नहीं क्या होगा, केन्द्रीय सरकार आपको देगी नहीं, आप इसके जिम्मेदार हैं कि लोग भूखे न मरें, बाहर से मंगाने में इतना अरब रुपया विदेश को चला गया, अगर आप किसी को छेड़ेंगे तो बर्रों के छत्ते में हाथ डालेंगे और कोई लड़े या न लड़े, हम जरूर लड़ेंगे। तो हम बाजार में भी न जावें, किसान से भी न लें, फिर काम कैसे चलेगा ? हम गवर्नमेंट में बैठे हैं, कबूल करते हैं अपना दोष। मगर आपसे मेरी इतनी जरूर प्रार्थना है, हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन है, कि वह जादू का डंडा मुझे बताने की कृपा करें जिससे मैं इस काम को सफलता से चला सकूं और अगर किसी कारण यहां न बता सकें तो प्राइवेट में ही बताने की कृपा करें। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मेरे हृदय में भी दुख है। मगर आप उपाय

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

तो बतावें। मैंने बारात की उपमा भी दी। मैंने वह मजाक में नहीं कहा। मैं जानता हूं कि लड़की वाले को कितनी परेशानी होती है। मैंने उसके दुख को महसूस किया और वह उपमा दी। भानुप्रतापसिंह जी ने कहा कि मेरे काम ऐसे हैं जो काश्तकार होने के नहीं हैं, चूंकि हमने कीमतें ऐसी रखी हैं। मैंने उसका उदाहरण दे दिया। मैं काश्तकार भी नहीं रहा। पहाड़ का भी नहीं रहा चूंकि देवेन्द्र सिंह जी कहते हैं कि वहां भुखमरी है। तो मैं सब जगह से गया। मैं कहीं का भी नहीं रहा। ऐसी अवस्था आती है। राणाप्रताप के लड़कों के सामने भी आई थी जो उनके बच्चों की एक रोटी भी बिलाव उठाकर ले गया और उनके सिवाय रोने और ढाढ़स बंधाने के कोई चारा न रहा।

कल्पनाथसिंह जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कम से कम यह बात कही कि सारे सेक्रेटेरियेट वालों ने हड़ताल की कि कम तनख्वाह मिलती है, टीचर्स ने की। मगर सप्लाई डिपार्टमेंट के गरीब जानवरों ने नहीं की। उनमें से कोई नहीं आया, किसी ने कोई हड़ताल नहीं की। फिर भी मुझे कहते हैं कि इसने सारा खराब कर दिया। कानपुर जहां की आबादी ११,१२ लाख की है वहां या जैसा मायर साहेब ने कहा, कि २ या ३ लाख की आबादी में, २०–३० इंस्पेक्टर और २/३ इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं? कैसे वे सारे कार्ड भी ठीक कर सकते हैं और होर्डर्स को भी देख सकते हैं? गेंदासिंह जी ने जैसा कहा, मैं उसे मानता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग से पहले हमें अपनी अपनी मशीनरी एफीशेंट बनानी होगी। मगर एक बात है जिसको कहते हुए डर लगता है।

अनेक सदस्य—

उसे भी कहिये।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

अच्छा, तो कहे देता हूं। इस वक्त जितना है उसे भी रखने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है और हम टैक्स की बात करते हैं तो आप बिदक जाते हैं। पुरानी दर पर तो कर नहीं पा रहे हैं और ऊंची दर भी देना है।

दूसरी बात यह सही है कि इस बात के लिये एक कमेटी बनायी जाय, शायद उसके बनने से हमारे गरीब डिपार्टमेंट की भी कुछ सुनवाई हो जाय। मैं समझता हूं कि सप्लाई डिपार्टमेंट के सभी लोग खराब नहीं हो सकते और सभी अच्छे नहीं हो सकते। जिस प्रकार संकट के समय में जब किसी को और कुछ नहीं सूझता है तो वह अपना सिर फोड़ लेता है उसी प्रकार हमने उन लोगों में पर इस समय में कड़ी सख्ती की है।

जहां तक होर्डिंग का सवाल है यह कहा गया कि रफी साहब ने डिकन्ट्रोल किया था। जिस जमाने में डिकन्ट्रोल हुआ था उस जमाने में हमारे यहां ३१ लाख टन रबी की फसल की पैदावार हुई थी लेकिन इस वक्त उससे कम हुई। यह मैं आपको बता चुका हूं कि कहां गयी, दूसरी फसलों की तरफ चली गयी। अब हम यह कैसे कहें किसी से कि तुम कैश क्राप न बोओ। मूंगफली और तिलहन की काश्त भी बढ़ी है। यह एक विशेष सर्किल है और इसका इलाज उन लोगों के पास केवल यही है कि उसका वही जादू करो जो रूस और चीन में होता है। लेकिन वैसा हम कर नहीं सकते। हम अपने लक्ष्य से हट नहीं सकते। हमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को हाथ में लेना ही पड़ेगा अगर हम सोशलिज्म के अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। उसके लिये सरकार कदम उठा रही है। सेंटर वाले जो उचित समझेंगे उठायेंगे और हम भी उनका अनुसरण करेंगे। केवल इस बजट के द्वारा उसका निस्तारण नहीं हो सकता। यह तो करीब ७० करोड़ का बजट है, अगले साल हम उसके लिये १०० करोड़ भी रख सकते हैं लेकिन सवाल फिर यही आयेगा कि हम खरीदेंगे कहां से। या तो हमें फ्रीमारकेट को खत्म करना होगा। लेकिन अगर अगले साल भाव नीचे आ गये तो रुपया ही ब्लाक हो जायगा। आपने कहा कि सरकार में इतनी दूरदर्शिता

होनी चाहिये कि वह यह देखें कि उसको आगे कितने अनाज की आवश्यकता होगी लेकिन इतनी दूरदर्शिता भी तो रखनी होगी कि अनाज गोदामों में ही सड़ न जाय। अगर करोड़ों का नुकसान होगा तो आज की दूरअन्देशी से जो हमने किया वह ठीक किया लेकिन हमें यह भी देखना होता है कि कल दूसरा सदन आये, आप या दूसरे आने वाले कहेंगे कि फलां को सूली चढ़ाइये वह इतना पैसा खर्च कर गये। हमारी दूरअन्देशी की बात को एक पहलू से न देखिये, उस के दोनों पहलू देखिये कि क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने हैं।

कहा गया कि आपने इतना गल्ला छापे मार कर निकाला लेकिन वह जब अदालतों के आदेश से हमें नहीं मिल सका तो उसमें हम क्या करें, हमारा तो उद्देश्य ही यह था कि वह लाकर बाजार में भेजें। जब अदालत से कुछ नहीं होता तो हम क्या करें, वह चुपचाप बैठे हैं तो हमारा कोर्टस पर क्या बस है। पूरे सदन ने केशव सिंह के मामले में कोशिश की और सारा जोर लगा दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ तो हम क्या करें। हमारी लिमिटेशन्स हैं उनके अन्दर हम काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट उन के बाहर नहीं जा सकती थी।

आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी और श्री चन्द्रजीत की बातों में कोई भेद नहीं है, सिद्धांत एक ही हैं जरा सा रास्तों में अन्तर है। और जो उधर के लोग हैं, उन सब का तो हमारा और उनका रास्ता भी एक ही है, राइटिस्ट्स हैं। मैं कबूल करता हूं कि हमारे अन्दर हजारों कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं, हम से गलतियां हुई होंगी, हमने गलत काम किये हैं लेकिन हमने जानबूझकर दिल से कोई गलती नहीं की है। वह दरियादिल आदमी हैं, वह समझते हैं कि हमने दीदोदानिश्ता कोई गलत काम नहीं किया है और वह इतने अनुदार भी नहीं हैं कि वह बधाई देने से रुक जायं। वह स्टेट ट्रेडिंग चाहते हैं तो एक रुपये की कमी बेशी से कुछ होने वाला नहीं है। अगर उन के कटमोशन को ज्यों का त्यों रखते हैं तो उसके माने यह होंगे कि उन की कथनी और करनी में फर्क है। अगर वह सच्चे दिल के हैं तो मैं समझता हूं कि वह इस को वापस ले लेंगे। वह समझदार व्यक्ति हैं। कोई सिद्धांत में भेद नहीं है। वह पेटरियाट आदमी हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री झारखंडेराय जी उन की बगल में बैठे हैं वह उन को ऐसा मश्विरा देंगे कि वह कटमोशन को वापस कर लें, वह स्वयं भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वह जरूर वापस कर लेंगे। इस आशाके साथ मैं सबका आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझे अपने मूल्यवान सुझाव दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५–खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५–खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत १,०४,५३,४०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४-राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत ७०,३६,४८,४०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष --

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२२ फरवरी, १९६५।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८–९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

घटना का विवरण

दिनांक ८ जुलाई, १९६४ की शाम को वादी श्री किसन चन्द जो सुल्तानपुर का निवासी और गल्ले का "बी" लाइसेंसी है, कानपुर के गल्ले के "बी" लाइसेंसी निरंजन लाल पदमकुमार की फर्म से ट्रक नं० यू० एस० क्यू० ९४७६ में ४४ बोरा चना व ३७ बोरा गेहूं बाजाप्ता बीजक बनवाकर व खरीदकर कानपुर से लखनऊ होता हुआ सुल्तानपुर अपनी आढ़त पर ले जा रहा था और स्वयं भी उसी ट्रक पर सवार था। लगभग १ बजे रात जब ट्रक लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर अर्जुनगंज रेलवे क्रासिंग पर पहुंचा जो पुलिस चौकी रेजीमेंट बाजार के निकट है तो फाटक बन्द होने के कारण रुक गया। थाना कैन्ट लखनऊ के एस०आई० श्री बजरंग बहादुर सिंह व एस० आई० श्री रणवीर सिंह विश्नोई तथा पुलिस चौकी के हेड कांसटेबिल नत्थनसिंह व कान्सटेबिल अब्दुल-सलाम पहले से उपस्थित थे। इन लोगों ने वादी से उस गल्ले का परमिट मांगा तो उसने बताया कि वह गल्ले का "बी" लाइसेंसी है और 'बी' लाइसेंसी फर्म से ही गल्ला खरीदकर ला रहा है जिसके लिये किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है। और गल्ले के सम्बन्ध में आवश्यक कागजात उन लोगों को दिखाये। परन्तु यह लोग वादी की इस बात से सन्तुष्ट नहीं हुये और उस ट्रक को रेलवे क्रासिंग से वापस कराकर चौकी रेजीमेंट बाजार पर लाये तथा ट्रक पर से ८ बोरा गेहूं व ४ बोरा चना उतरवा लिये और उसके बाद ट्रक को सुल्तानपुर की ओर जाने की आज्ञा दी।

दिनांक ९-७-६४ को वादी ने अपनी फर्म पहुंचकर इस घटना की सूचना एस० एस० पी० लखनऊ को तार द्वारा दी जिन्होंने उसी दिन उसको सरकिल आफिसर, हजरतगंज के पास जांच के लिये भेज दिया। दिनांक १३-७-६४ को वादी ने स्वयं लखनऊ आकर इस सम्बन्ध में दरख्वास्त दी। उसको भी जांच हेतु सरकिल आफिसर, हजरतगंज के पास भेज दिया गया जिन्होंने वादी के बयान लेने के बाद २०–७–६४ को एस० एस० पी० लखनऊ को अपनी रिपोर्ट दे दी।

दिनांक १९–८–६४ को डी०आई०जी० रेंज ने वादी द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र डी०एस० पी० एन्टीकरप्शन लखनऊ को जांच हेतु भेजा और उन्होंने संबंधित कागजात प्राप्त करके दिनांक २६-८-६४ को थाना कैन्ट लखनऊ पर प्रेवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट का मुकदमा नं० १९६ कायम करार कर उसी दिन से विवेचना आरम्भ कर दी। विवेचना से यह कार्य उपरोक्त अधिकारियों द्वारा किया हुआ पाया गया जिनको पहले से ही एस० एस० पी० लखनऊ लाइन तब्दील कर चुके थे और मुअत्तल कर चुके थे। इन लोगों की बाजाप्ता गिरफ्तारियां हुईं परन्तु स्पेशल जज महोदय लखनऊ के न्यायालय से इन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुकदमे की विवेचना अभी जारी है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर।)

विभिन्न मंडियों में १५-२-६५ को खाद्यान्नों के भाव प्रति क्विंटल

क्रम-संख्या	मंडी	गेहूं	चना	जौ	चावल फुटकर	ज्वार	बाजरा	मक्का	दाल अरहर	दाल उरद	दाल मूंग	दाल मसूर
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	हापुड़ ..	९७.५०	८२.५०	अप्राप्त	अप्राप्त	६०.००	६५.००	६७.५०	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
२	अलीगढ़ ..	९३.७८	८०.३८	६६.९८	"	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	"	८३.०६	"	"
३	आगरा ..	९८.१३	८०.३८	७५.०२	"	"	६२.६३	५८.५४	१०९.८५	९१.०९	१०७.१८	१००.४७
४	बांदा ..	८३.६५	७१.००	अप्राप्त	७१.४४	४४.२०	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
५	बरेली ..	९३.७९	८१.६७	अप्राप्त	७०.४६	अप्राप्त	अप्राप्त	६५.९६	१४२.९८	"	"	१०७.१९
६	गोरखपुर ..	९९.४८	९३.७८	७२.६८	९०.२८	५८.९४	"	६१.६३	१४२.०१	"	"	१०६.७३
७	कानपुर ..	९५.९८	७७.९५	६५.९७	७७.६५	५५.३२	६१.२५	६२.३६	१२२.५०	९५.२८	९५.२८	१२२.५०
८	लखनऊ ..	९०.२३	८१.६४	६३.५०	८१.६७	५९.१४	६१.२५	अप्राप्त	अप्राप्त	९५.२८	अप्राप्त	अप्राप्त
९	सहारनपुर ..	९५.००	८७.५०	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	"	"	अप्राप्त	"	"
१०	वाराणसी ..	९०.००	८५.६०	७१.४५	७७.५०	६०.२५	६४.५०	६३.००	१२६.००	"	"	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर)

सूची

सन् १९६३ और ६४ में डी० आई० आर० में मुकदमा चलाये जाने की सूची

उन लोगों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया	जिनका फैसला हो गया	विचाराधीन मुकदमों की संख्या	फैसले का परिणाम	विचाराधीन मुकदमों की तिथि
१०	..	१०	..	६ मुकदमे जून, सन् १९६४ में २ मुकदमे जुलाई, सन् १९६४ में १ मुकदमा अगस्त, १९६४ में १ मुकदमा सितम्बर, १९६४ में

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर)

क्रम-संख्या	बन्दी का नाम		प्रोबेशन बोर्ड द्वारा विचार किये जाने के बाद की गई कार्यवाही
१	मुरलिया	..	१ १/२ वर्ष के लिये स्थगित कर दिया गया।
२	दुल्ला	..	१ ,, ,, ,, ,,
३	श्रीकृष्ण	..	२ ,, ,, ,, ,,
४	रामहित	..	१ ,, ,, ,, ,,
५	महादेव	..	२ ,, ,, ,, ,,
६	छतरपाल	..	३ ,, ,, ,, ,,
७	बैजनाथ	..	१ १/२ ,, ,, ,, ,,
८	बच्चू	..	२ ,, ,, ,, ,,
९	खुन्नू	..	३ ,, ,, ,, ,,
१०	ननकाई	..	३ ,, ,, ,, ,,
११	ननकौना	..	१ ,, ,, ,, ,,
१२	रामनाथ (९०४५)	..	१ १/२ ,, ,, ,, ,,
१३	पद्मकान्त	..	२ १/२ ,, ,, ,, ,,
१४	रघुनन्दन	..	३ ,, ,, ,, ,,
१५	राम नाथ (७६१९)		शासन के विचाराधीन है।
१६	झूरी	..	२ वर्ष के लिये स्थगित कर दिया गया।
१७	अमरनाथ	..	१ १/२ ,, ,, ,, ,,
१८	शिवराम	..	२ ,, ,, ,, ,,
१९	भारत	..	२ ,, ,, ,, ,,
२०	शिवबालक	..	१ १/२ ,, ,, ,, ,,
२१	कृष्णकान्त	..	२ १/२ ,, ,, ,, ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१–३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर)

तालिका 'क'

१ सितम्बर से १५ दिसम्बर, १९६४ तक प्रदेश में खाद्यान्नों के थोक मूल्य प्रति क्विन्टल

क्रम-संख्या	खाद्यान्न	१ सितम्बर से उच्चतम मूल्य	१५ दिसम्बर तक न्यूनतम मूल्य
		रु०	रु०
१	गेहूं	१०६.२३	७१.००
२	चना	१००.००	५५.३२
३	जौ	८४.००	५७.१४
४	चावल	१०७.८१	५९.५५
५	मक्का	७३.२७	३०.४७
६	ज्वार	७४.५५	२९.५०
७	बाजरा	८०.००	४०.३६

तालिका 'ख'

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में १ सितम्बर से १५ दिसम्बर, १९६४ तक खाद्यान्नों के भाव प्रति क्विन्टल

क्रम-संख्या	खाद्यान्न	उच्चतम मूल्य	न्यूनतम मूल्य
		रु०	रु०
१	गेहूं	१००.००	७२.००
२	चना	८०.००	६२.००
३	जौ	८०.००	५५.००
४	चावल	१००.००	७३.००
५	मक्का	९२.००	६१.००
६	ज्वार	७१.००	५९.००
७	बाजरा	उपलब्ध नहीं है।	

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

प्रदेश में विदेश की पैदावार का गल्ला जो प्रश्नगत वित्तीय वर्षों में जनता को खाने हेतु बांटा गया

(मात्रा टनों में)

वित्तीय वर्ष	विदेशी		
	गेहूं	मक्का	माइलो
१९६०–६१	१,५६,५५५	२,४३८	२,४२७
१९६१–६२	७५,२१३	..	४३
१९६२–६३	५७,८१७	..	..
१९६३–६४	२,७४,३५९	..	..

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

क्रम-संख्या	अनुदान पाने वाले व्यक्ति का नाम	अनुदान पाने वाले व्यक्ति की योग्यता	अनुदान की धनराशि
			रु०
१	श्री चन्द्रपाल सिंह ..	बी० एस-सी० (कृषि) (जापान के विश्वविद्यालय से) ..	५००
२	श्री जगत सिंह ..	एम० एस-सी० (कृषि) ..	७५०
३	श्री रामजनम दुबे ..	एम० एस-सी० (कृषि) ..	५००
४	श्री यशपाल कालरा ..	एम० एस-सी० (कृषि) ..	५००
५	श्री चितरंजन सरन ..	एम० टेक० ..	५००
६	श्री लक्ष्मीनारायणसिंह ..	एम० एस-सी० (कृषि) ..	५००
७	श्री गोपालकृष्ण सक्सेना ..	एम० एस-सी० (कृषि) ..	५००
८	श्री मलखान सिंह कटार ..	एम० एस-सी० (कृषि) ..	५००
९	श्री इसलाम अहमद सिद्दिकी	बी० एस-सी० (कृषि) (आनर्स) ..	५००
१०	श्री रामकठिनसिंह ..	एम० एस-सी० (कृषि) ..	५००

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

प्रमुख खाद्यान्नों के थोक औसत मूल्य प्रति क्विन्टल (रुपयों में) की तालिका

महीना	गेहूं	चना	जौ	चावल ३ फुटकर	मक्का	ज्वार	बाजरा
१	२	३	४	५	६	७	८
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
नवम्बर, १९६४ ..	८५.३१	७६.३९	७१.९५	६४.९५	३९.४५	४४.१७	४२.६३
दिसम्बर, १९६४ ..	९३.७७	८५.०९	७४.२१	६५.९३	४३.९०	४२.६६	४६.५२
जनवरी, १९६५ ..	९५.७८	८५.६४	७३.४८	७५.०१	६१.३२	४९.५८	५९.६१
फरवरी, १९६५ .. (प्रथम पखवारे)	९२.२०	७८.४०	६६.७१	७७.७३	६०.०६	४८.०२	५५.९०

विधान सभा प्रदेश मुख्य

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर)

नगरीय एवं ग्रामीण उपभोक्ता भावों का वर्ष १९६४–६५ का औसतन सूचकांक

क्रम संख्या वस्तुयें	औसतन प्रतिशतन वृद्धि १९६४–६५	क्रम-संख्या वस्तुयें	औसतन प्रतिशत वृद्धि १९६४–६५
१—गेहूं ..	४८.७	९—दाल मसूर ..	२९.२
२—चावल ..	२६.९	१०—घी देशी ..	११.७
३—चना ..	४६.४	११—सरसों का तेल ..	४२.९
४—जौ ..	५५.९	१२—जमाया वनस्पति तेल ..	२१.२
५—बाजरा ..	४०.८	१३—दानेदार चीनी ..	७.०
६—दाल अरहर ..	२१.४	१४—गुड़ ..	८.०
७—दाल उर्द ..	१२.२	१५—सफेद मिट्टी का तेल ..	शून्य
८—दाल मूंग ..	३२.५	१६—कपड़ा तथा जूता ..	४.४

लोकसभा सचिवालय प्रदर्शन

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२ पर)

दल अनुसार विजयी हुये प्रत्याशियों का विवरण

क्रम-संख्या	दलों का नाम	(सदस्य) नगरपालिका	(सदस्य) नोटीफाइड एरिया	(चेयरमन) टाउन एरिया	(सदस्य) टाउन एरिया
१	२	३	४	५	६
१	कांग्रेस	३७३	३४	५३	३९७
२	जनसंघ ..	२८२	२६	१४	२१८
३	संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी	१३८	८	१७	१६८
४	स्वतंत्र	३०	..	२	३७
५	रिपब्लिकन ..	३५	१	१०	८८
६	कम्युनिस्ट ..	१४	७	३	३५
७	निर्दलीय ..	१३८५	२०६	१६३	१६८३

एक सीट नगीना नगरपालिका में रिक्त है।

एक सीट फतेहाबाद टाउन एरिया जिला आगरा में रिक्त है।

पांच सीट रेंवती टाउन एरिया, जिला बलिया में रिक्त हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५ पर)

तालिका

विकास क्षेत्र का नाम	बीज की मांग (क्विंटल में)			किसानों को बांटे गये बीज की मात्रा (क्विंटल में)		
	गेहूं	चना	मटर	गेहूं	चना	मटर
हसायन ..	७४०	३७	१८५	६७९.५३	३.९५	१२५.४५
सिकन्दराराव	६५०	२००	४००	६४७.८३	१७५.८७	१०९.५५

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६ पर)

दिनांक ६ जनवरी, १९६५ को पकड़े गये गल्ले का विवरण

ट्रक नं० यू० पी० सी० ७१७५ को मुंडेरा चौकी पर ७५ बोरा ७ कट्टा चावल, २६ बोरा चना, एक बोरा तिल्ली व ४ बोरा मूंग लदे हुए थाना धूमनगंज पर कान्सटेबिल रामप्रसाद द्वारा पकड़ा गया। ट्रक पर लदे हुये गल्ले के व्यापारी भाग गये, केवल ड्राइवर हबीब-अहमद गिरफ्तार किया गया। अभियोग संख्या ४ धारा ३/७ एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट कायम होकर अनुसंधान जारी है। चावल सरकारी गोदाम में दाखिल किया जा चुका है। शेष गल्ला सिपुर्दगी में दिया गया है।

ट्रक नं० यू० पी० सी० ५०९२ मुंडेरा चुंगी पर ५० बोरा चावल, २ बोरा गेहूं, व २ बोरा गेहूं का झाड़न, थाना धूमनगंज पर सब-इन्सपेक्टर लालाराम द्वारा पकड़ा गया तथा ट्रक ड्राइवर हयात अली गिरफ्तार किया गया। चावल सरकारी गोदाम में रख दिया गया और शेष गल्ला सिपुर्दगी में दिया गया।

जांच के बाद अभियोग न साबित होने पर, गल्ला जिससे बरामद हुआ था उसको वापस कर दिया गया और अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

विधान परिषद उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७ पर)

मुरादाबाद जिले में १ जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय द्वारा १ टन से अधिक जी० सी० शीट्स के परमिट दिये जाने का विवरण

क्रम-संख्या	परमिट होल्डरों के नाम तथा पता	मात्रा टन किलोग्राम
१	जिला लाइव स्टाक आफीसर, मुरादाबाद	१.२००
२	श्री शिवरामसिंह, बुध बाजार, मुरादाबाद	२.३००
३	भारतीय म्युनिसिपल गर्ल्स इन्टर कालेज, चन्दौसी	१.५००
४	मेसर्स रामस्वरूप महेशचन्द्र बैंकर्स एन्ड खन्डसारीज़, सम्भल ..	१.०००
५	श्री जगत शर्मा, बुध बाजार, मुरादाबाद	१.२५०
६	श्रीमती लीला जेटली, मझोला पावर स्टेशन के पास, मुरादाबाद ..	१.०००
७	मेसर्स रामकुमार श्रीचन्द्र, चन्दौसी	२.०००
८	मेसर्स इन्डस्ट्रीयल मशीन्स एन्ड इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्सट्स, इम्पीरियल सिनेमा के पास, मुरादाबाद	२.५००
९	मेसर्स पाल मेटल इन्डस्ट्रीज, गुलशहीद, मुरादाबाद	१.०००
१०	श्री रामपालसिंह, एम० एल० ए०, तहसील ठाकुरद्वारा ..	१.०००
११	हेडमास्टर, किसान जूनियर स्कूल, अगवानपुर	१.५००
१२	श्री पुरषोत्तमदास, चेयरमैन, पोल्टरी फार्म, मानपुरा मंडी ..	१.००००
१३	श्री लक्ष्मनप्रसाद अग्रवाल, मार्फत श्री नवल किशोर, ग्राम गलवा, तहसील सम्भल	१.०००
१४	मेसर्स परवाला, स्टेशन गजरोला, तहसील हसनपुर ..	१.५००
१५	श्रीमती सुशीलादेवी, धर्मपत्नी श्री जगतसिंह, ग्राम कालाखेरा ..	१.०००
१६	मेसर्स मित्तल रोलिंग मिल्स, बुध बाजार, मुरादाबाद	१.४५५

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २१८ एल० ए०—१९६५—८६२।